खण्ड-158, अंक-6
मंगलवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1877
(11 अक्टूबर, 1955 ई0)

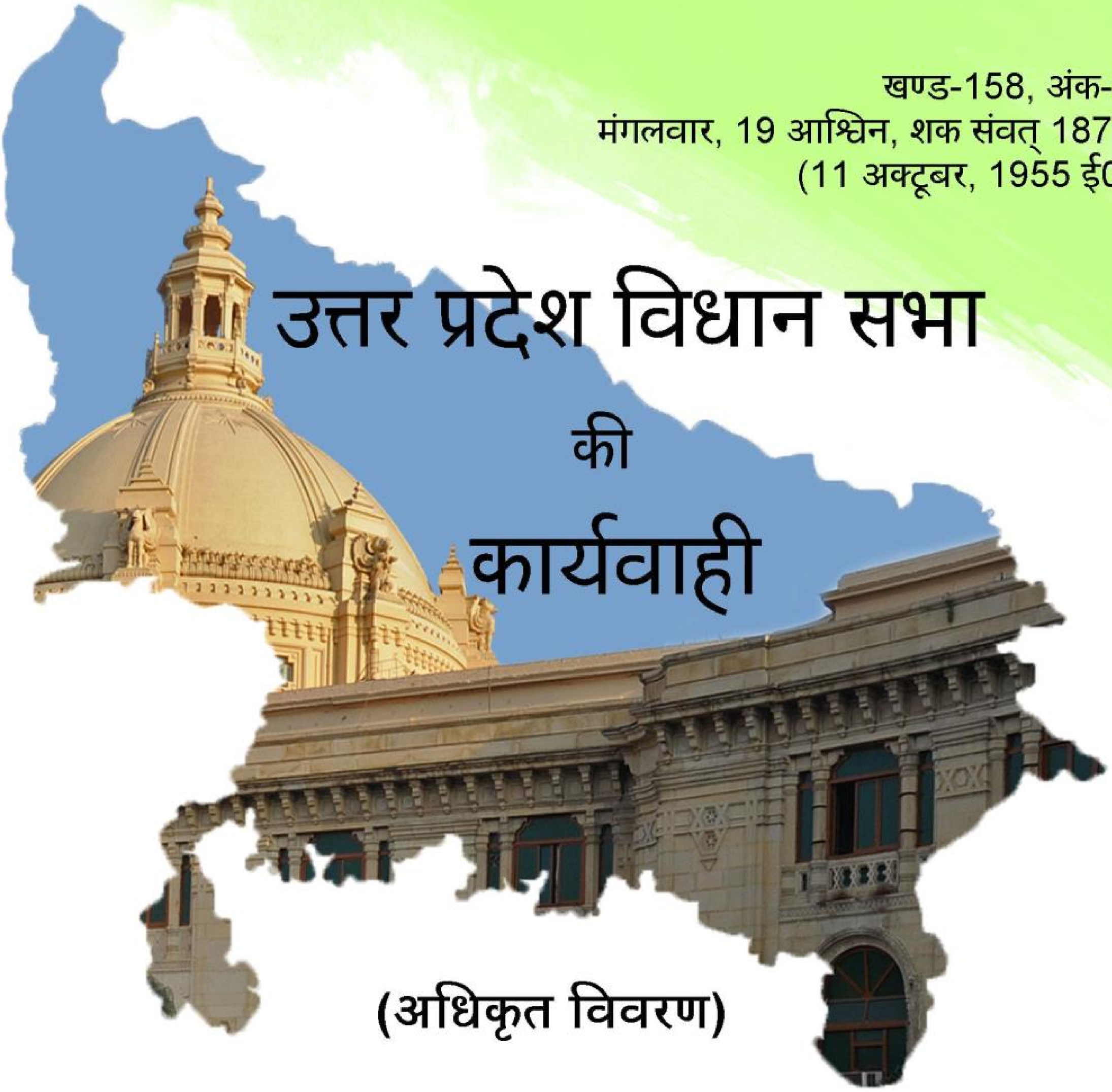

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभामंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोक नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री

मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनललाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री

लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
[illegible] सी नकवी, श्री
वासदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशं[illegible]र प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ अक्तूबर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट कन्वेयन्सर के काम

**१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आर्थिक वर्ष १९५४-५५ में Govt. Conveyance को सरकार की ओर से कितने Cases में काम करना पड़ा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—आर्थिक वर्ष १९५४-५५ में गवर्नमेंट कन्वेन्सर (Govt. Conveyancer) ने ६८३ पत्रावलियों का निबटारा किया और ३८४ पत्रों को भी निबटाया।

कानपुर एग्रीकल्चर कालेज का विचाराधीन स्थानान्तरण

**२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि कानपुर का एग्रीकल्चर कालेज अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है।

**३—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त कालेज के लिये मसवानपुर आदि गांवों के किसानों के हरे-भरे बाग तथा काश्त की जमीन उनकी मरजी के खिलाफ उन्हें जमीन दूसरे स्थानों में देने के आश्वासन पर ले ली गई थी ?

श्री हुकुमसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह प्रश्न विचाराधीन है ? अगर हां, तो लिखित प्रश्न ३ में जमीन किसानों को वापस देने पर विचार किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—विचाराधीन तो है, लेकिन किसानों को जमीन वापस करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। अगर यहां से कालिज हटा तो उससे ज्यादा उपयोगी काम उसमें होगा।

श्री राम दुलारे मिश्र—क्या कृषि मंत्री जी को पता है कि जब किसानों से जमीन ली गयी थी तो यह आश्वासन दिया गया था कि वह जमीन उन्हें दूसरी जगह दी जायगी, लेकिन अभी तक उन्हें जमीन नहीं दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह—आश्वासन तो हुआ था और जमीन भी शायद कुछ दी गयी।

नगरपालिका कोंच के अध्यक्ष के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आदेश

**४—श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका कोंच के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव के पारित होने पर भी अब तक रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस संबंध में जिलाधीश को समुचित आदेश दिये जा रहे हैं।

बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट से सरकार का सम्पर्क

**५—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल इन्टरमीडियेट बोर्ड से सरकार का क्या सम्पर्क है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन से सरकार का क्या सम्पर्क है यह इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ से, विशेषकर उस ऐक्ट की धारा ३,९,१२ और १६ से, माननीय सदस्य को विदित हो जायेगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री संक्षेप में इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट १९२१ और उन धाराओं पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की एक कापी आपको दे सकता हूं, आप उसमें देख लें।

विधान भवन के सामने डी० आई० जी० पुलिस, लखनऊ की कार से कान्स्टेबिल का टकराना

**६—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधान भवन के मुख्य बहिर्गमन एवं अन्तर्गमन द्वारों के सम्मुख विधान सभा मार्ग पर यांत्रिक यानों (आटो मोबाइल्स) की गति की कोई सीमा नियन्त्रित है ? यदि हां, तो कितनी ? और नहीं, तो क्यों ?

पुलिस उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—जी हां, विधान सभा मार्ग पर यांत्रिक यानों की अत्यधिक गति २० मील प्रति घंटा नियंत्रित है।

**७—श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या यह सही है कि सोमवार, दिनांक १२-९-५५ को लगभग ११।। बजे उक्त स्थान पर या इसके समीप ही एक पुलिस कांस्टेबिल किसी पुलिस के ही उच्चाधिकारी की मोटरकार से टकरा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो उच्चाधिकारी थे, जिनकी कार से दुर्घटना हुई थी, उनका क्या नाम और क्या पदवी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनका नाम श्री ओंकार सिंह है और वह डी० आई० जी० पुलिस हैं यहां के।

बारा-अकबरपुर, अकबरपुर-रुरा तथा रुरा-डेरापुर सड़कों की खराब हालत की शिकायत

**८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि बारा-अकबरपुर तथा अकबरपुर-रुरा और रुरा-डेरापुर सड़कों की हालत बहुत ही खराब होने के कारण कई महीनों से यातायात बन्द रहा जिसके कारण जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इन मार्गों की दशा संतोषजनक थी। कुछ पुलियों में बड़े गढ़े थे जिसके कारण यातायात में बरसात तथा अधिक वर्षा के बाद कुछ कठिनाई थी। परन्तु लगभग १ मास पूर्व दो कोट कंकड़ की कुटाई इन मार्गों में कर दी गई है। इन तीनों मार्गों की दशा अब बहुत कुछ अच्छी है और यातायात में कठिनाई नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सड़क की खराबी के ही कारण महीनों डेरापुर-रुरा आने जाने वाली बसों का आना जाना बन्द रहा ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सड़क की खराबी के कारण अब भी सवारियों पर आना जाना खतरे से खाली नहीं है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--अब तो ऐसा नहीं मालूम होता। जैसा मैंने उत्तर में बतलाया अब तो उसमें कंकड़ आदि की कुटाई आदि कर दी गयी है और अब दशा संतोषजनक है।

९-१०--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)--[स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पकड़ी ताल पम्प नहर से सिंचाई

*१--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पकड़ी पम्प कैनाल (जिला आजमगढ़) से इस साल की फसल की कितनी सिंचाई हुई है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)--पकड़ी ताल पंप नहर अभी पूरी तौर से चालू नहीं हुई है। गत रबी में परीक्षात्मक रूप से उसे चलाया गया जिससे ११२ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर के चालू होने में इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--कोई बनाने में दिक्कत हो गई होगी वर्ना तो इस बात की कोशिश है कि जो नहरें बनायी जाती हैं वे जल्द से जल्द चलाई जायं।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह पम्प नहर कब तक तैयार हो जायगी और चालू हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--वैसे तो जो उत्तर में दिया गया है कि परीक्षात्मक रूप से तो यह चलाई गयी थी और उससे सिंचाई हुई। अब मुस्तकिल तरीके से चलाई जायगी।

घोसी तहसील में सिंचाई का रेट

*२--**श्री झारखंडेराय**--क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि घोसी तहसील में सिंचाई का रेट प्रत्येक जिन्स में क्या नियत किया गया है ?

श्री राममूर्ति--घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ में सिंचाई राजकीय नलकूपों द्वारा की जाती है। सिंचाई की दर ११,००० गैलन पानी, प्रति रुपया है। १९५४-५५ की रबी में ३ आना प्रति रुपया सिंचाई में छूट दी गई है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि जो छूट ३ आना प्रति रुपया दी गयी है वह अब तक वहां पर अमल में किसानों को क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री राममूर्ति--वैसे तो सब जगह होना चाहिये क्योंकि यहां से आर्डर्स निकल गये हैं, पर अगर माननीय सदस्य की नोटिस में कोई ऐसी बात है कि किसी जगह ऐसा नहीं हुआ है तो अगर वे लिख कर देंगे तो उसको देख लिया जायगा।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२१ सितम्बर, १९५५ को प्रश्न १९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

आजमगढ़ जिले में मुअत्तल पंचायत मंत्री

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी और मार्च सन् ५५ में आजमगढ़ जिले के प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितने कितने पंचायत मंत्री मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किये गये ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—कुल तीन पंचायत मंत्री मुअत्तल किये गये । तहसील घोसी में एक, तहसील मुहम्मदाबाद में एक तथा तहसील लालगंज में एक । कोई भी पंचायत मंत्री सेवा से मुक्त नहीं किया गया है ।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पंचायत मन्त्रियों को किन-किन अधिकारियों ने कब-कब और क्योंकर मुअत्तल एवं सेवा मुक्त किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—इन पंचायत मंत्रियों को जिला पंचायत अधिकारी ने मार्च सन् १९५५ में उनके विरुद्ध आरोपों के कारण मुअत्तल किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों पंचायत मंत्रियों के खिलाफ कौन-कौन आरोप थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—एक सज्जन के खिलाफ बिना अवकाश एवं बिना सूचना के क्षेत्र छोड़ना, दुष्प्रवृत्ति तथा कार्य में उदासीनता, दूसरे के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप और तीसरे के खिलाफ बिना आज्ञा के केन्द्र छोड़ना, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना, कार्य विमुखता एवं उद्दंडता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आरोप किसके द्वारा लगाये गये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—किस ने आरोप लगाये इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इनके बारे में जो कार्यवाही की वह जिला पंचायत अधिकारी ने की ।

*६-७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये ।]

*८-१०—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये ।]

*११-१२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—[स्थगित किये गये ।]

*१३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[१९ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में बखिरा पम्प नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*१४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बखिरा पम्प नहर (जिला बस्ती) की खुदाई किस सन् से प्रारम्भ हुई ?

श्री राममूर्ति—बखिरा पम्प नहर (जिला बस्ती) की खुदाई जून, १९५४ ई० से आरम्भ हुई, किन्तु नहर के लिये जमीन मिलने में कठिनाई होने के कारण बहुत समय तक खुदाई का काम बन्द रहा । खुदाई का कार्य पुनः अक्टूबर, १९५४ ई० से आरम्भ हुआ ।

*१५—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस-किस गांव के कितने किसानों को खेत का मुआविजा दिया गया ?

श्री राममूर्ति--भूमि का अभी तक मुआविजा (प्रतिकर) नहीं दिया गया है। इसकी व्यवस्था की जा रही है। फसल का मुआविजा दिया जा चुका है।

*१६--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की जमीन नहर में निकल गई है, उनसे आज भी लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--लगान वसूल करने के समय ऐसी चेष्टा की गई है कि जोतों का लगान उस जमीन पर जो नहर बनाने में ली गई है, न लिया जावे। किन्तु पूरे आंकड़े तैयार न होने के कारण जोतों का कुछ भाग लिये जाने के कारण ऐसा सम्भव है कि पूरे खाते का लगान वसूल कर लिया गया हो। यदि और ऐसी स्थिति में उसका मुजरा दिया जायेगा।

श्री राजाराम शर्मा--फसल का प्रतिकर प्रत्येक गांव में कितना दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--यह तो बड़े व्यौरे का सवाल है, इसका इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि मुआविजा शीघ्र से शीघ्र भूमि का दिया जा सके ?

श्री राममूर्ति--अधिष्ठाता महोदय, यह तो सदन में पहले भी बतलाया जा चुका है कि हमने ५ स्पेशल आफिसर्स को एप्वाइंट किया है और हम इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा लोगों को दे दिया जाय।

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगान में कितना रुपया ज्यादा वसूल कर लिया गया जो वसूल नहीं करना चाहिये था ?

श्री राममूर्ति--यह तो बड़े व्यौरे का सवाल है। मेरे पास इस समय रकम मौजूद नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमीन की रुकावट का क्या कारण है और लैंड रिक्वीजीशन ऐक्ट को सरकार ने काम में क्यों नहीं लिया ?

श्री राममूर्ति--कारण यह होता है कि लोगों को जमीन बहुत प्यारी होती है और अक्सर लोग देने में हुज्जत करते हैं, इसलिये खुदाई में दिक्कत पैदा हो जाती है। सरकार की कोशिश यही होती है कि समझौते के द्वारा समझा बुझा कर काम कर लिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने किसानों से कितनी जमीन ली गई है ?

श्री राममूर्ति--मुझे इसके लिये सूचना की जरूरत है।

हाउसिंग मंत्रियों की शिमला बैठक की सिफारिशें

*१७--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या सरकार के हाउसिंग मन्त्रियों की जो बैठक शिमला में हुई थी उसकी सिफारिशों की एक प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--राज्य के हाउसिंग मंत्रियों की जो बैठक शिमला में हुई थी उसके प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८२-४८८ पर।)

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि इस कांफ्रेंस ने यह सिफारिश की थी कि लो इंकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उसकी इंट्रेस्ट कम कर दी जाय, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--जो उसकी सिफारिशें हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है मगर गौर किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत कोई कार्य शुरू करने का विचार कर दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मेरा ख्याल है मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग के लिये कोई बातचीत कांफ्रेंस में नहीं हुई थी और न उसका कोई रेजोल्यूशन है ।

राज्य के विभिन्न स्थानों में हाईकोर्ट शाखा खोलने की मांग

*१८--**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ में हाईकोर्ट की कोई शाखा स्थापित की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर--यह प्रश्न इस वक्त विचाराधीन नहीं है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या नैनीताल में न्याय विभाग की स्टैंडिंग कमेटी ने इस संबंध में सिफारिश की थी कि मेरठ में एक डिवीजन खोला जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इस किस्म की बातचीत वहां जरूर हुई थी ?

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री को कुछ ऐसे भी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं कि एक शाखा आगरा में स्थापित होनी चाहिये ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, आगरे के अलावा और भी जगह हैं ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट्स असोसियेशन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार को मिला है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, गालिबन एक रिप्रेजेंटेशन आया है ।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या सरकार बतायेगी कि जिस वक्त लखनऊ और इलाहाबाद का अमेलगमेशन हुआ था उस समय इस समस्या पर विचार कर लिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त इस मखसूस समस्या पर विचार किया गया था या नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आगरे से जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पास होकर आया है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--इसका जवाब दिया जा चुका है । ऐसा प्रस्ताव आया है ।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रकार की शाखायें खोलने के लिये प्रान्त के और भी क्षेत्रों से आवेदन-पत्र आये हैं या मांगें की गयी हैं ?

अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं ।

नोट--तारांकित प्रश्न १८ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछा ।

लखनऊ नगरपालिका में हाउस तथा वाटर टैक्स की दरें

*१९--**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के क्या रेट्स हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में इस समय हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के रेट्स निम्नलिखित हैं:--

हाउस टैक्स

उन इमारतों अथवा भूमि अथवा दोनों पर जिनकी वार्षिक रेन्टल वैल्यू (rental value)

	दर
(अ) ६० रु० या अधिक से लेकर ६०० रु० तक हो . .	४ ७/३२ प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ब) ६०० रु० से अधिक लेकिन ९०० रु० से कम हो . .	५ ५/८ ,,
(स) ९०० रु० या अधिक लेकिन १८०० रु० से कम हो	११ १/४ ,,
(द) १८०० रु० या अधिक हो . .	१६ ७/८ ,,

वाटर टैक्स

उन इमारतों अथवा भूमि अथवा दोनों पर, जिनकी वार्षिक रेन्टल वैल्यू (rental value) १८० रु० या अधिक हो--८ ७/१६ प्रतिशत प्रतिवर्ष । उन इमारतों पर जिनकी वार्षिक रेन्टल वैल्यू (rental value) १८० रु० से कम है, कोई वाटर टैक्स नहीं लगाया जाता है । ऐसी इमारत में यदि कोई वाटर कनेक्शन (water connection) लेता है तो उसे मीटर के द्वारा अथवा फरूल रेट (ferrule rate) के हिसाब से पानी के चार्जेज (charges) देने होते हैं, जो ३/८ इंच के लिए २२ रु० १३ आना और १/२ इंच के लिये ३३ रु० १२ आ० हैं । हाउस और वाटर टैक्स, दोनों में, यदि प्रतिवर्ष अप्रैल से सितम्बर तक का टैक्स ३१ मई तक, और अक्तूबर से मार्च तक का टैक्स ३० नवम्बर तक, अथवा बिल की प्राप्ति की तिथि से २ महीने के अन्दर, भुगतान हो जाता है, तो ११ १/९ प्रतिशत छूट दी जाती है ।

*२०--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में मकानों का असेसमेंट पिछले मर्तबा कब हुआ था ?

श्री कैलाश प्रकाश--लखनऊ म्युनिसिपैलिटी में पिछला पंचवर्षीय एसेसमेंट मार्च, १९५३ में समाप्त हुआ था और १ अप्रैल, १९५३ से लागू हुआ था ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी के पास इन रेट्स को रिवाइज करने के लिये भी कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री सैयद अली जहीर--हां, प्रस्ताव तो आया है लेकिन कायदा यह है कि ५ वर्ष के के लिये लागू होता है और जब ५ वर्ष खत्म हो जायंगे तो १९५८ में कायदे से फिर रिवाइज किया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो रेट्स लागू हैं यह अन्य काबाल टाउन्स से मिलते-जुलते हैं या उनसे अधिक हैं ?

श्री सैयदअली जहीर--इस वक्त सब काबाल टाउन्स के रेट्स मेरे पास नहीं है कि जिनसे मैं मुकाबिला करके बता सकता ।

*२१--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[हटा दिया गया ।]

जौनपुर को बाढ़ से बचाने के लिए दहीरपुर नाले के पुनरुद्धार की आवश्यकता

*२२—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—जौनपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिये किसी जमाने में दहीरपुर के नाले से पानी के निकास का जो मार्ग बनाया गया था क्या सरकार उसके पुनरुद्धार करने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर शहर के समीप दहीरपुर नाले द्वारा पानी के निकास के मार्ग के संबंध में जांच-पड़ताल की जावेगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जांच-पड़ताल अभी शुरू नहीं हुई है क्या ?

श्री राममूर्ति—बरसात के बाद यह सब बातें की जाती हैं । आजकल की जमाने में मुश्किल है, जब तक पानी नहीं घटता तब तक जांच-पड़ताल कैसे होगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इंजीनियर्स बराबर नदी के किनारे और नालों पर चक्कर लगाया करते हैं और इसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इससे तो माननीय सदस्य को बड़ी खुशी होनी चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर जिले के लिए बाढ़ योजनायें

*२३—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार जौनपुर जिले को गोमती, सई और बसुही नदियों की बाढ़ से बचाने के लिये कौन सी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में २,५०० जलमग्न ग्रामों को बाढ़ की ऊंचाई से ऊपर उठाने की एक योजना प्रान्तीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने मंजूर की है। इस योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में २५० ग्रामों को, जो नदियों के किनारे स्थित हैं और बार-बार बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, ऊंचा उठाया जावेगा। विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात् नदियों की बाढ़ नियंत्रण योजनायें और जल निकास की योजनाओं पर विचार किया जायगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि उंचनी खुर्द को ऊंचा करने के लिये जमीन एक्वायर की गयी थी और उसकी हदबन्दी भी हो गयी थी लेकिन उस योजना को छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये सूचना की जरूरत है। मेरे पास यह डिटेल नहीं है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो गांव नदियों से कट गये हैं अगर वह ऊंचे करने के योग्य नहीं हैं तो उनको ऊंची जमीन पर बसाने की सरकार कोई योजना बनायेगी ?

श्री राममूर्ति—अगर जमीन मिल जायगी तो वहां पर बसाने के लिये सरकार जरूर कोशिश करेगी ।

जिला तथा म्युनिसिपल बोर्डों के कर्मचारियों की डिसमिसल अथवा डिगरेडेशन के खिलाफ अपीलें

*२४—**श्री इस्ताफा हुसैन** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार के पास जिला बोर्डों के मुलाजमीन की dismissal अथवा

नोट—तारांकित प्रश्न २४–२५ श्री देवकी नन्दन विभव ने पूछे ।

degradation के खिलाफ कितनी अपीलें इस समय Pending हैं और उनमें से दो वर्ष से अधिक समय की कितनी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्ड कर्मचारियों की कोई अपील डिग्रेडेशन आज्ञा के विरुद्ध सरकार के विचाराधीन नहीं है। डिसमिसल आज्ञा के विरुद्ध तीन अपीलें विचाराधीन हैं जिनमें केवल एक दो वर्ष से अधिक की है।

*२५—श्री इस्तफा हुसैन (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि नगरपालिकाओं के मुलाजमीन की dismissal अथवा digradation के विरुद्ध कितनी अपीलें उसके पास pending हैं ? इनमें से दो वर्ष से अधिक समय की कितनी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—dismissal अथवा degradation के विरुद्ध १०३ अपीलें pending हैं। इनमें से कोई भी दो साल से अधिक समय की नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि ये अपीलें जो पेंडिंग होती हैं उनको यदि बाद में रेस्टोर किया जाता है तो उनको वेतन देना पड़ता है जिससे उनको हानि होती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, कभी देना भी पड़ता है, और कभी नहीं देना पड़ता है। जैसा केस होता है उसमें निर्णय के अनुसार वैसी कार्यवाही होती है।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जैसा कि उन्होंने जवाब में कहा वे मामले कब तक पेंडिंग में रहेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई निश्चित तिथि में नहीं दे सकता। शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जाता है।

*२६-२७—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में सरयू के कटाव को रोकने के लिए योजना

*२८—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भागलपुर नदौली, और चुरिया ग्राम, तहसील सलेमपुर (देवरिया) को सरजू के कटाव से रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—एक योजना घाघरा नदी से दोनों किनारों को कटाव से बचाने के लिये तैयार की गई थी किन्तु कार्यान्वित नहीं हुई क्योंकि अयोध्याघाट से बिहार प्रान्त की सीमा तक कटाव को रोकने में १०० करोड़ रुपया व्यय होगा। इतना रुपया व्यय करने के पश्चात् लाभ कम होने की आशा है, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना घाघरा नदी के कटाव से आबादियों को बचाने के हेतु फैजाबाद के निच्च स्थल से बिहार सीमा तक रखी गई है जिसका अनुमानित व्यय २० करोड़ रुपये निर्धारित हुआ है और यदि भारत सरकार से यह रुपया प्राप्त हुआ तो अत्यधिक क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वप्रथम यह योजना कार्यान्वित की जायगी।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गांव कट रहे हैं उन सबके लिये अगर १२० करोड़ रुपया व्यय तुरन्त न किया जाय तो थोड़े से गांवों को बचाने के लिये सरकार कुछ रुपया व्यय कर सकती है ?

श्री राममूर्ति—कोई गांव अगर कट रहे हैं उसकी सूची बतलायी जाय। यह मसला देखने का है। ऐसे कहना मुश्किल है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--प्रश्न में जो तीन गांव दिये हुये हैं भागलपुर, नवौली और चुरिया, तो क्या सरकार इनको बचाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--इन तीनों गांवों के बारे में इंजीनियर की रिपोर्ट यह है कि इनके लिये फौरी कोई काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन पर जो बांध वगैरह बनेगा उस दरिया का बहाव इस प्रकार है कि वह उसकी ठोकर से रुक नहीं सकेगा। इसलिये अभी वह कार्य मुनासिब नहीं समझते हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--जिस तरह से बलिया जिले में ठोकर बनायी गयी है तो क्या उसी तरीके से ठोकर से यहां पर नहीं बचाया जा सकता है ?

श्री राममूर्ति--हर जगह पर ठोकर लगाना मुनासिब नहीं होता है।

नजूल ऐक्ट के नियमों में संशोधन

*२९--श्री इस्तफा हुसैन (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार ने नजूल ऐक्ट के नियमों में कुछ संशोधन किये हैं जिससे कलेक्टरों को पहले से अधिक अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों की एक प्रति मेज पर रखेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--संशोधित नजूल नियम १६ की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८९ पर।)

तहसीलदारों के यहां इस्तगासे दायर करने के अधिकार की मांग

*३०--श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--क्या सरकार जनता की सहूलियत के लिये मुफस्सलात में तहसीलदारों के यहां फौजदारी मुकद्दमात भी दायर होने के अहकामात जारी करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--सब तहसीलदारों को पहले ही से द्वितीय श्रेणी के फौजदारी के मुकद्दमात करने का अधिकार है।

श्री मुश्ताक अली खां--जनाबवाला, मैंने यह दरियाफ्त किया था कि इस्तगासे तहसीलदार के यहां दायर होते हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं यह समझता हूं कि जब उनको फौजदारी के मुकदमे करने का अधिकार है तो इस्तगासे भी जरूर दायर होते होंगे।

अधिष्ठाता--नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर--तो इसका जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मुश्ताक अली खां--मैं माननीय मंत्री जी की इत्तिला के लिये यह गुजारिश करूंगा कि मेरे जिले बदायूं में इस्तगासे दायर नहीं होते हैं तो क्या मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब अहकामात जारी करेंगे कि वहां पर मुकदमे दायर होने लगें।

श्री सैयद अली जहीर--सूरते हाल इस वक्त यह है कि तहसीलदारों के पास काम इतना ज्यादा है जिसकी वजह से काम करने के लिये उनको वक्त नहीं है। इस वजह से मुमकिन है कि वह इस्तगासे न लेते हों।

स्वतंत्रता के अमर शहीदों के स्मारक बनाने का विचार

*३१--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने स्वतन्त्रता के युद्ध के कुछ शहीदों के स्मारक बनाने का निर्णय किया है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री दल बहादुर सिंह ने पूछे।

सूचना मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---स्वतन्त्रता के अमर शहीदों के स्मारक बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*३२---श्री रामनरेश शुक्ल (अनुपस्थित)---यदि हां, तो ये स्मारक किन-किन शहीदों के और किस-किस स्थान पर बनेंगे?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---यह प्रश्न भी अभी विचाराधीन है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--- क्या शहीदों की कोई सूची सरकार द्वारा बना ली गई है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---सूची बन रही है। असल में एक समिति बनी थी माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में और उसने जो कुछ निर्णय किया है वह अभी सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शहीदों के स्मारक किस रूप में बनाये जायेंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस सम्बन्ध में एक कमेटी बैठाई गई है जिसमें कई आर्चिटेक्ट्स हैं, और कुछ लोग भी हैं। जो स्मारक की किसी मूवमेंट की यादगार में होंगे जाहिर बात है किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं हो सकती, उसके लिये आर्चिटेक्ट्स सोच रहे हैं क्या रूप हो, स्तम्भ का रूप हो या कोई दूसरा रूप हो। अगर किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में स्मारक होगा तो उसकी मूर्ति रखने की कोशिश की जायगी।

*३३-३५---श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---[स्थगित किये गये।]

महानगर हाउसिंग कालोनी में प्लाटों का लीज पर दिया जाना

*३६---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Maha Nagar Housing colony में Plots बिकना शुरू हुये हैं या नहीं? यदि हां, तो किस कीमत पर?

श्री कैलाश प्रकाश---महानगर हाउसिंग कालोनी में Plots विक्रय नहीं किये जाते हैं परन्तु lease (पट्टे) पर दिये जाते हैं। Plots का lease पर देना आरम्भ हो चुका है। प्लाट का Premium उनकी स्थिति के अनुसार ६ आना से आठ आना प्रति वर्ग फुट रखा गया है और इसके अलावा प्रति वर्ष २०० रु० प्रति बीघा किराया भी देय होता है जो मकान बन जाने पर आधा हो जाता है।

*३७---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Plots को बेचने का क्या तरीका है?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर में कहा गया है कि यह प्लाट्स पट्टे पर दिये जाते हैं। Lessee के प्रार्थना-पत्र के साथ जो कि Administrator Municipal Board के पास भेजे जाते हैं, २५० रु० पेशगी देना पड़ता है। उसके बाद वह प्रार्थना-पत्र जब एलाटमेंट कमेटी (Allotment Committee) से स्वीकृत हो जाता है तब यह धनराशि देय Premium में सम्मिलित कर ली जाती है। शेष Premium किस्तों में ६ महीने के अन्दर देय है।

*३८---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार Writers, Poets, Politica Sufferers को कोई Concessions इनकी कीमत में दे रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं। महानगर योजना no-profit no-loss सिद्धान्त पर कार्यान्वित की जा रही है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इन प्लाट्स पर ऊपर से नजराना वसूल करके वे बेचे जा रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को पता है कि प्लाट्स के बेंचने में फस्ट कम फस्ट सर्व्ड का उसूल नहीं माना जाता है बल्कि सरकारी अफसरों को पहले और पब्लिक को बाद में दिये जाते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा उत्तर में बतलाया गया है, प्रार्थना-पत्र आते हैं जो एलाटमेंट कमेटी के सामने रखे जाते हैं और उसके स्वीकार करने पर प्लाट दिये जाते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह बात सही है कि बहुत से प्लाट्स बुक्ड नहीं थे और उनके लिये मोहन कम्पनी ने झूठे नाम दर्ज कर लिये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्लाट्स के बेंचने का कोई सवाल ही नहीं है। वे तो लीज पर दिये जाते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—मेरा मतलब एलाटमेंट या लीज से ही है कि जो २५० रु० अरनैस्ट मनी लिया जाता है तो बहुत से प्लाट्स ऐसे थे जो लीज आउट नहीं हुये थे लेकिन वे किसी न किसी के नाम पर रजिस्टर पर दर्ज हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कुछ पता दें तो वह देखा जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि फस्ट कम फस्ट सर्व्ड स्लोगन के अनुसार लोगों की अर्जियां आईं लेकिन उनको न देकर ऐसे कर्मचारियों या आफीशल्स को दिये गये, जैसे इंजीनियर्स, जो बाद में अर्जियां आईं और पब्लिक को नहीं दिये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस हाउस में सरकार ने एक दफा महानगर के बारे में कहा था कि राइटर्स और पोएट्स को महानगर के प्लाट देने में विशेष सहूलियतें दी जायंगी ? यदि हां, तो उनके देने में क्या देर है ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर वे अर्जी देंगे तो उन पर सिम्पैथेटिकली गौर किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मोहन कम्पनी वही कम्पनी है जिसके ऊपर दिल्ली में ४२० का मुकदमा चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि इस कम्पनी पर ४२० का मुकद्दमा चल रहा है और इसलिये इसे हटा दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है और वह डिटेल बतावेंगे तो सरकार अवश्य जांच करावेगी।

श्री भगवान सहाय—यह जो सिम्पैथेटिकली गौर किया जायगा तो वह मोहन कम्पनी करेगी या सरकार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जवाब में कहा गया है कि एलाटमेंट कमेटी गौर करती है।

*३९-४०—**श्री बद्री नारायण मिश्र**—[१९ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

रामपुर नगरपालिका को सड़कों के निर्माण के लिए सहायता

*४१--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर नगरपालिका को वर्ष १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में सड़कों के नव निर्माण तथा मरम्मत निमित्त कितना धन सरकार ने दिया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--१९५४-५५ में ९१,१०० रु० और १९५५-५६ में १,०८,५०० रु० के अनुदान दिये गये।

*४२--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त धन का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है तथा रामपुर की सड़कें अत्यन्त ही बिगड़ी हुई अवस्था में हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--१९५४-५५ तथा १९५५-५६ में दिये गये अनुदानों के व्यय करने की अवधि ३१-३-५६ तक है। १९५४-५५ में दिया गया धन सड़कें बनाने में व्यय हो रहा है। १९५५-५६ में दिया गया धन अभी काम में नहीं लाया जा रहा है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार को पता है क्या वह इस बात की जांच करावेगी कि २ साल में १,९९,६०० रुपया अनुदान लेने पर भी रामपुर की नगरपालिका ने सड़कों पर एक पैसा भी नहीं लगाया और वहां की सड़कों में गड्ढे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार की जानकारी है कि वहां सड़कें बन रही हैं और काफी धन इसमें से सड़कों पर लगाया गया है।

*४३-४५--श्री हमीद खां (जिला कानपुर)--[१३ अक्तूबर, १९५५, के लिये प्रश्न २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६-४८--श्री नेकराम शर्मा--[स्थगित किये गये।]

हमीरपुर में जमुना और बेतवा पर पुल की आवश्यकता

*४९--श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)--क्या हमीरपुर में जमुना और बेतवा के पुल बनवाने पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं। उक्त पुलों की लागत अधिक होने के कारण वित्तीय संकट को देखते हुये इसका निर्माण उचित नहीं समझा गया।

श्री श्रीपति सहाय--क्या यह सही है कि इस साल जब पुलिस का मुकाबला बिन्दासिंह डाकू के गिरोह से हुआ तो पुल न होने से पुलिस की सहायता नहीं पहुंच सकी और उसके बारे में पुलिस ने शिकायत की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--दोनों पुलों पर क्या एस्टीमेट बनाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--एस्टीमेट तो कोई नहीं बनवाया गया लेकिन इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि यमुना के ब्रिज की डैंकिंग में ही केवल ४१ लाख रुपया खर्च होता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का प्रश्न सरकार के सामने है, इसलिये यह पुल सरकार नहीं बनवा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना चाहिये।

उन्नाव जिलान्तर्गत कुछ गांवों को टाउन एरिया बनाने का सुझाव

*५०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार का इरादा उन्नाव जिलान्तर्गत बीघापुर, घाटमपुर और मगरामर ग्रामों को टाउन एरिया घोषित करने का है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं प्राप्त हुआ।

नहरों से आबपाशी की दरें

*५१—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नहरें हैं? उनके कितने डिवीजन्स हैं?

श्री राममूर्ति—इस प्रदेश में ४३ नहरें और उनसे संबंधित ३७ डिवीजन हैं।

*५२—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन नहरों पर महसूल आबपाशी की दरें क्या-क्या हैं?

श्री राममूर्ति—भिन्न-भिन्न नहर पर प्रचलित दरें मेज पर रखी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई हैं। इन दरों पर रबी १९५४–५५ से लगभग ३ आने प्रति रुपया की छूट दी गई है। यह छूट सम्पूर्ण सिंचाई दरों का १/६ अंश है और भविष्य में उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि कोई दूसरा आदेश नहीं जारी किया जाता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४९०–४९२ पर)

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ३ आने प्रति सैकड़ा छूट किस आधार पर दी गई?

श्री राममूर्ति—जो दर बढ़ाई गई थी उसका आधा कर दिया गया है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यमुना नहर पर ३२ रुपये का महसूल और दूसरी जगह १६ और साढ़े सात रुपया क्यों है? यह अन्तर क्यों है?

श्री राममूर्ति—जहां नहरों में पानी लगातार मिलता है वहां के लिये ३२ रुपये हैं और इर्रेग्यूलर सप्लाईज के लिये रेट कम है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जबकि नहरों पर ३ आना रुपया की छूट दी गयी है तो नलकूपों पर क्या छूट दी गयी है?

श्री राममूर्ति—नलकूपों पर भी ३ आना रुपया छूट दी गयी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मुख्य नहरों के विभिन्न रेट्स क्या हैं?

अधिष्ठाता—यह तो बड़े डिटेल का सवाल है, इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

सिकन्दरपुर-रेवती सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० में लेने का विचार

*५३—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सिकन्दरपुर-बांसडीह-रेवती सड़क को P. W. D. में लेने का वह विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को सम्मिलित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। यदि उस योजना में यह सड़क सम्मिलित हो गई तो इसको इस योजना काल के अन्दर बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री शिव मंगल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर-बांसडीह सड़क को फर्स्ट फेज में रक्खा गया था?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--फर्स्ट फेज में उसको नहीं रक्खा गया था।

श्री शिवमंगल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह सड़क बलिया जिले के ६ टाउन एरियाज में से ५ टाउन एरियाज में से गुजरती है और इस सड़क की हालत ठीक न होने से प्रशासकीय कार्य में भी बड़ी दिक्कत होती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सम्भव है।

श्री शिवमंगल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क जिस क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण ६ महीने तक आवागमन बन्द रहता है तो क्या सरकार इस बात को विचाराधीन रखते हुये उसको पी० डब्लू० डी० में लेने की कृपा करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसी कारण से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जा रहा है।

*५४-५६--**श्री हरगोविन्द पंत** (जिला अल्मोड़ा)--[स्थगित किये गये।]

*५७-५८--**श्री रामदुलारे मिश्र**--[१९ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

म्युनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, कोसी, में नवीं और दसवीं कक्षाओं को फिर से खोलने का आदेश

*५९--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नगर पालिका द्वारा बन्द म्युनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल को सरकार ने खोलने का आदेश दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कैलाश प्रकाश--कोसी नगरपालिका द्वारा चालित हायर सेकेंडरी स्कूल बन्द नहीं हुआ था, बोर्ड ने केवल हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षायें ९ और १० बन्द कर दी थीं। सरकार ने इन कक्षाओं को चालू रखने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं और इन आदेशों का पालन किया जा रहा है।

श्री रामहेत सिंह--क्या यह सही है कि म्युनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीं और दसवीं कक्षा के लड़के हिन्दू इन्टर कालेज में अनियमित तरीके से दाखिल कर लिये गये थे?

श्री कैलाश प्रकाश--यह सही है कि हिन्दू इन्टर कालेज में ज्यादा लड़के दाखिल कर लिये गये थे; वे कहां के थे, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की इजाजत सरकार के द्वारा दी गयी थी लेकिन चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, कोसी, ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, सरकार ने आदेश जारी किये कि नवीं और दसवीं कक्षायें चलायी जायं, प्रेसीडेंट म्युनिसिपैलिटी की यह मंशा नहीं थी कि वह चलाये जाने चाहिये।

[श्री कैलाश प्रकाश]

लेकिन सरकार ने फिर आदेश दिये हैं कि जनसाधारण की आवश्यकतानुसार वे कक्षायें चलायी जायं। अब उन आदेशों का पालन किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जब हायर सेकेंडरी एजूकेशन के लिये म्युनिसिपल बोर्ड्स को यह जरूरी नहीं है कि वह इन कक्षाओं को खोले तो सरकार ने क्यों जबरदस्ती हुक्म दिया कि यह कक्षायें खोली जायं ?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार ने यह भी आदेश दिया था कि जो म्युनिसिपल बोर्ड्स के स्कूल चल रहे हैं वे चलते रहें। जब जन साधारण की यह मांग आयी कि इन कक्षाओं को चलाया जाय तो जनसाधारण के हित में यह आज्ञा दी गई कि इन कक्षाओं को चलाया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—क्या यह सही नहीं है कि जो हिदायत दी गयी थी वह यह थी कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड चाहे तो चलाये और अगर वह न चाहे तो न चलाये और जब वहां एक दूसरा अच्छा स्कूल मौजूद है तो यह क्यों जबरदस्ती म्युनिसिपल बोर्ड के साथ की गयी कि वह उसको जरूर चलावे ?

श्री कैलाश प्रकाश—क्योंकि वहां दो स्कूलों की आवश्यकता समझी गयी। इसके पहले भी वहां दोनों स्कूल चल रहे थे और उस स्कूल के न होने से वहां के विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस होती।

श्री मुश्ताकअली खां—जब म्युनिसिपल बोर्ड की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सेकेंडरी एजकेशन दे, तो अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि उन स्कूलों को चला सके, तो क्या सरकार उन स्कूलों को अपने इन्तजाम में ले लेगी और उनको चलायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह देख लिया गया कि म्युनिसिपल बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। स्कूल जो बन्द था उसकी वजह यह थी कि प्रेसीडेंट दूसरे स्कूल में भी दिलचस्पी रखते हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि क्या वे उस उसूल में यकीन करते हैं कि लोकलबाडीज को फोर्स करके सरकार जो चाहे वह करा ले या वे इस उसूल में यकीन करते हैं कि लोकल बाडीज के काम में कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिये ?

श्री कैलाश प्रकाश—लोकल बाडीज अपने विधान के अनुसार कुछ काम करती है और सरकार को भी विधान के अनुसार कुछ अधिकार है। जनसाधारण के हित में कुछ अधिकार सरकार के पास हैं और जब सरकार यह देखती है कि यह विधान इस्तेमाल करने की जरूरत है तो उस विधान का इस्तेमाल सरकार करती है।

श्री रामहेत सिंह—क्या यह सही है कि हिन्दू इन्टर कालेज एक पार्टी से संबंधित होने के कारण वहां के कुछ स्वतंत्र नागरिक अपने लड़कों को वहां पढ़ाना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी शिकायतें सरकार के पास भेजी थीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, इस किस्म की बहुत सी शिकायतें सरकार के पास आयीं और उसी के कारण यह आदेश जारी किया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह आदेश नगर-पालिका को म्युनिसिपल ऐक्ट की किस धारा के अनुसार दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—धारा ३५ (२) के अनुसार।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी नगर-पालिका की शिकायतों को देखते हुये और जो उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया उसको देखते हुये अध्यक्ष को हटाने की कृपा करेंगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—ये जैसे जैसे चीजें आती जायंगी और कोई उनके खिलाफ इस तरह की बातें साबित होंगी तो इस पर गौर किया जायगा।

नारायणी नहर से सींची जाने वाली भूमि

*६०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो बड़ी गंडक नारायणी नदी से वह नहर निकालने जा रही है वह किस स्थान से निकल कर वहां होती हुई किस स्थान पर समाप्त होगी और उस नहर पर कहां तक काम हो चुका ?

श्री राममूर्ति—नैपाल की सीमा से एक फर्लांग नीचे नारायणी नहर बड़ी गंडक से निकलती है। यह बढ़या चन्दा, बसुली, अग्या व परतवाल ग्रामों से होती हुई मंसूरगंज तक जाती है जहां पर प्रधान नहर समाप्त होती है।

मिट्टी का काम नहर की पूरे लम्बाई में हो गया है और ईंट, पत्थर, चूने, इत्यादि, का काम हो रहा है।

*६१—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस नहर द्वारा कितनी भूमि सींची जायेगी ?

श्री राममूर्ति—इस नहर से ३०,००० एकड़ धान, १६,२०० एकड़ रबी और ५,४०० एकड़ ईख की सिंचाई हो सकेगी।

*६२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नहर योजना में कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—इस नहर योजना पर ४९ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर के जरिये देवरिया जिले के कितने हिस्से की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—जिन इलाकों से यह नहर निकल रही है, उसमें खासी जमीन सींची जा सकेगी। अलावा उस नहर के जो उसकी छोटी छोटी शाखायें हैं और जिन पर काम शुरू कर दिया गया है, इस बात की कोशिश की गयी है कि वे सब एरिया को कवर कर लें।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस नहर पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में छोटी गंडक से भी कोई नहर निकालने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—इस वक्त तो बड़ी गन्डक का सवाल है, छोटी के बारे में मेरे पास जवाब नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बड़ी गन्डक नदी से और भी कुछ नहरें निकाली जाने वाली हैं ? यदि हां, तो वह कहां कहां से निकाली जा रही हैं ?

श्री राममूर्ति--यह जो नहर निकाली जा रही है उसका इस्तेमाल ठीक से होगा और अच्छी तरह से पानी का उपयोग होगा तो और भी उसको बढ़ाया जायगा, अभी तो ५०,००० एकड़ जमीन का इंतजाम है और आगे १ लाख एकड़ का इंतजाम करने की कोशिश की जायगी ।

आजमगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों के निर्माणार्थ आवेदन-पत्र

*६३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माल विभाग से प्रदेश के किन-किन जिलों के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों को पक्की कराने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसा कोई अनुदान सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

*६४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास आजमगढ़ जिले की बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों को बनवाने के लिये आवेदन-पत्र आया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, आया है ।

*६५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उन सड़कों को जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय बनाने का विचार करने को चीफ इंजीनियर को आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष ५४-५५ में माल विभाग से देवरिया के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सड़कों के लिए २० लाख रुपया दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैंने तो उत्तर दे दिया था कि ऐसा कोई अनुदान सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चालू करते समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों को प्रथम स्थान देने का खयाल करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिन सड़कों का सुझाव आया है उनके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है कि उन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा ।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या आजमगढ़ के बाढ़पीड़ित क्षेत्र की अम्बारी-हरौरा सड़क के सम्बन्ध में भी कोई आवेदन-पत्र दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली अलीगढ़ जिले की सड़कें

*६६--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किन किन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० के संरक्षण में लेने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले की जिन सड़कों को निर्माण विभाग अपने संरक्षण में लेगा यह अभी विचाराधीन है ।

*६७--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान से अलीगढ़ में मुकम्मिल की गई कच्ची सड़कों को पक्का कराने की योजना उसके विचाराधीन

है ? यदि हां, तो उनकी लम्बाई कुल क्या होगी और उनमें से प्राथमिकता किन सड़कों को दी जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमदान द्वारा तैयार १०० मील कच्ची सड़कों को पक्का बनाने का आयोजन है। यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से अलीगढ़ जिले में पक्की की जाने वाली सड़कों की क्या लम्बाई होगी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अलीगढ़ जिले की सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने के विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जितनी अधिक से अधिक सड़कें ली जा सकेंगी उनको लेने की चेष्टा की जायगी, वैसे सदस्य महोदय को ज्ञात होगा कि स्टार ग्रिड फारमूला के अनुसार अलीगढ़ जिले को अधिक से अधिक १४-१५ मील सड़कें, हिस्से में आती हैं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या प्लानिंग कमेटी की ओर से कोई ऐसा सुझाव भी दिया गया था कि उसके हिस्से में ३९ मील की लम्बाई आती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सम्भवतः मेरे मित्र के पास हिसाब गलत हो; मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सौ मील लम्बी जो कच्ची सड़कें पक्की कराई जायेंगी उनमें अलीगढ़ क्षेत्र की किन-किन सड़कों के बनाये जाने का विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जो सड़कें निर्माण विभाग आवश्यक समझेगा, ली जायेंगी ।

आजमगढ़ जिले में कच्ची सड़कों को पक्की करने का कार्य

*६८--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५४-५५ में कितने मील कच्ची सड़कें सरकार द्वारा पक्की की गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कोई सड़क पक्की नहीं की गई। केवल मील ९.१० घोसी-मधुवन रोड पर टाप कोट के लिये कंकर जमा करने का कार्य जारी रहा ।

अतारांकित प्रश्न

१--**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)--[स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में मऊ-गरौठा सड़क को पक्का करने की मांग

२--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला झांसी में मऊ-गरौठा रोड जो भारकुआं होकर गुजरेगी उसे पक्का बनाने का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--इस सड़क को पक्का करने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

३--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि यह कार्य पी० डब्ल्यू० डी० या विकास द्वारा सम्पन्न होगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह कार्य आवश्यक धन उपलब्ध होने पर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पन्न होगा ।

आर्टीफ़िशियल लैम्प लगाने की प्रार्थना

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या चेयरमैन साहब एक दुआ करने और आर्ज करने की इजाजत दे सकते हैं कि जो लोग इधर बैठे हुए हैं उनके लिए मैं इजाजत चाहता हूं कि ऐसा कर सकता हूं या नहीं, कि एक इस किस्म का आर्टिफिशियल ही लैम्प ऐसा लगा दिया जाय जो इधर को भी देख सके, ऐसी क्या दरख्वास्त कर सकता हूं ?

कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन की प्रार्थना

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)---मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, कल अधिष्ठाता महोदय ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक आज पहले लिया जायगा। मेरा सुझाव यह है कि जो बहस चल रही है, अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन बिल पर, वह कल समाप्त प्रायः थी। शायद एक दो साहबान और बोलें। तो पहले उसको खत्म कर लिया जाय, आज सवा बजे तक। उसके बाद जब सवा दो बजे फिर बैठें, तब इस विधेयक को लिया जाय। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, या सदन को और माननीय गेंदा सिंह को कोई आपत्ति न हों तो मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की आवश्यकता के लिये तो विरोधी दल हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि कोई सरकार की आवश्यकता हो और कठिनाई हो तो उसमें खामखा आड़ंगा न डाले। लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि यह तो आर्डिनेंस था जिस आर्डिनेंस की जगह पर हम यह विधेयक ला रहे हैं। मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि परिपाटी यह रही है कि जो आर्डिनेंस सदन के सामने से पहले जारी किये जायं, जिस वक्त सदन बैठे सबसे पहले आ जाने चाहिए और उस पर विचार हो जाना चाहिए। एक तो यह मेरी राय है। लेकिन मालूम होता है कि भूल हो गयी। और दूसरी बात यह है कि एकायक कल यह विधेयक आया। कुछ माननीय सदस्यों ने इससे शिकायत हुई कि एकायक विधेयक आ जाने पर से उनको विचार करने का मौका नहीं मिल पाता। यों तो व्यक्तिगत तौर पर इसके लिये राजी हूं। वह आवश्यक है और उसको जल्दी पास हो जाना चाहिये क्योंकि जो आर्डिनेंस है उसके बाद अधिनियम की शक्ल में आ जाना आवश्यक है। लेकिन यह बात जब बिजिनेस ऐडवायजरी कमेटी बनी हुई है तो उसके जरिये आ जाती, तो किसी को कोई शिकायत न होती। कुछ माननीय सदस्यों को कुछ जरूर इससे शिकायत हुई। मैं यह समझता हूं कि वह शिकायत मुनासिब है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने उस शिकायत को कम करने की गुंजाइश जरूर की उन्होंने शुरू में कह दिया कि अगर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति न हो। मैं समझता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी अपनी राय को बदल देंगे और उन्हें कोई आपत्ति न होगी। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विचार कर लेना चाहिए ताकि सरकार की जो परेशानी है वह दूर हो जाय।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि शायद मैं अपने आशय को अच्छी तरह प्रगट न कर सका। कल तय तो यह हुआ था कि आज पहले जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक लिया जायगा और यह जो बहस चल रही है अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन बिल पर, यह तब तक स्थगित समझी जायगी और जब चकबन्दी विधेयक पारित हो जाय तब उसके बाद यह लिया जाय। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन बिल को एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो प्रस्ताव है कल उस पर बहस हुई थी और शायद एक दो मित्र ही बोलने को हों, वह तो सवा दो बजे तक या ज्यादा से ज्यादा तीन बजे तक निपट जायगा। उसके बाद आर्डिनेंस वाला बिल ले लिया जाय। वह भी शाम तक निपट जायगा।

अधिष्ठाता---माननीय गेंदा सिंह जी ने अच्छी तरह से समझा। उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐतराज नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---कल जब यह विधेयक बांटा गया तो कोई चीज तय नहीं हुई थी। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से यह नहीं पूछा कि यह विधेयक कल आ जायगा। उन्होंने माननीय अधिष्ठाता के पास लिख कर भेज दिया। वह चेयर से सुना दिया गया। कोई चीज तय तो हुई नहीं थी। यह गवर्नमेंट की आदत सी पड़ गयी है कि जब कोई अपना बिल होता है तब कुछ पूछेंगे नहीं और जब कोई अमेंडमेंट होगा तो तुरन्त मंत्री जी कहने लगते हैं कि ११२ के अनुसार ३६ घंटे के पहले आना चाहिए। लेकिन अब ९५ के अनुसार हमें तीन दिन मिलने चाहिए। हम लोगों से आयेगा तो तुरन्त पेश करेंगे उस अमेंडमेंट को। अब मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इस किस्म की कार्यवाही करे तो कम से कम हम लोगों से पूछ तो लिया करे कि जिससे सुविधा हो जाया करे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एक बजे तक इस बिल पर बहस होगी तो मैं पूछना चाहता था कि जो यह बिल चल रहा है नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश, क्या उस पर गिलोटीन कर रहे हैं, या सदन की अनुमति या विशेष लोगों की राय ले रहे हैं।

अधिष्ठाता---उन्होंने एक बात कही, कोई सदन की राय नहीं है। मैं यह सब बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यों तो आम तौर से जो बहस कल हो रही थी नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक पर वह आज जारी रहनी चाहिये थी, मगर मालूम यह होता है कि यह विधेयक जो चकबन्दी के विषय में है, वह बहुत जरूरी था और कल इसके बारे में सूचना भी दे दी गई थी। इस वास्ते एजेंडे पर लाया गया। अब माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो यह बात कही कि उनको ३ दिन का नोटिस इस बिल के लिए चाहिये तो वह नोटिस जो है, जो विधेयक विधान परिषद् से इस सदन में आता है उसके लिए कोई तीन दिन की नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिये नियम १३३-१३४ देख लेंगे तो उससे स्पष्ट हो जायगा।

अब रही सदन में वाद-विवाद की बात। तो कल जिस विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा था वही विवाद आज जारी रहेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---कल आखिर में ऐलान किया था चेयरमैन साहब ने ?

अधिष्ठाता---यह मैंने देख लिया है।

† उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कल इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर रहा था और मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान माननीय मंत्री जी द्वारा ईमानदारी से स्वीकृत किये गये कुछ प्रश्नों तरफ ले जाना चाहता था जो उनके लेखपालों के संबंध में थे। माननीय मंत्री जी ने कल स्पष्ट शब्दों में सदन के समक्ष स्वीकार किया कि उनके लेखपाल असमर्थ हैं कि वह जमीन के सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकें जिससे उनको सुविधा हो कि वे नगरों में जमींदारी एबालीशन के काम को आसानी से कर सकें। यह एक स्पष्ट बात माननीय मंत्री ने कल स्वीकार की।

श्रीमन्, यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है जिसकी प्रतीक्षा आज ५ साल से हम कर रहे हैं और यह विधेयक इसलिये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने की कल्पना और घोषणा करने के पहले हम एक वेलफेयर की बात करते थे और इसीलिये देहाती जमींदारी का नाश किया। उसके ऊपर आप सरसरी दृष्टि डालें और देखें कि

---

† १९ अगस्त, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामेश्वर लाल]

जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की गर्जना करते हैं, चाहे जवाहर लाल नेहरू हों, या धेबर भाई हों या इस राज्य के मंत्रिगण, तो उस पैटर्न में यह नागर क्षेत्र की जमींदारी तोड़ने का जो विधेयक प्रस्तुत है किस प्रकार से आता है और उसपर बड़ी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि इस विधेयक में सोशलिज्म है कहां। श्रीमन्, मेरा दावा है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अवगत करायें इस सदन को कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक जो उन्होंने सदन के स्वीकारार्थ प्रस्तुत किया है इसमें सोशलिज्म है कहां? हमने देखा कि जब हम वेलफेयर स्टेट की कामना करते थे तो हमने जो देहाती क्षेत्र की जमींदारी का विनाश किया उसमें हमने जमींदारों को ८ गुना, १० गुना और १५ गुना दिया। जो छोटे जमींदार थे वे १५ गुना तक पाये और जो बड़े जमींदार थे उन्होंने मुनाफे का ८ गुना प्राप्त किया। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश में जमींदारों को १६ गुना दिया जायेगा चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समाजवादी ढांचे की राज्य व्यवस्था बनाने का जो मतलब उधर के बैठने वाले समझते हैं उसका प्रतिपादन माननीय मंत्री जी ने किया है। उसका मतलब यह है कि सबको बराबर कर दिया जाय। जो आज करोड़पति हैं उसको भी उतना ही मुआविजा दिया जायगा जितना उसको दिया जायगा कि जो आज कौड़ीपति है। जो व्यवस्था मंत्री जी ने अपनायी है उसमें साफ है कि जो जमींदार होगा वह मुनाफे का १६ गुना प्राप्त करेगा। हमने देखा कि जब हमारा नारा वैलफेयर स्टेट का था उस वक्त देहातों में जमीन जो परती थी उस पर ग्राम समाज या सरकार का कब्जा कुछ अंशों में था। परती रखने का किसी का भी अधिकार नहीं था। हमने जो विधेयक पास किया उसमें साफ था कि कलेक्टर को अधिकार है कि वह परती रखने वाले को नोटिस देने के बाद यदि वह परती रखना चाहता है तो कब्जे में कर ले और ग्राम समाजों को भी परती जमीन पर अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन आज हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का जब नारा लगाते हैं तब हम देखते हैं कि एक जमींदार को जमीन पर कब्जा रखने का हक है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको ज्यादा मुआविजा देना पड़ेगा चूंकि शहर की जमीन कीमती है और चूंकि उनके पास सही आंकड़े जमीन के नहीं हैं। इसलिये उन जमीनों को वह नहीं लेने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को छूट देने जा रहे हैं कि जितनी कीमत पर चाहें उसको बेंचें। श्रीमन्, यह समाजवादी ढांचे की राज्य व्यवस्था का श्रीगणेश माननीय मंत्री जी ने नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। श्रीमन, आगे आप देखेंगे कि माननीय मंत्री जी ने कल कहा था और स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था, कि शहरों की जमीन के सही आंकड़े उनके पास नहीं हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या आधार है उनके यह कहने का। क्या इन ५ वर्षों में जब से नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक की चर्चा प्रारम्भ हुई माननीय मंत्री जी ने किसी भी एक नगर में यह चेष्टा की कि उस नगर की परती जमीन के उनके पास कोई आंकड़े हों या सर्वे करायें? मैं यह समझता हूं, और हमारा समझना, श्रीमन्, गलत नहीं है, कि यह सिर्फ एक बहानामात्र है छूट देने के लिये उन लोगों को जो नगरों में रहते हैं और नगरों और देहातों पर उनका प्रभुत्व है और सरकार को उनसे इमदाद मिला करती है। मजबूर है सरकार उनकी सहायता करने के लिये। श्रीमन्, मैंने कल चुर्क के बारे में एक प्रश्न भी किया था और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चन्द आदमियों के हाथ में यह सरकार खेल रही है। चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में आज.....

अधिष्ठाता---इस विधेयक से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का कोई संबंध नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि यह सरकार उन्हें छूट देकर क्या फायदा उठाना चाहती है और इसीलिये मैंने चुर्क का नाम लिया। वैसे कोई उसकी आवश्यकता मैं भी बहुत महसूस नहीं करता था। श्रीमन्, यह काबिले तारीफ है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। मैं एक प्रश्न आपके द्वारा करना चाहता हूं कि जब तक आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह जमीन इसी प्रकार पड़ी रहेगी या हमको आश्वासन दिया जायगा कि वह इसको प्रतिबंधित करने की चेष्टा करेंगे। अगर मंत्री जी

समझते हैं कि अगर इन जमीनों पर उनका अधिकार या सत्व लेने से नगर में अव्यवस्था फैल सकती है, मुकद्दमे बढ़ सकते हैं तो यह मुनासिब था कि यह जमीनें प्रतिबंधित की जातीं। जब तक सही आंकड़े प्राप्त किये जायं तब तक ऐसी व्यवस्था रहे ऐसी कोई बात इस बिल में नहीं है। मैं समझता हूं कि आंकड़े उपलब्ध हैं और हो सकते हैं और यदि आंकड़ों पर ही यह निर्भर है और सरकार बिना इसके कोई काम करने के लिये तैयार नहीं है तो मेरा दावा है कि यह स्टेट सोशेलिस्टिक पैटर्न की स्टेट नहीं बन सकती है। अगर गरीबों के आंकड़े नहीं हैं तो सरकार गरीबी को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठायेगी, अगर भिखमंगों के आंकड़े नहीं मिल सकते तो सरकार भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठायेगी, इसी तरह से अगर बेकारी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो फिर सरकार प्रदेश से बेकारी को दूर करने के लिये कोई कदम ही नहीं उठायेगी। जैसा कल माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया उससे तो यही सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इसलिये माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि जिन-जिन चीजों के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकेंगे तो क्या उन बुराइयों को दूर करने के लिये किसी तरह का विधान बनाने के लिये वह तैयार होंगे या नहीं।

श्रीमन्, गैरमजरुआ जमीन, पड़ती जमीन जो शहर में है, इसको न लेने से क्या होगा, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। श्रीमन्, अगर इन जमीनों को नहीं लेंगे तो हम देखते हैं कि नगरों में बहुत सी ऐसी जमीनें होती हैं जिनको सार्वजनिक कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। कहीं मेला लगता है, कहीं धार्मिक मेला लगता है, कहीं बाजार लगता है और कहीं खोन्चेवाले बैठते हैं, यदि इन जमीनों को नहीं लिया गया तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद यह एक तरह की घोषणा समझी जायगी कि इनको बेचने का अधिकार भूतपूर्व जमींदार को ही रहेगा और वही इनका मलिक होगा तो वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की बात सोचेगा और कानून की कोई धारा अधिक कीमत लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती है। इसलिये वह इनको हटाकर बेचने की कोशिश करेगा और झगड़े होंगे, मुकद्दमे होंगे, नतीजा क्या होगा, बल्वे होंगे, कत्ल होंगे, हर तरह के क्राइम बढ़ेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ऐसी जमीनें है कि जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक कार्य में हो रहा है उनको लेने का कोई न कोई इसमें प्रावीजन होना चाहिये जिससे वह जमीन सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल होती रहें, जैसी कि आज हो रही है। ऐसा प्रबन्ध मंत्री जी को करना चाहिये।

श्रीमन्, सबसे बड़ा प्रश्न इस विधेयक के प्रस्तुत करने से होता है उसकी तरफ मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देहात और शहरों में जो झगड़े होते हैं, श्रीमन्, यह बात कहने में बड़ी अप्रिय लगेगी और मेरा दिल भी नहीं कहता है कि मैं उस चीज को प्रस्तुत करूं। लेकिन मजबूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसके स्वीकृत हो जाने के बाद जो शहर और देहातों के आज झगड़े लगे हुये हैं, उनमें और वृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि इसको प्रस्तुत करने के बाद मंत्री जी की यह मंशा मालूम होती है कि शहर को अहमियत ज्यादा दी जाय और देहात के रहने वालों को मजबूर किया जाय कि वह शहर में आयें .....

अधिष्ठाता—शहर में आना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और हम समझते हैं कि शहर में आना कोई बुरी बात नहीं है यदि सरकार या मंत्री जी जैसी व्यवस्था करें कि सारे गांवों को शहर बनाया जाय और शहरों की सारी सुविधायें गांवों में मिल जायं तो फिर किसी के लिये असुविधाजनक या बुरी बात नहीं है। लेकिन, श्रीमन्, मैं तो यह देखता हूं कि आज देहात की जिन्दगी दूभर जिन्दगी है, भुखमरी की जिन्दगी है, बीमारी की जिन्दगी है, चोरों, डकैतों से लूटे जाने वालों की जिन्दगी है, क्राइम्स की जिन्दगी है और आज शहर सुरक्षित है। शहर में अस्पताल है, एजूकेशन है। आज शहर में इतनी भुखमरी नहीं है जितनी कि देहात में है। इसलिये आज शहर और देहात में एक तरह का झगड़ा है। शहर में जो माल तैयार होता है और देहात में जो माल तैयार होता है उन दोनों

[श्री रामेश्वरलाल]

की कीमत में जमीन आसमान का अन्तर है। इस अन्तर को देखते हुये मैं आज मजबूर हूं यह कहने के लिये कि आज देहात की जिन्दगी एक दूभर जिन्दगी है और माननीय मंत्री जी ने यह प्रयत्न किया है कि देहात के लोग शहर की तरफ रागिब हों या देहात और शहरों में झगड़ा हो। यह कैसे? यह मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि देहात के जमीदार का मुआविजा ८ गुना और शहर के जमींदार का मुआवजा १६ गुना। क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि इस तरह का फर्क क्यों है? बेहाल में, श्रीमन्, परती जमीन रखने के लिये अगर.....

अधिष्ठाता—आप एक ही बात को कई बार दोहरावें नहीं।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि शहर के जमींदार के साथ रियायत की गई है। यह रियायत क्यों हुई? इस पर मैंने, श्रीमन्, पहले ही आपका ध्यान आकर्षित किया। देहात में जो परती जमीन है, श्रीमन्, उसकी कीमत कम है, उसकी कीमत नहीं के बराबर है, वह तो कानूनन अधिकार में लेने की व्यवस्था है, लेकिन शहर में, जहां की जमीन कीमती है और जिसको लेने की अधिक आवश्यकता है, उसको छोड़ देने की बात कही गई है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा.....

अधिष्ठाता—इस पर आपने काफी बहस की कि माननीय मंत्री जी शहरों में जमींदारी विनाश कर रहे हैं और वहां की परती जमीन छोड़ दे रहे हैं। इस पर आप काफी बहस कर चुके। अब आगे बढ़िये।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं इस अधिनियम की कुछ गल्तियों की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले मैं धारा ३९ की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें प्रतिकर की बात कही गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दिया गया है अपील सुनने का कि अपील डिस्ट्रिक्ट जज को हो सकेगी। मैं अपनी पूरी जानकारी न होने के कारण उनसे जानना चाहूंगा कि अपने प्रांत में.....

अधिष्ठाता—मैं आपको रोकना नहीं चाहता लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। इस समय जो बहस हो रही है वह एक आम बहस हो रही है और सेक्शन को लेकर कोई बात कहना उसके लिये तो मैं समझता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायगा, उस समय इसमें जो गड़बड़ी हो या जो बदलाव करना हो, उसके लिये आप कह सकते हैं और कर सकते हैं। इस समय तो जो आम बात हो उस पर आप बहस कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल—यह विधेयक धाराओं से ही बना है, श्रीमन्।

अधिष्ठाता—यह तो मैं जानता हूं कि विधेयक धाराओं से बना है लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि यह बहस जो आप सेक्शन ३९ पर कर रहे हैं यह इर्रिलिवेन्ट सी है क्योंकि जिस समय यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा यह आप उस समय कह सकते हैं कि इसमें यह खराबी है। इस समय तो जनरल डिस्कशन होना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल—जनरली ही मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि जब हम धारावार विचार करेंगे उसका, तो उस समय हम इसमें संशोधन आदि जो कर सकेंगे, करेंगे लेकिन इस समय तो अपनी जानकारी के लिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि हमारे प्रांत के ५१ जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज कहां-कहां हैं। जब वह बहस का जवाब दें उस समय मुझे बतायें और इसलिये यह इस समय निवेदन करना आवश्यक हो गया।

श्रीमन्, मैं फिर आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि हमको पहले पास किये हुये विधेयक से इसमें विभिन्नता न रखनी चाहिये। उस में हमने रेहन वाले मामले में छूट दी है,

इसलिये मैं चाहता हूं; कि इसमें यह रख दिया जाय कि ३० एकड़ जमीन रेहन रखने वाला या पाने वाला, इन दोनों को जमीन रखने का अधिकार न हो। उस जमीन को कलेक्टर अपने कब्जे में ले जो सार्वजनिक जमीन है उस पर जनता का ही अधिकार रहना चाहिये और उस जमीन का कोई मालिक नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर एक आदमी १००,५० एकड़ जमीन जोतता है और वह किसी के यहां रेहन रखता है तो उस जमीन को लिया जा सकता है वह उस आदमी के हाथ में आनी चाहिये जो जमीन नहीं रखता है। अगर ६ महीने के अन्दर कोई आदमी उस रेहन रखने वाले के यहां निश्चित रकम जमा कर दें तो वह मालिक हो जाना चाहिये। यह निवेदन करूंगा कि इन दोनों पक्षों के लिये जो सुविधा देने की बात कही गयी है वह निकाल दी जाय। ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जोतने वाले आदमी अगर रेहन रखते हैं तो जिसके यहां रेहन रखी गयी है उससे और रेहन रखने वाले दोनों के अधिकार से जमीन निकल आनी चाहिये। उनके अधिकार से निकालने के बाद उनको मिलनी चाहिये जिनके पास कम जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है या सार्वजनिक काम के लिये उसका इस्तेमाल होना चाहिये।

हमारी पार्टी का जो बुनियादी उसूल है हमने उसको माननीय मंत्री महोदय के सामने रखा। अब मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि जो मुआविजा देने की बात कही गयी है वह हम कब तक करते चले जायेंगे। क्या आप यह समझते हैं कि हम अपने राज्य में मुआविजा देने के बाद बहुत सी बातें जो हम अपने राज्य में करना चाहते हैं उनको करने में कामयाब हो सकेंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि जो १६ गुना मुआविजा देने की बात रखी गयी है उसको माननीय मंत्री जी को कम करना चाहिये और वह उसी अनुपात से, यदि माननीय मंत्री जी देने की आवश्यकता समझते हैं, देना चाहिये कि जिस अनुपात से रूरल एरियाज के लिये आपने रखा है....

एक सदस्य—आप देने के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री रामेश्वर लाल—हम जानते हैं कि यदि हम विपक्ष में भी रहे तो भी आप उनको देकर ही रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारी ताकत आपके सामने बहुत कम है। हम इस मजबूरी को महसूस करते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि जो गलती आज आप करने जा रहे हैं उसको कम करने की ओर आपको प्रवृत्त करें। इसलिये हम चाहते हैं कि जैसे आपने रूरल एरियाज के लिये मुआविजा दिया है उसी तरह से यहां के लिये भी करें। इससे झगड़ा मिट जायगा। बस मुझे यही निवेदन करना था।

श्री रामलखन मिश्र—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—अभी बोलने वाले तो बहुत हैं। एक दो आदमी को और बोलने दिया जाय।

श्री पहलवानसिंह चौधरी (जिला बांदा)—सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई इस बात की देता हूं कि उन्होंने शहरी क्षेत्र की जमींदारी का विधेयक सदन के अन्दर बहुत ही ठीक तरीके से विचार करके रखा। हमारे कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने और विरोधी दल के सदस्यों ने इसके खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि "नाच न जानें आंगन टेढा"। उनको इस बात का तजुरबा नहीं है कि शहर और देहात की जमींदारी में कितना अन्तर है। शहर और गांव की जमींदारी के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है जिसको हमारे माननीय मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं। वह मैं आपके सामने बतलाऊं। देहातों के जो काश्तकार होते थे उनकी जमीन और घर के मालिक जमींदार होते थे परन्तु शहरों में ऐसा नहीं है। देहातों में जो खंडहर पड़े रहते थे उनका जमींदार मालिक था जिसको वह चाहते थे उनको वह उठा देते थे लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। टाउन एरिया में उसका नक्शा बना हुआ है। नगरपालिका जिन जमीनों पर काबिज है अथवा बाजार लगे हुए है उनसे लाखों रुपया पैदा किया जाता है और वे हजारों वर्ष से काबिज है। कायदे कानून से उन जमीनों पर कोई अधिकार जमींदारों को नहीं है। जमींदारों के पास नगरों के आस पास बहुत थोड़ी जमीन है या तो खेत हैं अथवा उस पर मकान बने हुए हैं, ऐसी जमीन बहुत कम है जो परती पड़ी हुई है। अगर कोई परती पड़ी हुई है भी तो उस पर जमींदारों का कोई अधिकार नहीं है। माननीय

[श्री पहलवान सिंह चौधरी]

सदस्यों ने बारम्बार जमींदारों के खिलाफ शिकायत की लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनियां में हर कौम में आदमी ईमानदार भी होते हैं और बेईमान भी। इसलिये सब जमींदारों को बुरा भला कहना उचित नहीं है। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या आपने नजूल की जमीन को नहीं देखा है, क्या कभी आपने नजूल के खिलाफ कोई शिकायत की है कि नजूल के द्वारा किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है और सताया जाता है। इस प्रकार से दुनियां में हर प्रकार के लोग हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने जमींदारों के खिलाफ बहुत कुछ कहा जब कि जमींदार अब रहे भी नहीं हैं। इस प्रकार से कहा जाना शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज शहरों के अन्दर यह है कि शहरों की जमीनों पर बहुत से बाजार हैं जिन पर जमींदारों को कोई अधिकार भी नहीं है और उससे लाखों रुपये का लाभ उठाया जाता है। जब उनका कोई अधिकार नहीं है तो परती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर २–४ बीघा कहीं परती है तो जब तक लखपतियों से बाजार और मकान आदि न ले लिये जायं तब तक उनकी जमीन न छीनी जानी चाहिये। इस प्रकार से शहर और गांव की जमींदारी में फर्क है।

माननीय मंत्री जी ने जो नागर क्षेत्र का कानून बनाया है वह बहुत ही बढ़िया बनाया है। अगर माननीय मंत्री जी उसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं तो भेज दें लेकिन नियम और कानून ऐसा बनाया जाय जिससे सबको एक समान लाभ हो। गांवों और शहरों की जमींदारी में कोई भेद न रखा जाय इसके माने तो यह हो जाते हैं कि शहरों के जमींदारों को काले पानी भेज दिया जाय। इसके सिवाय उनके पास खाने पीने और बाल बच्चों के लिये कौन सा साधन है? गवर्नमेंट उनको जो मुआविजा देती है वह कोई मुफ्त में थोड़े ही देती है। काबिज और मालिक होने का मुआविजा वह देती है। मैं गवर्नमेंट से यह आशा करता हूं कि वह जो कुछ देगी वह उचित ही देगी। शहरों में यों तो बहुत ज्यादा जमीन ही नहीं है। ३० एकड़ जमीन किस के पास होगी? जो उनके पास १०–५ बीघा है उसको भी आप चाहें और मुनासिब समझें तो ले लें। यह तो जनता का राज्य है और जनता के अन्दर जमींदार भी आते हैं तो उनके लिये भी सरकार को सोचना चाहिये। उनके खाने पीने का खयाल सरकार को करना चाहिये। इससे जमींदारों और गरीबों दोनों का ही भला हो सकता है। बाजार वगैरा जो कायम हो गये हैं सरकार को उनका भी खयाल रखना चाहिये। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना नहीं है। माननीय मंत्री जी को फिर एक बार इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही यह विधेयक तैयार किया है। इसके उद्देश्य और कारण में यह कहा गया है कि "जिन क्षेत्रों में भवन बने हुए हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है।" अधिष्ठाता महोदय, इसमें इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्रों की जमींदारी प्रथा का विनाश मगर मैंने जो डेफिनेशन पढ़ा, उसमें कृषि क्षेत्र की जो परिभाषा है उसमें यह कहीं नहीं है हिन्दी की प्रति मेरे पास है, इसमें सिर्फ प्रतिबन्ध में यह लिखा है, "किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि वह भूमि, जिस पर उपर्युक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९, की धारा ३ में परिभाषित न हों, तथा ऐसी इमारतों से सम्बद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र नहीं मानी जायगी" इसमें यह नहीं है, कम से कम हिन्दी में, कि वह ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती नहीं होती हो वह कृषि क्षेत्र न माना जायेगा। तो जहां तक उद्देश्य का ताल्लुक है वह तो सराहनीय है क्योंकि नगरों की जमींदारी और रूरल एरियाज की जमींदारी में बहुत फर्क है और दोनों ऐक्टों में फर्क होना तो लाजिमी है ही। तो जहां उद्देश्य सराहनीय है कि जिन क्षेत्रों में भवन बने हुए हैं या जहां पर खेती नहीं की जाती है, वह इस विधेयक में नहीं आता है। तो मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना सिर्फ माननीय मंत्री महोदय से यही है कि यह विधेयक जैसा बना है उससे वह बहुत कष्टसाध्य सिद्ध होता है। कृषि क्षेत्र के डेफिनेशन में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स इसके अन्तर्गत नहीं लेनी चाहिये। इसलिये मुझे यह नम्र निवेदन करना है माननीय मंत्री जी से कि अगर सम्भव हो तो इसको दुरुस्त करें, नहीं तो उनके उद्देश्य का कोई मतलब नहीं होता।

जहां तक हमारे माननीय मित्रों की स्पीचेज का सवाल है, उन्होंने इस विधेयक की आलोचना सिर्फ इसलिये की है कि जिन क्षेत्रों में भवन बने हुए हैं या जो अनकल्टिवेटेड एरियाज हैं उन पर क्यों जमींदारी कायम रखी जा रही है? उसका जवाब हमारे कुछ माननीय मित्रों ने दिया है। माननीय पहलवान सिंह जी ने उस पर काफी कहा और मैं उसका समर्थन करता हूं और अपने माननीय मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों और नागर क्षेत्रों में बहुत कुछ फर्क है। देहाती क्षेत्रों में जहां यह प्रतिबन्ध है कि आठ गुना मुआविजा दिया जायगा वहां उसके साथ ही साथ यह भी प्रोविजन है कि छोटे-छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट के रूप में दिया जायगा। यहां फ्लैट यहां रेट रखा गया है। यहां कोई ऐसा फर्क बड़े जमींदारों और छोटे जमींदारों में नागर क्षेत्रों में नहीं पाया जाता तो यहां पर सोलह गुना फ्लैट रेट रखा जाना मुनासिब है। इन चन्द शब्दों के साथ में पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य जो उन्होंने रखा है अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र की डेफिनिशन को दुरूस्त फरमा दें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, अब मेरे प्रश्न पर विचार किया जाय। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अब तो प्रश्न अवश्य ही उपस्थिति किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस तरह से बहस बन्द करने का प्रस्ताव लाना अनुचित है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे अभी....

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं इस पर कल से बहस हो रही है और इस पर काफी लोग बोल चुके हैं और माननीय मंत्री जी को इसके विषय में ऐसा आभास था कि इस पर शायद दो एक भाषण होंगे और उसके बाद कोई विवाद इस समय इस पर न होगा, यह तो माननीय सदस्यों को पहले से ही आपस में तय कर लेना चाहिए था।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(श्री जगन्नाथ मल्ल ने विभाजन की मांग की, घंटी बजी लेकिन मतदान की मांग नहीं की गई और फलतः मतदान न हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे जो निवेदन करना था वह यह था कि यदि ऐसा हो जैसा कि माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं एक छोटा सा बिल और है जिसको वह चाहते हैं कि वह भी खत्म कर दिया जाय इसलिये अब इस समय क्लोजर न करके इसी बिल को लिया जाय और वह बिल आज ही खत्म हो जायगा ऐसी हम कोशिश करेंगे। यदि वह मान लें तो ठीक हो जायगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, जो माननीय मित्र ने सुझाव दिया है मुझे उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु केवल दो बातें मुझे अर्ज करनी हैं एक तो उन्होंने लफ्ज "कोशिश" का इस्तेमाल किया है कि कोशिश करेंगे उसमें निकल जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता रह गया है। मुझे यह तलख तजुर्बा पिछली कई बार हो चुका है इसलिए पहले से विचार करके कह दें कि वह जरूर खत्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि मैं यह चाहता हूं कि साढ़े तीन बजे तक इस पर डिस्कशन खत्म हो जाय और वह जो दूसरा बिल कौंसिल से होकर आयेगा वह डेढ़ घंटे में हो जाय, क्योंकि उसमें सब प्रोसीज्योरल बात है, कोई सस्टैंशल बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि पौने तीन बजे तक इस पर डिस्कशन खत्म हो जाय और पौन घंटा मुझे चाहिये, क्योंकि इस पर काफी आपत्तियां भी हुई हैं। अगर ये दोनों बातें मेरे दोस्तों को मंजूर हों तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---ठीक है श्रीमन् ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जोरावर वर्मा का जो प्वाइंट कल सुबह था कि यह बिल देर से लाया गया है, यह हो सकता कि सन् १९५० में जिस तरह से यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था और आज सन् १९५५ में विचार हो रहा है तब भी प्रवर समिति में भेजने पर विचार करने के लिये है ।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, जो प्रस्ताव डिवीजन का आया था उसका क्या हुआ ? क्या प्रस्तावक महोदय ने उसे वापस ले लिया ?

अधिष्ठाता---वह ड्राप हो गया ।

श्री राज नारायण---किसने ड्राप किया ?

अधिष्ठाता---उन्होंने अपने डिवीजन को प्रैस नहीं किया।

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन्, इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव आया, उसका विरोध भी हुआ, उस पर बाकायदा डिवीजन भी हुआ। अब उस समय जब कि अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया और सदन ने उसको वापस करने की अनुमति नहीं दी तो उस समय क्या व्यवस्था होगी ?

अधिष्ठाता---श्री रामलखन मिश्र जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस विधेयक पर जो वाद विवाद हो रहा है उसे समाप्त किया जाय और इस पर माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने डिवीजन डिमांड किया था। इसके बाद मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी से और माननीय जगन्नाथ मल्ल से कुछ बातचीत हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि जो डिवीजन उन्होंने डिमांड किया था उसको ड्राप कर दिया। तो मामला वह खत्म हो गया। कुछ अंडरस्टेंडिंग उन दोनों पार्टियों में हो गई। ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक पर पौने तीन बजे तक बहस चलेगी, उसके बाद माननीय मंत्री जी उस पर कुछ समय तक बोलेंगे। यह तमाम बातें तय हो गईं और उसका नतीजा यह हुआ कि वह डिवीजन का प्रश्न ड्राप हो गया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह परसनल एफेयर माननीय मंत्री जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का नहीं है। वह प्रस्ताव तो जैसा कि पोजीशन है उसके हिसाब से इस हाउस की प्रापर्टी हो गया। तो माननीय मंत्री जी का और माननीय जगन्नाथ मल्ल का आपस में बातचीत करके तय कर लेना क्या उचित है ? There are so many other Parties (दूसरे भी कई दल हैं।)

अधिष्ठाता---मैं जरा साफ कर दूं। जो बात राजनारायण जी ने कही है वह बहुत कुछ अंश तक ठीक है लेकिन राजनारायण जी ने एक स्थान पर गलती की है और वह यह कि जब डिवीजन उन्होंने प्रेस नहीं किया तो अगर वह डिमांड करते तो मैं उस डिमांड को चालू करता मगर उन्होंने डिमांड नहीं किया और किसी ने भी डिमांड नहीं किया इसलिये वह ड्राप हो गया ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि एक मरतबा जब यह प्रस्ताव उपस्थित हो गया भवन में तब उसके ऊपर वोटिंग होना चाहिये। केवल यही रास्ता हमारे सामने है कि सरकार के मत से उसको निगेटिव कर दिया जाय। किन्तु जब एक मरतबा आपोजीशन की तरफ से डिमांड हो गया तो उस वक्त श्रीमन् वोटिंग लेना ही होगा। उसको हम निगेटिव कर सकते हैं। लेकिन विदड्रा कैसे इस स्टेज पर हो सकता है ?

अधिष्ठाता--बात जो माननीय सदस्य ने कही वह ठीक है। लेकिन सैंस हाउस का उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि वह इस पक्ष में है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया था वह ठीक है। इसलिये उसको ड्राप कर दिया गया। अगर कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते तो हम जरूर वोटिंग करा देते, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय सदस्य इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं और मैटर ऐसा प्रतीत हुआ कि ड्राप हो गया है।

श्री राजनारायण--आन ए प्वइंट आफ आर्डर।

श्री चरण सिंह--मैं ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूं कि प्वाइंट आफ आर्डर उठाने पर भी बैठ नहीं रहा हूं, क्योंकि प्वाइंट आफ आर्डर का मिस्यूज हो रहा है वरना मुझे बैठ जाना चाहिये था।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं ही प्वाइंट आफ आर्डर पर निर्णय देने के लिये फुल फ्लेज्ड अथारिटी हैं और माननीय मंत्री जी जो कष्ट किया करते हैं आइन्दा के लिये उनको मना कर दिया जाय वरना सदन के समय का दुरुपयोग होता रहेगा।

अधिष्ठाता--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो हमारी नियमावली है उसमें नियम २२३ में यह लिखा हुआ है :--

"All questions not specificially provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

इसी तरह २२२ भी है। मतलब यह है कि अगर वर्किंग में कोई कठिनाई आये तो आपको अधिकार है कि चाहे जैसा फैसला करें। दूसरे यह स्वयं सिद्ध सी बात है कि यह सदन अपने प्रोसीजर का मास्टर है। अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि जो इसमें प्रोवाइडेट नहीं है और इस तरह की छोटी-मोटी बातें जिनमें कोई उसूल का ताल्लुक नहीं है तो आपको और सदन को अधिकार है कि चाहे जैसा तय कर लें। तो इस मामले में वोटिंग करने के बजाय हाउस ने जब यह तय किया कि साढ़े तीन बजे तक इस पर विचार होगा तो उसमें अगर एक्सप्लिसिट नहीं तो इम्प्लायड डिसीजन यह हो गया कि वोटिंग की जरूरत नहीं है और कहीं रूल्स में और कांस्टीट्यूशन में यह नहीं है कि हाउस का कोई भी ऐक्शन और डिसीजन अनकांस्टीट्यूशनल है।

अधिष्ठाता--इसी वास्ते माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही अपना निर्णय इस विषय पर दे दिया। मैंने यह भी कहा कि एक्सप्लिसिट निर्णय नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लायड यह था कि आप सब लोग उसको मानते थे और इसी वास्ते मैंने कहा कि वह मैटर ड्राप हो गया।

माननीय राम सुन्दर पांडेय अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस विधेयक में अधिक देरी प्रवर समिति में न हो इसलिये सरकार को इसमें कोई समय निश्चित करना चाहिये जिससे इतने दिनों के अन्दर पुनः सदन के सामने उपस्थित किया जा सके। श्रीमन्, प्रवर समिति को इस विधेयक को बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं जब कि प्रवर समिति के सदस्यों के नाम सदन के सामने उपस्थित किये जायेंगे तो माननीय राजस्व मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि इस विधेयक का विस्तार किया जा सकेगा। अगर माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को ध्यान से देखेंगे तो पायेंगे कि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भूमि पर अगर कोई खेती करता है तो वह भूमि भूस्वामियों को वापस कर दी जायगी। साथ ही यह कहीं भी चर्चा नहीं है इस विधेयक में कि परती जमीन और हाट व बाजार जो भूस्वामियों के हैं वे क्या

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

जमींदारी उन्मूलन की तरह गांव समाज या सरकार में निहित होंगे या नहीं ? इसके माने स्पष्ट हो जाते हैं कि हाट व बाजार और परती जमीनों पर भूस्वामियों का ही अधिकार रहेगा। श्रीमन्, सन् ५० में जो विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था और आज जो इस विधेयक पर विचार किया जा रहा है उन पांच सालों में आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि नगरपालिकाओं में भूतपूर्व जमींदारों ने किस तरह से शिकमी काश्तकारों के साथ व्यवहार किया होगा और क्या ताल्लुकात रहे होंगे। यह बात प्रदेश के नागरिकों से छिपी नहीं है कि जो जमींदार हैं वह अपनी रियाया के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि जमींदारी टूटने से पहले जमींदार किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार, अन्याय और कानून का गलत इस्तेमाल करते थे। ऐसी अवस्था में मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १९५० में जो नागर क्षेत्रों की जमींदारी का विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उस दिन से आज पांच साल के बीच में शहरी जमींदारों ने कितने शिकमी खेतों से बेदखल किये और कितनी परती जमीनों को उन्होंने उठाया, कितना पैसा उन्होंने पैदा किया। मैं समझता हूं कि अगर यह ऐक्ट पहले पास किया गया होता तो इस तरह से नाजायज काम करने का अवसर जमींदारों को न मिलता। साथ ही साथ इस विधेयक में जो यह व्यवस्था की जा रही है कि परती जमीन और हाट बाजार भूतपूर्व जमींदारों के ही हाथ में रहेंगे, इससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार जो इस प्रदेश में समाजवादी राज्य बनाने की कल्पना करती है जो कि समाजवादी ढंग का होगा, श्रीमन्, यह दो तरह की बातें नहीं हो सकतीं। एक तरफ तो आप समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को खून चूसने और लूटने का अधिकार जारी रखना चाहते हैं। जो अब तक किसानों और गरीबों की छाती पर मूंग दलते रहे हैं उन्हीं लोगों को मुआविजा देने की बात भी की जाती है। पक्की निकासी का १६ गुना मुआविजा देने की बात कही जाती है।

श्रीमन्, यह बात सही है कि शहर की भूमि की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन साथ ही साथ जब कीमत ज्यादा होती है तो उन जमींदारों ने उसी पैमाने पर परती जमीनों को उठाया, उसी पैमाने पर शिकमी किसानों को बेदखल किया है, उसी पैमाने पर सीर की जमीन को अधिक दामों पर बेचा है, उसी पैमाने पर उन्होंने ज्यादा कमाया भी है। ऐसी अवस्था में यह दलील दे देना कि अगर १६ गुना मुआविजा नहीं देते हैं तो उचित उनको रकम नहीं मिलती है, जबकि संसद ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया संविधान में किस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि वह मुआविजे की दर निश्चित करे ? तो मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा बढ़ती इसमें कि जमींदारों को कम मुआविजा देती और इस देश में एक तरह का यह उदाहरण पेश करती जिससे शहर का रहने वाला किसान भी महसूस करता कि सही मानी में दिल्ली की सरकार के साथ-साथ चलने वाली यह सरकार समाजवादी ढंग का राज्य बनाने की बात सोचती है। जब सरकार समाजवादी राज्य स्थापित करने की बात करे और साथ ही जमींदारों को १६ गुना मुआविजा दे और भूतपूर्व जमींदारों का बाग बगीचों और परती जमीनों पर अधिकार रखने दे, तो समाजवादी राज्य स्थापित करने की बात निरर्थक हो जाती है। इसके अलावा, श्रीमन्, आप देखेंगे कि कल किसी माननीय सदस्य ने मुआविजा देने के सम्बन्ध में यह चर्चा की थी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने मुआविजा देने के सम्बन्ध में समर्थन किया था। श्रीमन्, सदन में एक बार नहीं, बीसों बार आचार्य नरेन्द्रदेव के वक्तव्य की चर्चा की गयी है और साथ ही साथ हमारी पार्टी की ओर से कह दिया गया है कि हमारी पार्टी कभी भी मुआविजा देने के पक्ष में नहीं है। वह ऐसे लोगों की जिनकी जमींदारी खत्म कर दी जाय, उनके पास जीवनोपार्जन की शक्ति न हो, ऐसे लोगों को पुनर्वास देने की बात कहती है। यह कभी भी नहीं कहा गया है कि हम मुआविजा देना चाहते हैं। मुआविजा श्रीमन्, उन लोगों को देने की आवश्यकता क्या है जिन्होंने नाजायज तरीके से किसानों की जमीनों को छीना है, जिन्होंने नाजायज तरीके से किसानों की कमाई को लिया है ? ऐसे लोगों के हाथ में मुआविजा देने के सम्बन्ध में माननीय सीताराम शुक्ल ने कल कहा था कि वह ऐश-आराम करते हैं। यह सही है कि

देहातों में जमींदारी का खात्मा हो गया है लेकिन जिनके हाथ में बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से मुआविजा मिलता है ऐसे लोगों आज भी किसान के साथ ज्यादती करते हैं। कानूनी दावपेच से लोगों को मजबूर करते हैं और सरकार भी अपने कानूनों की रक्षा में असमर्थ रहती है।

इस विधेयक की धारा १२ में कहा गया है कि ठेकेदारों को और भू-स्वामियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह भरण-पोषण के लिये लोगों को जमीन दे सकते हैं अगर वह स्वयं कोई काम नहीं करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि इस प्रकार से वह खुद जमींदारों को अदालत में जाने के लिये और शिकमी किसानों को परेशान करने के लिये छूट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस धारा के रहते जो सैकड़ों और लाखों की तादाद में शिकमी किसान हैं वह बेदखल होंगे। जो भरण-पोषण के लिये खेत दिया जाता है जो आदमी नौकर रखता है तो वह नौकर अपने भू-स्वामियों को श्रम बेचता है और उसकी मजदूरी उसको उतने दिन की मिलती है जितने दिन वह काम करता है, लेकिन इसमें यह बहाना किया जा सकता है कि जो भू-स्वामी मालगुजारी पर और किसी को खेत उठाता है तो भू-स्वामी को कहने के लिये अपने गवाही का सबूत अदालत में पेश कर सकता है कि हमने भरण-पोषण के लिये इस किसान को खेत दिया था। इसलिये यह धारा भू-स्वामियों के हाथ को स्वतंत्र करने की धारा है और इसको रद्द कर देना चाहिये।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि ठेकेदार ३० एकड़ जमीन निकाल सकता है। जबकि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने एक बार नहीं, कई बार यह वादा किया और यह कहा कि हमारे देश में भी भूमि की सीमा निर्धारित होनी चाहिये और निर्धारित करते हुये यह ख्याल करना पड़ेगा कि वह शिकमी किसान कैसा होगा? उसके पास कुछ जमीन होगी या नहीं होगी? ठेकेदार कैसा है? उसके घर में कितने परिवार हैं? हर परिवार के पास कितनी जमीन वह ले सकता है इस विधेयक के जरिये? सदन को यह सोचना चाहिये कि जिस शिकमी किसान के पास एक या दो एकड़ जमीन होती है और ऐसा ठेकेदार जिसके परिवार में कई भाई हैं और वह लोग ३० एकड़ जमीन अपनी निकाल सकते हैं तो सरकार तो इसके लिये पाबन्दी करनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि ३० एकड़ शहर की जमीन बहुत है, उसके बदले १० एकड़ हो तो यह कहा जा सकता है कि शिकमी किसान की कुछ रक्षा हो सकेगी।

दूसरी बात इसमें ख्याल करने की है कि जिस शिकमी किसान की बेदखली होगी क्या वह साढ़े तीन एकड़, चार एकड़ जोतता है, यह ध्यान देने की बात है। अगर उसके पास अलाभकर जोत है उसमें ३० एकड़ तक बेदखली करने का अधिकार ठेकेदार को दिया जाय तो इतना कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि सरकार की करनी और कथनी में अन्तर है। एक तरफ समाजवाद का नाम लिया जाता है और दूसरी तरफ शिकमी किसान जो दो एक बीघे का काश्तकार है उसको खेत को निकालने का अधिकार दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरह के विधेयक सदन में नहीं लाने चाहिये जबकि समाजवादी ढांचा बनाने की घोषणा कर दी गयी है। १६ गुना मुआविजे की बात है, लेकिन अगर सही मानों में समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं तो मुआविजा बहुत कम होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आप से निवेदन करूंगा और सदन से भी कि प्रवर समिति में भेजते वक्त इस विधेयक का विस्तार बढ़ाने के लिये और जो मुआविजा बढ़ा दिया गया है, उसको रोकने के लिये ध्यान रक्खा जाय।

अधिष्ठाता--(श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी के खड़े होने पर) मैं माननीय शाहिद फाखरी से कहूंगा कि बजाय लैम्प लगवाने के अगर वह हम लोगों के सामने बैठा करें तो ज्यादा अच्छा हो।

***श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)---जनाब चेयरमैन साहब, शुक्रगुजार हूं। बहरहाल, जो हिदायत मिली है उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

अभी चन्द वर्ष हुये हम जमींदारी एबालिशन बिल यहां ला चुके, वह ऐक्ट बन चुका और उस पर अमलदरामद हो रहा है । इसमें शक नहीं कि हमने उस वक्त एक बड़ा इन्कलाबी कदम उठाया था और आज यह बिल भी उसी का अक्स है । इसमें भी कोई शक नहीं कि हमने जहां तक एबालिशन करने का ताल्लुक था और फर्क मिटा देने का ताल्लुक था या देहात की रहने वाली आबादी, गरीब किसानों की आबादी की ख्वाहिशों का ताल्लुक था और जिसका हम वादा सन् २० से करते थे हमने उसको बड़ी हद तक पूरा कर दिया । जहां तक उन एतराजात का ताल्लुक है कि जो आज हो रहे हैं अब हम जबकि शहर की जमींदारी का एबालिशन ही करने जा रहे हैं, हमने उधर के अपने मोअज्जिज मेम्बरों के जो ऐतराजात सुने तो वे करीब-करीब वही हैं जो उस वक्त भी किये गये थे और आज रस्मी तौर पर किये जा रहे हैं । लेकिन जनाबवाला से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब गवर्नमेंट इस बिल को पास करने जा रही है तो इस वक्त बार-बार हमारा यह कहना कि जमींदार यह मजालिम कर रहे हैं, इस फिजां में नहीं बल्कि हमें इस सिचुएशन को गौर करने के बाद जो अब पैदा हो गयी है कि एबालिशन के बाद जो छोटे-छोटे जमींदार थे उनके बच्चों के लिये हम सामान मोहैया नहीं कर सके, वे भी इस मुल्क के और इस सूबे के रहने वाले हैं, हमारे बराबर के साथी हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ ।)

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---जब एक बहुत बड़ी तादाद हमारे सूबे के अन्दर बेकार हो रही है और परेशान हो रही है तो हमको शहर की जमींदारी को एबालिश करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों की जायदादें अब हमारे हाथ में आयेंगी उनको किसी न किसी तरह का आराम भी हम पहुंचायें । जजबात की रौ में बह जाना और बार-बार यह कहना कि जमींदार अब भी मजालिम कर रहे हैं यह तो बिल्कुल वही चीज हुयी जैसे कि आज भी जब हम तकरीर करने खड़े होते हैं तो अंग्रेजों को गाली देते हैं कि फलां ऐब अंग्रेजों का है जो अब भी जारी है और अपनी तरफ नजर नहीं करते । जो शहर में जमींदार हैं उन सबकी हालत अच्छी नहीं है । जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है, वहां जाहिर है कि आनरेबिल मिनिस्टर और दूसरे जो मेम्बरान रहेंगे वे काफी गौर इस पर करेंगे । मैं एक प्वाइंट सिर्फ यहां अर्ज करना चाहता हूं कि जब यह बिल वहां जाय तो आप इसको देखें कि हमें क्या क्या दिक्कतें जमींदारी एबालिशन बिल पास करने के बाद हुयीं और जो मुआविजा हम बांट रहे हैं उस सिलसिले में अवाम को क्या-क्या दिक्कतें पड़ीं । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि छोटे जमींदार जिनका थोड़ा मुआवजा था उनको बड़ी दिक्कतें पड़ीं । वैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज यहां आती है तो जाहिर है कि अपोजीशन अपना यह फर्ज समझता है कि वह कुछ थोड़ा बहुत सा उसका इख्तलाफ जरूर करे । लेकिन मैं जानता हूं कि जमींदारी एबालिशन के कानून के पास हो जाने के बाद जब यह ऐक्ट बना तो हमें जितनी खुशी हुयी आपको भी उससे उतनी ही खुशी हुयी और जब आपको बहुत से खयालात लेकर रियाआ के सामने जाना पड़ता है तो आपने उन गरीबों के इस दुख को तो जरूर महसूस किया होगा कि लोगों को बहुत कम मुआविजा मिला । हम भी इकरार करते हैं कि हम मुआविजा लोगों को बहुत कम दे सके । लेकिन जितना भी मुआविजा हम दे सकते थे वह हमने देने की कोशिश की और दयानत की । दुनिया ने आज हमारी मदद की है और लोगों ने हमारी इस चीज की ताईद की है । हम नहीं चाहते हैं कि किसी की एक इंच जमीन भी बिला मुआविजा दिये जबर्दस्ती हासिल करें । वही उसूल यहां भी रखना होगा और जितना मुआविजा हम दे सकते हैं उतना हम देने की कोशिश करेंगे । मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआविजा देकर जमींदारी का हक खत्म किया जाय, जमीन की मिल्कियत का हक खत्म किया

जाय जो कि लोगों को शहरों में हासिल हैं। जो जमींदार हैं और ऐसे जमींदार हैं, जो नाम के जमींदार हैं लेकिन उन लोगों से भी ज्यादा मोहताज हैं जो लोग दूसरा कारोबार कर रहे हैं। मुआविजा जो भी देना तय किया जाय, लेकिन होना यह चाहिये कि जो भी मुआवजा हो वह एक दफा दे दिया जाय। फर्ज किया जाय किसी को २५० रुपये मुआविजा देना है तो उसको ५० रुपया एक दफा दें, १०० दूसरी दफा और १०० तीसरी दफा तो इस तरह से उनको सारी रकम सर्फ हो जाती है और उनको तंगी होती है।

अब हम जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हुये हैं। हमें लाखों आदमियों के जजबात से खेलना नहीं है, उनकी जिन्दगी के साथ मजाक नहीं करना है। जब हम एबालिशन का कदम उठायें तो उसके साथ-साथ तामीर का भी तो कदम उठाना चाहिये। हमें मुआविजे के सिलसिले में आसानी करनी चाहिये जिससे लोगों को परेशानी न हो। हमें आज यह सोचना है कि हम एबालिशन तो करते जा रहे हैं तो जिनको परेशानी हो रही है उनके रहने के लिये, उनके बच्चों के पढ़ने के लिये, उनके बच्चों की बीमारी और दवा दारू के लिये उनको सामान मोहैया करें। गवर्नमेंट का यह भी फर्ज है और वह यह भी देखती है और देखेगी और तमाम दुनियां की गवर्नमेंट देख रही है। मैं अर्ज करूंगा कि उनकी जरूरत को देखा जाय और उनको मुआविजा दिया जाय और उनको हर तरह की इम्दाद देने की तरफ तवज्जह की जाय।

जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी से लौटकर हाउस में आयेगा तो जो उस वक्त तफसील से अर्ज करना होगा अर्ज किया जायगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब इसका ख्याल रखें और रूल्स बनायें या अहकाम जारी करें तो इसको भी ख्याल में रखें कि एक आदमी जाय तो उसको पूरा मुआविजा दे दिया जाय और अगर कोई दूसरे शहर या जिले में रहता है जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूं और मेरी जमींदारी गाजीपुर में है तो मेरे वहां जाने की नौबत न आये बल्कि ऐसा इंतजाम करें, मनीआर्डर के जरिये, कलेक्टर या तहसीलदार के जरिये कि जितना उसका मुआवजा हो वह उसको मिल सकें उसी जगह पर। अगर ५० रुपया मुआविजा लेने वह जाता है तो उसके २०-२५ रुपये आने जाने में खर्च हो जाते हैं, फिर टिकट लगाना पड़ता है और नजराना भी देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर मुआविजे के कागजात बनते नहीं हैं।

हमें आज इस चीज पर गौर करना है और हमें तजुर्बा भी हो चुका है इसलिये हमें ऐसी हिदायत जारी करना है कि जिन लोगों को तकलीफ पहुंचती है उनको दूसरे रास्ते से आराम पहुंचायें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दे दिया और इन चंद मिनटों में जो कुछ अर्ज करना है वह मैं अर्ज करूंगा। मैंने जो चीज अर्ज की है वह किसी जजबात की रौ में बह कर या रस्मी तौर पर अर्ज नहीं की गयी है बल्कि इसलिये अर्ज की है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जह फरमायेंगे और जो इसके लिये सिलेक्ट कमेटी बने उसके गौर खोज के लिये मैंने अर्ज किया है कि यह चीज उसके सामने रहे। मैं आपको आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इस ख्वाहिश को साथ लेकर जाना चाहता हूं, चाहे हम इधर बैठें या उधर बैठें, लेकिन अगर मैं अकेला बैठ जाऊंगा उधर तो इधर बैठने वालों की आर्टीफिशियल निगाहें नहीं देख सकेंगी तो आपकी निगाह के हम महबूब कैसे बन सकें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थागित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस शकल में यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसे घोर प्रतिक्रियावादी समझता हूं। मेरा ख्याल है कि देहाती क्षेत्रों में जमींदारी तोड़ने के सिलसिले में जितने भूमि संबंधी अधिकार खेतिहरों को दिये गये थे उतने भी इस शहरी क्षेत्र में जमींदारी तोड़ने के सिलसिले में शहरियों को नहीं दिये जा रहे हैं। पिछले पांच सालों से इस शहरी-जमींदारी तोड़ने के सिलसिले में जो एक के बाद दूसरे विधेयक प्रस्तुत किये गये और उनको किसी न किसी शकल में वापस ले

[श्री झारखंडे राय]

लिया गया है, इसमें एक देर करने की नीति समझता हूं। समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों नहीं भूमि सुधार के सिलसिले में एक बार ही अपने दिमाग में पूरी रूप रेखा बना लेती है ? ऐसा जान पड़ता है कि शहरी क्षेत्रों में जो सामंती तत्व हैं उनके हितों की सुरक्षा किसी प्रकार, सुन्दर रीति से विधेयक में की जा सके इसी की उधेड़बुन में विधेयक बार-बार वापस होता है और उसको सेलेक्ट कमेटी में देने की कोशिश की जाती है।

विधेयक के उद्देश्य के सिलसिले में बताते हुये यह बताया गया है कि जो परती जमीनें शहरी क्षेत्रों में होंगी या जिन पर मकान बने होंगे उन पर सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि आज मकानों की समस्या जिस तरह से हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में जटिल हो गयी है ? उस को देखते हुये अगर सरकार ने ऐसा कोई उपाय इसमें किया होता कि वे मकानों के ऊपर भी कब्जा करते और उसको सस्ते रेट पर जो किरायेदार हैं उनको दिया जाता तो उससे हमारे प्रदेश में रहने वाली जनता को, विशेष कर शहरों में रहने वाली गरीब जनता को बड़ा फायदा होता और उसका बड़ा हित होता। परती जमीनों का इस्तेमाल सरकार बढ़िया तरीके से सार्वजनिक रूप से कर सकती है बनिस्बत इसके कि जो आज के सामन्त लोग शहरों में हैं, उन पर कब्जा वे किये रहें। आज शहरों में बहुत से भिखमंगे, आवारे, कोढ़ी और इधर उधर के बेकार और बेरोजगार तथा बेघर बार लोग फिर रहे हैं जिनके रहने तक का कोई स्थान नहीं है। हमारे इसी लखनऊ शहर में अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग ऐसे जरूर हैं कि जिनके ऊपर कोई भी छत, कहीं भी नहीं है, जो सड़कों पर, फुटपाथों पर, स्टेशन के प्लेटफार्म पर पड़े हुये अपने जीवन के दिन बिता रहे हैं। उनकी समुचित व्यवस्था के लिये, उनको ऊपर उठाने के लिये, उनको बसाने के लिये इस जमीन का इस्तेमाल करना चाहिये था।

शिकमी काश्तकारों की बेदखली के सिलसिले में इस विधेयक में जो उपाय दिये गये हैं, मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये एक कलंक की बात होगी। आज भी बेदखली का हक उन लोगों को मंत्री जी दे रहे हैं, जो बहुत दिनों से जमींनों पर काबिज होकर जनता का निर्मम शोषण करते रहे हैं। यह चीज इस सरकार के लिये शोभनीय नहीं है और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुये जब कि अवादी कांग्रेस में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अब कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य इस देश में समाजवादी ढांचे की समाज व्यवस्था की स्थापना करने का है उसकी शुरुआत अगर इस प्रकार से माननीय मंत्री जी हमारे प्रदेश में करेंगे तो इससे स्पष्ट हो जायेगा आम जनता के हृदय में, कि कहने में और करने में बहुत बड़ा अन्तर है। इस विधेयक के सिलसिले में, जो शहरों में बड़े बड़े सामन्त लोग हैं, उनके पास इतनी जमीन है कि अगर उनकी जमीन को लेने से अधिक क्रांतिकारी कदम उठाये जायं– बनिस्बत उन लोगों के, जो देहात मे रहते हैं, तो उनके गुजारे के लिये कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। उनके पास काफी रुपया बैंकों में है। और बहुत कारोबार में उनके शेर हैं। उनके पास मकान हैं। उनकी जमीन को या उनके पास जो परती जमीन है या जो उन्होंने शिकमी काश्तकार को जमीन उठा दी है वह सब सरकार मध्यवर्ती के शक्ल में उन से लेकर अपने कब्जे में करे और सब के हित के लिये उसका इस्तेमाल करें। इसके लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कोई बहुत बड़ा क्रांतिक काम होगा और वह भूखे मर जायेंगे और उनको बहुत बड़ा कष्ट होगा क्योंकि पिछले सैकड़ों वर्षों से वह लोग उन गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा हड़प कर रख रहे हैं और उन गरीबों का हक लेकर ही वह मालामाल हुए हैं। तो अगर वह गरीबों की कमाई उन जमींदारों को वापस करनी पड़े तो यह कोई नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इस बात की कोई गारन्टी इस सदन को देना चाहिये कि यह बिल जिस शक्ल में हमारे सामने आया है उस रूप में वह उसको नहीं रखेंगे। अच्छा यह होता कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस लेकर क्रांतिकारी बिल की शकल में अधिक सुधार किया हुआ बिल हमारे सामने पेश करते लेकिन कम से कम सदन को यह तो उन्हें गारन्टी देनी चाहिये कि इस विधेयक को ऐक्ट की शक्ल में लाने के लिये अब बहुत देर नहीं होगी। अगर

इसके लिये वह समय निर्धारित कर सकें और समय की कोई अवधि बता सकें तो अधिक उत्तम होगा। अन्यथा यह सन्देह पैदा हो सकता है कि जिस प्रकार से यह अभी तक ५ वर्ष से त्रिशंकु की तरह लटक रहा है आगे भी इसकी इसी तरह से गति न हो जाय। किसी न किसी बहाने से सरकार की दृष्टि से ऐसी बातें, जो उचित नहीं जंचतीं, की जाती हैं। और ऐसे दबाव समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर दिये जाते हैं जिससे कि जनता की अनुचित हकतलफी होती है सरकार द्वारा अनुचित दबाव के कारण हमारे अधिकारों पर हस्तक्षेप सा होता है।

यह कहना भी असंगत न होगा कि नहर रेट की बढ़ती दर को कम करने के बारे में जो गैर सरकारी प्रस्ताव अनेक माननीय सदस्यों के नाम से आया था वह ठीक उस दिन, जिस दिन के लिये उस पर विवाद निश्चित हुआ था, नहीं आ सका। क्यों? उसके लिये जरूर कुछ अंडरहैंड प्रेशर दिया गया होगा! अन्यथा जब एक चीज निश्चित की जा चुकी थी वह किस प्रकार बदल दी गयी? इसलिये हम समझते हैं कि इस बिल को भी, जिसको सरकार कई बार पेश कर चुकी है और वापिस ले चुकी है, अब तक हमारे सामने बाकायदा पेश होकर स्टेट्यूटबुक में अधिनियम के रूप में आना चाहिये था। इसीलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी हमें यह गारन्टी दें कि जब इस बार यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा और वहां से जिस शक्ल में आयेगा, उसके बाद किसी भी हालत में वह वापिस नहीं लिया जायगा, और उस पर वादविवाद कर के उस को अधिनियम की शक्ल दी जायगी।

श्री रामलखन मिश्र--अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात तो पहले ही तय हो चुकी थी।

अधिष्ठाता--पौने तीन बजे तक का समय तय हुआ था लेकिन अब कोई बोलने के लिये तैयार नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--अधिष्ठाता महोदय, मैं ही बोलने के लिये खड़ा हो रहा था।

अधिष्ठाता--तो आप बोलिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, कल मैंने तकरीरों को सुना। यह जो विधेयक है इसके बारे में करीब-करीब उस तरफ के सभी सदस्यों ने जो भाषण किये उनमें आदत के मुताबिक पहले तो सभी ने उस का समर्थन किया लेकिन बाद में हर एक बोलने वाला उसके खिलाफ ही बोला। जब माननीय चरण सिंह जी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे तब तो उन्होंने इससे बढ़िया बिल बनाया था और उसमें परती जमीनों को ले लिया था लेकिन आज वे इस ओहदे पर आकर उस परती जमीनों को भी छोड़ रहे हैं और वह ऐसे लोगों के लिये छोड़ रहे हैं जो उन लोगों से भी ज्यादा मालदार हैं जिनकी शहरों में जमीनें हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहरों में परती जमीन हैं वह इस किस्म की है जहां पर बाजार वगैरह लगते हैं। उन बाजारों में गांवों की गरीब जनता तरकारी और फल वग़ैरह लाती है उनको डबल टैक्स देना पड़ता है। पहले तो उनको नगर पालिका की चुंगी देनी पड़ती है फिर जिस जमीन पर वह बैठते हैं उसका टैक्स उसको जमींदार को देना होता है। इस तरह से उसको काफी परेशानी होती है और जिस बुरी तरह स जमींदार लोग वसूल करते हैं, वह कहने के काबिल नहीं है। इसलिये कम से कम इस बिल के द्वारा उन बाजारों को तो ले ही लेना चाहिये था। हम चाहते तो यही थे कि जितने किराये के मकान हैं उनको भी सरकार ले लेती लेकिन कम से कम सरकार को उन जमीनों को तो ले ही लेना चाहिये जिन पर बाजार लगते हैं ताकि वह जनता जो गांव से आती है, अपने सामान को बेचने के लिये उसके ऊपर डबल टैक्सेशन न हो जाय।

कल मैंने श्री शिवनारायण जी और सीताराम शुक्ल जी का भाषण सुना। सीताराम जी ने कहा कि वे नेता विरोधी दल को धन्यवाद नहीं देते लेकिन राम नारायण जी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा विरोध किया। मैं श्री सीताराम जी को दो-दो धन्यवाद देता हूं। वह क्यों? इसलिये कि नेता विरोधी दल का जो फर्ज था उस किस्म का भाषण उन्होंने दिया और हेल्दी अपोजीशन का जो तरीका होता है उसको उन्होंने निभाया लेकिन सीताराम जी की इच्छा थी कि वे गालियां बकते। मेरा यह ख्याल है कि सीताराम जी शुक्ल मंत्री जी से कुछ नाराज हैं और वे हम लोगों को भड़का कर माननीय मंत्री जी को गाली दिलाना चाहते थे लेकिन हम ऐसा करने को तैयार नहीं हैं और न भड़कने को तैयार हैं, जो सही बात होगी उस को ही हम कहेंगे। अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसको हम गलत कहेंगे और अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसको हम अच्छा कहेंगे। रही श्री रामनारायण त्रिपाठी की बात, तो उनकी पार्टी का जो तरीका है उस तरह से वे बोले लेकिन मैं श्री सीताराम शुक्ल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब से ज्यादा अपोजीशन किया और जो विरोध का तरीका है उस तरीके से कुछ बढ़ कर किया। दूसरा धन्यवाद मैं इसलिये देना चाहता हूं श्रीमन्, कि माननीय शिवनारायण जी तो "टु दि प्वायंट" बोलते ही हैं लेकिन श्री सीताराम जी शुक्ल का कल का भाषण जो हुआ वह उनसे भी बढ़ कर "टु दि प्वायंट" हुआ क्योंकि उसका विधेयक से कोई संबंध नहीं था। तो यह चीज हुई, और मैं क्या कहूं? मेरे लायक दोस्त श्री रामलखन मिश्र की तो एक आदत सी पड़ गयी है कि जब खुद बोल चुकते हैं तो दूसरे की जबान पर तालाबन्दी लगा देना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से वे दूसरे की जबान पर तालाबन्दी न लगावें।

अधिष्ठाता—आप की जबान का ताला तो खुल गया है?

श्री जगन्नाथ मल्ल—अगर मैं आप से निवेदन नहीं करता तो वे ताला लगाने को तैयार ही थे। तो इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो बाजार वगैरह हैं उनको जरूर इस विधेयक द्वारा सरकार को ले लेना चाहिये ताकि गरीब जनता जो अपना सामान लेकर वहां आती है उसके ऊपर कोई मुसीबत न हो सके।

***श्री चरण सिंह**—मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के संयुक्त प्रवर समिति के मेरे प्रस्ताव पर काफी दोस्तों ने तकरीरें फरमायीं। मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि जो बहुत सी नुक्ताचीनी की गयी वह इस बिल को न समझने के कारण की गयीं हैं। अगर मेरे लायक दोस्त इस बिल के प्रोविजन या धाराओं को पढ़ने की तकलीफ गवारा करते तो यह नुक्ताचीनी उनकी जबान से अदा न होती। मैं कल से जो-जो बातें इस सिलसिले में कही गयी हैं अब आपकी इजाजत से तफसील के साथ उसका जवाब देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह कही गयी कि शहरी इलाके की जमींदारी खत्म करने में बहुत देर की गयी है और प्रायः हर मुकर्रिर ने, हर व्याख्यानदाता ने, हर माननीय मित्र ने यह इशारा किया कि यह जानबूझ कर देरी की गयी है। श्रीमन्, जो यह ख्याल जाहिर किया गया है कि जानबूझ कर देरी की गयी है इस पर मुझे अफसोस है और चाहता यह हूं कि मैं यह कहूं कि इस पर प्रोटेस्ट करता हूं। शहरी इलाके में बहुत थोड़ी जमीन ऐसी है जिसमें कि लोग काश्त करते हैं। २२ जिलों से जो आंकड़े हमने मंगाये हैं उनमें यह जाहिर होता है कि २,९१,५९५ एकड़ कुल जमीन इन जिलों की म्युनिसिपलबोर्ड, नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज के अन्दर मौजूद हैं, हर किस्म की जमीन। उसमें से भी २ लाख एकड़ से बहुत कम रकबा है जो जेरेकाश्त है और जो रकबा जेरेकाश्त है उसमें भी बहुत सा ऐसा रकबा है जो जेरेकाश्त है जो म्युनिसिपैलिटीज की अपनी मिल्कियत है या कंटूमेंट एरियाज की अपनी मिल्कियत है या जो पब्लिक बाडीज के पास हैं जिनकी जमींदारी खत्म करने का कोई सवाल उठता ही नहीं। तो मतलब यह है कि डेढ़ लाख एकड़ के करीब जमीन कुल ऐसी है जो जमींदारों की मिल्कियत में है इन २२ जिलों के अन्दर, जिसमें आसामी या काश्तकार लोग काश्त करते हैं और जिनके हक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल्कियत को लिया जा सकता है। तो ४५ जिलों में या ४७ जिलों में, ४५ तो पूरे थे और २ जिले नैनीताल और देहरादून के ऐसे हैं जहां कुछ इलाकों में है, तो यों ४७ ही समझिए। तो इनमें मुश्किल से ३ लाख एकड़ जमीन ऐसी होगी जो जमींदारों की मिल्कियत थी और जो काश्तकारों के कब्जे में है और जिन काश्तकारों को इस से लाभ पहुंचता है, जब कि कुल साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन हमारे सूबे में जेरेकाश्त है, उस इलाके को छोड़ कर जहां रक़बा मजरुआ बहुत कम है, या शहर के इलाके को छोड़ कर और जौनसार भाबर जो देहरादून का परगना है उस को छोड़ कर और जो गवर्नमेंट की अपनी जमीन है, गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, जो कि सब जिलों में बिखरी हैं वह भी १३ जिलों में हैं, वहां भी जमींदारी खत्म हो चुकी है और कहीं २०० एकड़ कहीं ५०० एकड़ रह गई हैं और जिसमें तरह-तरह की टर्म्स हैं और तरह-तरह के टेन्योर हैं तरह-तरह की कंडिशन्स हैं और उस के लिये हमें शायद एक अलग बिल सदन के सामने ला कर पास करना पड़ेगा। इस तरह से इस इलाके को छोड़ कर, गवर्नमेंट एस्टेट्स और तराई भाबर को छोड़ कर सारे सूबे के रकबे का मुश्किल से ५ या ७ प्रतिशत रकबा होगा जहां जमींदारी खत्म नहीं हुई है। सारे सूबे में जमींदारी जिस तरह से खत्म हुई है उसकी कहानी यहां मैं इस वक्त नहीं बताना चाहता लेकिन ९४ फी सदी इलाके में जिस तेजी के साथ जमींदारी खत्म की गई उस तेजी को चाहें माननीय झारखंडे राय यहां न मानें लेकिन मैं समझता हूं जब वह अपनी गोष्ठी में बैठते होंगे तो मानते होंगे और जिस रफ्तार से तलवार के जरिये से जमींदारी खत्म की जा सकती थी उसी रफ्तार से एक डेमोक्रेटिक प्रासेस से हमने जमींदारी को यहां खत्म किया और केवल खत्म कर के बीच में ही नहीं छोड़ा और एक नई भूमि व्यवस्था यहां कायम की। खत्म करना आसान था लेकिन उस वक्त हमारे सामने उस को रिप्लेस करने के लिये कोई माडल या सांचा नहीं था। हमने गांव पंचायतों को एक नए अधिकार दिए और मैं बिना खौफ तरदीद कहना चाहता हूं और मैं जानना चाहूंगा कि कहां इस तरह की चीज हुई है, हमने भूमि की नई व्यवस्था की, पटवारियों की सर्विस को ओवरहाल किया, चकबन्दी की नई व्यवस्था हम कर रहे हैं, यह सब काम हमारे रेवेन्यू विभाग ने दिन रात काम कर के आगे बढ़ाये हैं, दिन रात राज्य के कर्मचारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के काम से लदे हुये हैं, वह भी इन्सान हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनसे गलती नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो जाने से यह तो नहीं होता कि किसी से गलती ही न हो लेकिन थोड़ी बहुत गलती के अलावा आम तौर से रेवेन्यू विभाग पर काम का बड़ा भारी बरडेन रहा है और उसके द्वारा बड़ी-बड़ी स्कीम्स बड़ी तेजी से कार्यान्वित हुई हैं। इसलिये क्या अधिष्ठाता महोदय, किसी माननीय मित्र का यह कहना सदन में जेबा देता है कि इसमें जानबूझ कर देर की गयी है? नहीं। आदमी के सामने अगर कई तकलीफें होती हैं तो वह बड़ी तकलीफ को पहले दूर करने की सोचता है। अगर किसी के २ कांटे लगे हैं एक आंख में और एक पैर की एड़ी में तो वह आंख से कांटे को पहले निकालने की फिक्र करेगा और एड़ी के कांटे को बाद में निकालेगा। पहले आंख के कांटे को निकालेगा, फिर छाती के कांटे को निकालेगा फिर हाथ के कांटे को निकालेगा इस तरह से वह चलेगा। तो यह कुल ३ लाख एकड़ जमीन का मामला था और सारे सूबे को देखते हुए यह हमारे लिये बहुत छोटा सा मसला था। इसके अलावा हमने बेदखली रोकने के लिये पहले से ही अहकाम जारी किये हुए हैं और सब जगह बेदखली रुकी हुई है और एक जरा सा नुक्स नोटिफिकेशन में रह गया था उस को भी तरमीम कर के ठीक कर दिया गया है और कतई बेदखली रुकी हैं। श्री झारखंडे राय ने कहा और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि बेदखली हो रही हैं और फलां डिप्टी कलेक्टर ने आर्डर दे दिया। अगर दे दिया, किसी ने हुक्म के खिलाफ किया और वकील ने उस को नहीं बताया तो उस की अपील हो सकती है और वह हुक्म खारिज हो सकता है। वह भी इन्सान है गलती उस से हो गई, हाई कोर्ट के जज भी गलती करते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी गलती हो सकती है, अपील में वह ठीक भी हो सकती है और होती हैं। तो उसमें कानून का नुक्स क्यों हुआ? जब बेदखली बन्द, काश्तकार मुस्तौजिब बेदखली नहीं अपनी जमीनों से और जब हम अपने कामों में इतने फंसे हुये थे तो केवल पौन परसेंट, तीन लाख एकड़ की तरफ ध्यान न दे सकें

[श्री चरण सिंह]

तो उस पर यह इशारा करना कि साहब सेलेक्ट कमेटी को यह रिफरेंस हो रहा है तो वक्त जरूर मुकर्रर किया जाय ताकि गवर्नमेंट को बहाना न मिल जाय और देर हो। गोया कि हमारा काम बहाना ढूंढ़ने का है। मैं आप के जरिये माननीय झारखंडे राय जी को बताना चाहता हूं कि हममें से कोई भी माननीय झारखंडे राय के मुकाबिले में किसानों का कम हितचिन्तक नहीं है। क्यों देर करें? कोई वजह भी हो? जहां तक सेलेक्ट कमेटी के लिये वक्त की कैद मुकर्रर करने का सवाल है मुझे इसमें कोई जिद नहीं है। मैं यह समझता हूं कि कन्वेन्शन इस प्रकार का है कि सेलेक्ट कमेटी २ महीने में रिपोर्ट कर दे। अगर दो महीने लिखना जरूरी है तो श्रीमन्, जब कौंसिल से पास हो कर यहां दोबारा आयेगा तो ६० दिन के बजाय ५९ दिन रख दिया जाय। ५९ करने के लिये तैयार हूं अगर वह वक्त की गारन्टी मांगते हैं।

अब एक बात माननीय जोरावर वर्मा जी ने सोची, वह यहां तशरीफ नहीं रखते हैं। उन्होंने कई बार कहा सेलेक्ट कमेटी क्यों नहीं, ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी को क्यों? उनको इसमें भी कोई चुभन दीखती है, उन्हें इसमें भी कुछ गंध आ रही है। वहां के लोगों ने हमारे उपनेता जी से यह इच्छा जाहिर की कि हम लोग चाहते हैं कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर की जाय ताकि हम लोगों को भी कहने का मौका मिल जाय। इसलिये एजेंडा में पहले से था उसके लिये मैंने कह दिया मुझे मंजूर है। वाकई जिन लोगों पर असर पड़ेगा और जो रकबा है वह बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अपने इस लिमिटेड दायरे के अन्दर ही यह बिल बहुत महत्वपूर्ण जरूर है। और यदि कौंसिल के मेम्बर ने अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी हो जाय तो फिर गवर्नमेंट को क्या एतराज है, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी हो जाय। अब कोई उस पर माने लगावे और किसी को गंध आवे तो श्रीमन्, नाक का कसूर होगा इस बिल का कसूर नहीं। जब किसी आदमी को रोग हो जाता है तो श्रीमन्, वह दुर्गन्ध और सुगन्ध का इम्तियाज नहीं कर पाता।

श्रीमन्, एक बात जिसमें मैंने कल जानबूझ कर थोड़ा सा उस सिलसिले में कहा था। परती जमीन क्यों नहीं ली जा रही है, बंजर जमीन क्यों नहीं ली जा रही है यह इतना मोटा सा सवाल है कि मैं जानता था कि इस पर हमारे सभी माननीय मित्र बोलेंगे और अच्छा हुआ सब ने अपने ख्यालात को इजहार किया। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी कि अगर वह कोई रचनात्मक सुझाव दे सकें तो जो कठिनाई गवर्नमेंट के सामने है उनको हल करने के सिलसिलेमें मुझे अपने उन दोस्तों के साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रीमन्, कोई सुझाव नहीं दिया गया। चाहे माननीय महीलाल जी हों, चाहे गेंदा सिंह जी हों और चाहे माननीय नवल किशोर जी हों, सब ने यही कहा कि साहब लेनी चाहिये, ली जा सकती है सिर्फ इरादा होना चाहिये। इरादे से सारे काम पूरे हो जाते हैं। मैं कहता हूं श्रीमन्, इरादे से सारे काम नहीं पूरे हो जाते हैं "If wishes were horses, men would have ridden them to heaven" अगर इच्छायें घोड़े होतीं तो आदमी उन पर चढ़ कर स्वर्ग में चले जाते। तो इच्छा तो हमारी है लेकिन हमारी सारी इच्छाएं कहीं पूरी होती हैं? जिस माननीय मित्र को हमारे इच्छा में सन्देह हो उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी की इजाजत लेकर फाइल दिखाने को मैं तैयार हूं, कि आया हम परती जमीन लेना चाहते थे या नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरी है और दो मजबूरियां बतलायी हैं, लेकिन जो एतराज किये गये हैं दोनों मजबूरियों के मुताल्लिक उनका मुफस्सिल जवाब देता हूं और आप की इजाजत से अपने मित्रों के सामने अपने विचार रखूंगा।

उन दो मजबूरियों के मुताल्लिक अपने विचार पेश करने के पहले मैं अपने मित्र जगन्नाथ मल्ल जो व्याख्यान दे रहे थे उनकी बातों का जवाब दे देना चाहता हूं। कल से वे बहुत उतावले थे। मैं समझता था न मालूम क्या सुझाव देंगे। वक्त भी उनको १५ मिनट का मिला था लेकिन ५ मिनट बोलकर बैठ गये। उन्होंने पहले बिल का नाम लिया कि उस में परती जमीन एक्वायर करने का प्राविजन था। मुझे पहला बिल मंजूर है अगर उनको भी मंजूर है। उसमें

यह नहीं है। परती जमींन के लेने का सवाल उसमें कभी नहीं है। पहले बिल में भूमि व्यवस्था का भी प्रश्न नहीं है। वह ऐसा ही था जैसा कि ओल्ड टेनेन्सी ऐक्ट था। वैसे ही काश्तकार, वैसे ही सब टेनेन्सी और नानअकूपेंसी राइट्स थे जैसे कि पहले थे और उस में भूमिधर या सीरदार बनने का सवाल नहीं था। परती जमीन के लेने का भी सवाल नहीं था। इसीलिये उस बिल को वापस भेजा गया। इससे श्रीमन्, मालूम होता है कि कितना वक्त लगाया जाता है बिल के अध्ययन करने में। यह मेरी शिकायत है। क्यों? शिकायत यों है कि अगर पढ़कर एतराज किये जायं तो मेरी कुछ मदद होगी। अगर बिना पढ़े एतराज किये जायं तो मुझे बिना वजह गुस्सा आता रहता है क्योंकि आना नहीं चाहिये। जनतंत्र में बड़ी भारी परीक्षा है कि गाली सुनते रहो और चुपचाप बैठे रहो।

तो एक तो मजबूरी यह है कि सर्वे का सवाल है। जमीन जो गैर मजरुआ है उसकी पैमाइश की जरूरत होगी। उस की पैमाइश क्यों नहीं है इसमें पटवारी का कसूर नहीं है। मैं शायद अपने मतलब को अच्छी तरह से जाहिर नहीं कर सकता। पटवारी या मौजूदा लेखपाल का कसूर है तो केवल इतना कि कोई जमीन जेरेकाश्त हो और जेरेकाश्त न लिखी हो। ऐसी गलतियां भी कुछ होंगी लेकिन बहुत कम। मैंने तो यह कठिनाई बतलाई थी कि जो गैर मजरुआ आराजी शहरी हल्के के अन्दर है उस का सर्वे करना होगा। मसलन यह सड़क बनी हुई है, सेक्रेटेरियट के इधर। यह सड़क गैर मजरुआ, उस के दोनों ओर जो जमीन पड़ी है वह गैर मजरुआ, फिर मस्जिद आती है उस के सामने जितनी जमीन पड़ी है और उसमें जितनी जमीन है गैर मजरुआ, गड्ढा आ गया तो गैर मजरुआ, ऊंची जमीन आ गई तो गैर मजरुआ, इस सारी जमीन की पैमाइश की जरूरत होगी। अब अगर यह कहा जाय कि साहब जमाना हो गया तो पटवारी क्यों नहीं रक्खा गया? तो पटवारी का यह काम नहीं। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत उस जमीन के कागजात रक्खे जाते हैं जिस पर मालगुजारी आयद हो, जिस पर मालगुजारी का एसेसमेंट हो। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट यह कहता है कि जो जमींन आबादी के अन्दर आ जाय और जो कल्टीवेशन के बाहर हो जाय, उस पर मालगुजारी नहीं लगेगी लैंड रेकार्ड्स नहीं रक्खे गये। मैं आप की इजाजत से लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ६३ ए पढ़ कर सुनाता हूं।

"The area which shall ordinarily be assessed to revenue shall be the normal cultivated area, that is to say, the area which has been cultivated in those thirteen years including and preceding the year of record in which remissions of revenue have not been granted. Land which in the year of record has been continuously out of cultivation for three years, and is then still out of cultivation, shall not be assessed to revenue."

जो जमीन तीन साल तक कल्टीवेशन के बाहर चली जाय उस पर मालगुजारी आयद नहीं होगी। आगे सेटिलमेंट आफिसर यह कहता है—

"The Settlement Officer shall not assess revenue on the income from land occupied by buildings other than buildings which are improvements."

जिन जमींनों पर मकान खड़े हैं सेटिलमेंट आफिसर उन पर लैंड रेवेन्यू असेस नहीं करेगा। अब मान लो कि किसी जमीन पर मालगुजारी असेस्ड है मौजूदा सेटिलमेंट में और इस बीच में वहां मकान बन जाता है तो मालगुजारी देती रहेगी वह जमीन। लेकिन अगर सेटिलमेंट में मालगुजारी उस से खारिज कर दी जायगी और वहां सेटिलमेंट नहीं होगा। तो ये शहर जो तीस चालीस साल में बढ़ गये हैं, पार्क, मकान, सड़कें, अस्पताल, मस्जिद और मन्दिर, जमींन ऊंची और नीची, खंडहर और बेखंडहर, यह सब जमीन हमारे रेकार्ड्स में नहीं है और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर नहीं है तो लेखपाल का कसूर क्या है?

[श्री चरण सिंह]

जो इस सिलसिले में यहां विचार प्रकट किये गये, मैं आपकी इजाजत से इस सम्बन्ध में माननीय मित्रों का थोड़ा सा वक्त जरूर लेना चाहूंगा। युनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यु (अमेंडमेंट') बिल, १९३९ में तैयार किया गया जब कि मिनिस्ट्री थी। जब यह मिनस्ट्री चली गयी तो गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई ५ नवम्बर, १९४० को, यह उस वक्त के रेवेन्यू सेक्रेटरी सी० एच० कुक का नोट है, जिस नोट के साथ वह बिल भेजा गया अफसरों के पास, उस नोट में एक अमेंडमेंट करने की तजवीज थी, इस बिल के जरिये से, सेक्शन ३२ के द्वारा बिल का क्लाज ६ था, उसके मुताल्लिक वह लिखते हैं--

"Difficulties have risen regarding the maintenance of the records in mahals which have been largely built over. Under the law as it stands, each built site has to be separately recorded. The amendment proposed will give Government power to provide by rule for the method of recording such plots."

इसके बाद ब्रिटिश इंडियन ऐसोशिएशन ने अपनी एक राय भेजी, उस पर उस वक्त के जो सेक्रेटरी का नोट है वह भी मौजूद है। इस वक्त मैं उस को सुनाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि यह हो ही नहीं सकता, न मालगुजारी लग सकती है, न अपने कागजात में लिख सकते हैं और सेक्शन ३२ में १९४१ में अमेंडमेंट कर दिया गया। उसमें यह किया गया —

"Subject to such exceptions as may be prescribed by rules made under the provisions of section 234."

"Subject to such exceptions as may be prescribed by rules".

जो मैनुअल है उस का रूल २ कहता है, वक्त की कमी की वजह से मैं पढ़ता नहीं, उस के दो हिस्से हैं (ए) और (बी)। (ए) यह कहता है कि पांच रुपये तक मालगुजारी जिस मुहाल की है और शहर के अन्दर है और मकान बन गया है उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जायगा। पांच रुपये से ज्यादा जिसकी मालगुजारी है उस पर भी मकानात बन गये हैं, अगर उनका एक खाता खेवट हो सकता है तो रेकार्ड रखा जायगा। लेकिन अगर एक खाता और खेवट नहीं हो सकता तो उसका भी रेकार्ड नहीं रखा जायगा। एक खाता खेवट बन नहीं पाया तो पांच रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों का भी रेकार्ड नहीं रखा गया। इससे यह मालूम होगा कि पटवारी का जिसके मुताल्लिक एक आध मित्रों ने कहा कि आप उस की पैरवी करते हैं, यह तो पटवारी से पूछने पर मालूम होगा कि मैं उसकी कितनी पैरवी करता हूं। लेकिन जब उनको बेलगाम बेईमान बताया जाता है तो मुझको तकलीफ होती है। मैं उसकी यहां आज पैरवी करता हूं क्योंकि उस गरीब का कोई कसूर नहीं है।

दूसरी बात यह कही जाती है, सर्वे करवा क्यों नहीं डालते? अब सर्वे करवा भी दें तो श्रीमन्, जो हमारे लेखपाल का बांस है, जरीब समझिये, या गट्ठा कहलाता है, कड़ी वगैरह उसमें लगी रहती है उससे वह सहराई प्लाट्स की पैमाइश कर सकता है। उसमें गज दो गज की, फिट दो फिट की गलती हो जाय कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो आबादी के नक्शे हैं, उनका पैमाना होता है १६ इंच बराबर १ मील, एक सौ दस गज को रिप्रेजेंट इन नक्शे में एक इंच करता है। आबादी के नक्शे में १ सूत ११ गज को रिप्रेजेंट करता है। अब यह बतलाइये कि एक सूत जो है, उसके बराबर चौड़ी लाइन ही नक्शे पर खिंची है वह ११ गज के बराबर हो गयी और मकान ११ गज का शायद ही कोई हो। तो जहां तक मकान है, सब अगर पटवारी के ऊपर छोड़ दिया जाय तो उसकी लाइनों के बाहर आ जाता है। तो इसलिये शहर की आबादी का जो नक्शा बनेगा वह पटवारी नहीं बना सकता। वह सिर्फ इलाके की नाप कि कितना चौड़ा खेत है, कर सकता है, लेकिन गैर मजरुआ इलाके के अन्दर कितनी जमीन किस इमारत में है, कितनी जमीन नीची, कितनी ऊंची, कितनी

जमीन पार्क में, कितनी कालेज के बोर्डिंग हाउस के अन्दर है, इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे की जरूरत पड़ेगी। उसमें ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होगी, यानी बेशुमार रुपया उसमें लगेगा, बेशुमार दिन उसमें लगेंगे। तो यह मजबूरी है। अभी यह बिल सिलेक्ट कमेटी को जा रहा है। अगर वहां मित्रगण मेरी मजबूरी को हल कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

दूसरी बात माननीय मौर्य जी ने यह कही कि गांव की आबादी भी तो आपने ले ली थी बिना नापे तौले, इसे क्यों नहीं ले डालते? तो गांव की जो आबादी ली गयी थी वह इनकम के बेसिस पर ली गयी थी। हमने हाउस मुहाल की जितनी आमदनी होती थी खेवट से उसके असेट्स निकाल कर, पक्की निकासी निकाल कर कुछ गुणक निकाल दिया। मैं शिवबक्ष सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरी बात सुनें। तो इसमें नाप तोल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां जो आबादी की और गैर मजरुआ जमीन थी उसकी कोई कीमत नहीं थी, या थी तो बहुत कम। इसलिये हमने उसूल बनाया था, जो इनकम वहां की जमीन से होती है उसके बेसिस पर उसको मुआविजा देंगे। यहां पर उल्टा है। जो गैर मजरुआ जमीन है उसकी ही कीमत ज्यादा है दरमुकाबिले मजरुआ आराजी के। उसकी पोटेंश्यल वैल्यू बहुत है, इसलिये उसका कम्पेंसेशन देना जरूरी है। आगे चल कर मैं अपने विचार जाहिर करूंगा कि आम तौर पर कम्पेंसेशन देना चाहिये या नहीं और जो अमेंडमेंट हो गया है उसका क्या एफेक्ट है? क्या उसका मतलब है कि बिलकुल न दिया जाय, वगैरा वगैरा। लेकिन कम्पेरेसन देना चाहिये, इसलिये कि उसकी पोटेंश्यल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जितनी वैल्यू है? मैंने २२ जिलों से आंकड़े मंगाये। उस स्टेटमेंट को मैं सिलेक्ट कमेटी के जो माननीय सदस्य होंगे उन सबको सप्लाई कर दूंगा। उसके अनुसार हमारे जो कबाल टाउन्स हैं, उनमें जो अनकल्टीवेटिड एरिया है, जो गैर मजरुआ आराजी है उसके जितने बैनामे इस बीच में हुये तो उसका औसत फी एकड़ ३८,१९८ आता है और कल्टीवेटिड का २,८५० रुपया फी एकड़। तो कल्टीवेटिड एरिया के मुकाबिले में शहरी इलाके में अनकल्टीवेटिड एरिया की कीमत ज्यादा है, जबकि देहात में ठीक इसका उल्टा था कि कल्टीवेटेड एरिया की ही कीमत निकलती थी और अनकल्टीवेटेड की नहीं के बराबर थी। कबाल टाउन्स में, मैं आपकी इजाजत से फिर बतलाता हूं कि फी एकड़ जो औसत आता है कल्टीवेटेड का वह १,८५० और अनकल्टीवेटिड का ३८, १९८। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज में जो कि क्लास वन हैं, कल्टीवेटिड एरिया का औसत २,१९५ और अन-कल्टीवेटिड का ५,५३१। क्लास टू के म्युनिसिपल बोर्ड में कल्टीवेटिड का औसत १७७१ और अनकल्टीवेटिड का ४,४२१ और म्युनिसिपल बोर्ड क्लास थ्री में कल्टीवेटिड एरिया पर एकड़ १२,२४ और अनकल्टीवेटिड १७,१६ तो आप देखेंगे कि बराबर घटता चला गया है, लेकिन हर क्लास की लोकल अथारिटीज में हर किस्म के अनकल्टीवेटिड एरिया की कीमत कल्टीवेटिड एरिया के मुकाबिले में ज्यादा है। इसी तरीके से म्युनिसपल बोर्डस फोर्थ क्लास में १०४५ और १४५२ और टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज ७४५ पर एकड़ आफ कल्टिवटेड लैन्ड और १२९१ पर एकड़ आफ अनकल्टिवेटेड लैन्ड। तो इतनी कीमत है। इसलिये उसका सर्वे किये बगैर काम नहीं चलता अगर उसका मुआविजा देना है। और मुआविजा देना है या नहीं, यह बात मैं अर्ज करूंगा। लेकिन अगर देना है तो जैसे गांवों में हमने कर लिया वैसे यहां नहीं हो सकता। इसलिये सर्वे कराना जरूरी है।

अब श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी से क्या बतलाऊं, वह मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि साहब, जब आपके रेकार्ड्स ही नहीं हैं तो जो डिमार्केशन कमिश्नर का आप प्राविजन रख रहे हैं तो वह ऐग्रीकल्चरल और नान ऐग्रीकल्चरल एरिया में डिमार्केशन कैसे करेगा? मैंने अर्ज किया कि ऐग्रीकल्चरल एरिया में रेकार्डस हैं क्योंकि उस पर मालगुजारी है। नान-ऐग्रीकल्चरल एरिया के रेकार्ड्स नहीं हैं। ऐग्रीकल्चरल एरिया के रेकार्ड्स अगर कहीं गलत हैं तो वे आसानी से सही हो सकते हैं। जो आदमी काश्त करता होगा उसके पास रसीदें जरूर होंगी, शहर के काश्तकार के पास। नहीं है तो यह देखा जा सकता है कि मजरुआ है या गैरमजरुआ।

[श्री चरण सिंह]

यह बड़ी आसानी से डिमार्केशन कमिश्नर मालूम कर सकता है। मैं फिर अपनी शिकायत को दोहराता हूं कि किसी माननीय मित्र ने कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन नहीं दिया।

दूसरी बात कम्पेन्सेशन की है कि कम्पेन्सेशन न दिया जाय और कुछ साहबान को मौका मिला अपने व्यूज को एयर करने का। यहां मौका मिल जाता है, बाहर तो कोई सुनता नहीं है, यहां कहने की आजादी है। खैर, इसके मुताबिक बहुत बार बहस हो चुकी है। जिनकी किताबें मेरे दोस्तों ने पढ़ी हैं वे अपने मुल्क में मुआविजा दे रहे हैं, ब्रिटेन वगैरह में। सब सोशलिस्ट कंट्रीज ने मुआविजा दिया और मार्केट प्राइस दी है और लेजिस्लेचर्स ने भी यह तय नहीं किया, कोर्ट्स पर छोड़ा है कि वे तय करेंगी। अगर कोल माइन्स या बैंक्स को लिया है। तो कम से कम जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं और जिनके ख्यालात पढ़ कर लोगों ने अपना रंग बदला है कम से कम टोपियों का उन अपने दोस्तों के गुरुओं के मुकाबिले में हम रिएक्शनरी नहीं हैं।

अब रहा यह कि शहर के आदमी मालदार हैं। होंगे। उनके और माल से हमको मतलब नहीं है। हम जमीन उनकी ले रहे हैं। हर एक के पास माल कितना है क्या अब इसकी तहकीकात करेंगे कि जमीन के अलावा और कितना माल है? और फिर माल आया तो शायद यह देखना अच्छा रहेगा कि वह माल कहां से आया। इस धंधे में पड़ना है क्या? जमींदारों के जितने बड़े-बड़े नाम हैं लाइये सुना ही दूं। नम्बर आफ प्रोपराइटर्स हैं १,४५,४४८ और जमीन की औसत आयी १.२ एकड़ और जो मालगुजारी है एक प्रोपराइटर की वह २ रु० ३ आ० ३ पा० है, इतने बड़े-बड़े हैं। माननीय महीलाल जी ने कहा कि हमारे यहां तो एक आदमी ५ हजार रुपये की मालगुजारी दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मुरादाबाद के टाउन्स की जमीन देखें। वहां सबसे ज्यादा कस्बे और टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स भी शायद सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा लोकल बाडीज मुरादाबाद और बिजनौर में हैं और तीसरा नम्बर शायद मेरठ का है। मेरे मित्र महीलाल जी ने कहा कि हमारे मुरादाबाद में तो एक आदमी ५ हजार रुपये मालगुजारी दे रहा है। मैंने कहा कि होगा एक आध। तो कुल टाउन एरियाज जिनकी तादाद शायद १७ या २२ है उनके कुल जमीन ९७८२ एकड़ है। अब हो सकता है कि कोई एक आदमी ५ हजार की मालगुजारी दे रहा हो लेकिन औसत तो २ रु० ३ आ० ३ पा० ही पड़ता है और यह जो बड़े-बड़े जमींदार बस रहे हैं इनकी सारी जमीन देहात में थी। वह छिन गयी। तो शहर के अन्दर जो जमींदार हैं वे बड़े नहीं हैं २,४,१०,२० को छोड़ कर।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि कम्पेंसेशन न देकर रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे दी जाय। क्यों साहब, एक फूल का नाम 'गुलाब' न रखकर यदि उसका नाम 'रजनीगंधा' रख दें तो कोई उससे फर्क पड़ गया? नाम रख देने में क्या फर्क पड़ा? कम्पेंसेशन न सही, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट सही। मैंने कल श्री गेंदा सिंह जी से भी कहा था कि वह चाहें तो इसी को रख दें। श्रीमन्, एक बात बुनियादी कहना चाहता हूं और वह यह कि सबको बात तो प्यारी लगती है कि मुआविजा न दिया जाय। मैंने एक मीटिंग में कहा भी था, पहले मैं टहलने जाया करता था अब तो नहीं जाता हूं। एक कोठी जहां पहले माननीय पंत जी रहा करते थे उसके सामने थी, वह दुमंजिला है, उसका रंग अब खराब हो गया है लेकिन जब मैं उधर से गुजरता था तो मेरे मन में आता था कि कैसे ही यह कोठी हमारी होती और कैसे ही यह हमें मिल जाय तो क्या वह हमें बिना मुआविजा मिल जाय? श्रीमन्, यह मन कहता है, यह दिल चाहता है और ख्वाहिश यह है, और श्रीमन्, अगर कोई आदमी अपनी ख्वाहिश पर अमल करने लगे तो फिर उस आदमी और हैवान में कोई अंतर नहीं रह जायगा। इंसानियत तो यही है कि मन में जो भावना उठे उसे पहले विवेक की कसौटी पर रखकर तोले कि वह ठीक है या नहीं तब उसके अनुसार कार्य करे। यदि हम लोगों की जायदाद बिला मुआविजा दिये छीन लें तो आज जो सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशंस होंगे उस पर किसी ने विचार किया है? किसी देश के पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स गवर्न होते हैं उन सिद्धांतों से जो सोसाइटी ने या देश ने जायदाद के मुताल्लिक तय किये हैं। अगर आज किसी की जायदाद

बिला मुआविजा लिये ली जा सकती है तो कल को बिला मुकदमा चलाये कैद भी किया जा सकता है और आपके हुकूक भी बिना मुआविजा दिये छीने जा सकते हैं। आपके जो प्रोपरायटरी राइट्स हैं वह लिये जा सकते हैं तो जो आपके परसनल राइट्स हैं वह भी छीने जा सकते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटर शिप में यही तो अन्तर है कि आदमियों के राइट्स को बिना उनको मौका दिये या मुआविजा दिये नहीं लिये जा सकते हैं। इसलिये जब हम अपने देश में मुआविजा न देने की बात कहते हैं तो मैं कहता हूं कि हम अपने देश में पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स कैसे चाहते हैं, डेमोक्रेटिक चाहते हैं, डिक्टेटोरियल चाहते हैं, इसलिये श्रीमन्, यदि डेमोक्रेटिक चाहते हैं तो लोगों को मुआविजा दिया जाय।

एक बात यह कही गयी कि अब तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया है अब मुआविजा देने की क्या जरूरत है? कांस्टीट्यूशन में इसलिये अमेंडमेंट हो गया है कि सोसाइटी ऐडवांसमेंट करना चाहती है और उसके रास्ते में, जिन लोगों के अधिकार हैं, उनकी वजह से उसमें ज्यादा रुकावट न हो। जिस वक्त इस पर बहस हो रही थी उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पीच दी थी उसका मुझे ध्यान था, उसको मैंने निकलवाया। १५ मार्च १९५५ को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मजमून पर स्पीच दी, वह यह है। मैं इसको आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। केवल दो पैराग्राफ हैं और बहुत रेलेवेंट हैं।

अधिष्ठाता—आप पढ़ सकते हैं।

श्री चरण सिंह—"You cannot obviously, if you are aiming at changes in social structure, think in terms of giving full compensation, first, because, you cannot do it ; secondly, it will be improper and unjust to do so and it should not be done even if you can do it."

अब हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक साइड का केस प्लीड किया है। अब हमारे दोस्त जो हैं इसी को ले भागते हैं लेकिन जवाहर लाल जी के ऊपर जिम्मेदारी है, हम सब पर जिम्मेदारी है। हमको दूसरा पहलू भी देखना है। इस पर चियर्स हुयी। चियर्स होती है जब आदमी इस तरह की बात कहता है। प्रधान मंत्री इसमें आगे चल कर कहते हैं :—

"All these social matters, Mr. Nehru said, were aimed at bringing about a structure of society different from what it was at present. In that different structure if full compensation was paid, the 'haves' would remain 'haves' and the 'have-nots' would remain 'have-nots'. In any scheme of social engineering, there could not be full compensation paid, apart from the other patent fact that nobody had the resources to give it. But at the same time, the Prime Minister said, he would not accept the proposition that no compensation should be paid.

"We do not accept it because we do not think it is a practical proposition. We do want to give compensation and we intend to, as we have been doing. It is not the rule of thumb that compensation should be the market value of property; it cannot be done if you think it terms of India or the whole State. The object is not to expropriate, or injure anybody, but the positive object is to bring about social changes for the benefit of the largest number of people doing the least injury to any group or class."

तो श्रीमन्, इसके जरिये तो जो माननीय प्रधान मंत्री की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनको इस बात का यश हासिल है, फख्र हासिल है, जैसा कि हम सब लोगों को है, तो हमारे लिये हिदायत है कि पूरा मत देना लेकिन किसी को जायदाद वैसे ही मत छीन लेना। यह मोटा सा अर्थ मेरी भाषा में है। दे रहे हैं लेकिन पूरा नहीं दे रहे हैं। अब यहां माननीय मित्र कह सकते हैं गैर मजरुआ जमीनों की बात। तो गैर मजरुआ जमीन ९४ हजार एकड़ है इस २ लाख ९२ हजार एकड़ में से इन २२ जिलों में। तो ४५ जिलों में दूना लगा लीजिये १ लाख

[श्री चरण सिंह]

९० हजार एकड़ मोटे से हिसाब के लिये। मैं दो लाख माने लेता हूं। कबाल टाउन्स में ३८ हजार रुपया फी एकड़ भाव है जिसका कि मतलब यह हुआ कि ४ हजार ८ सौ ४० मुरब्बा गज होता है एक एकड़ में तो ८ रुपया गज। श्रीमन्, मैं माने लेता हूं १ रुपया गज, न सही ८ रुपया गज। कबाल टाउन्स में ८ रुपया गज हैं और जगह ६ रुपया, ४ रुपया, २ रुपया गज होगी मैं १ रुपया गज ही माने लेता हूं। दो लाख एकड़ परती जमीन का, जो शहर में है, वैसे पोटेंशियल वैल्य तो ज्यादा है, रियल वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन १ रुपये गज के हिसाब से भी दूं तो २ लाख एकड़ जमीन का १०० करोड़ होता है। पांच हजार रुपया हुआ एक एकड़ का, दो लाख का १०० करोड़ हुआ। आठ आने के हिसाब से दे दीजिये तो ५० करोड़ रुपया हुआ। मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं कि आप ४ आने के हिसाब से रख दीजिये तो २५ करोड़ रुपया हुआ। तो क्या २५ करोड़ रुपया है उन लोगों को देनेके लिये? तो यह मुआविजा देने की दिक्कत मैंने सर्वे के अलावा दूसरी दिक्कत अर्ज की।

अब श्रीमन्, यह बात हुयी कि १६ गुना जो आपने मुआविजा रखा है यह बहुत ज्यादा है। अभी कल मैंने माननीय मही लाल जी को और पद्मनाथ जी को टोका, लेकिन पता नहीं वह सुनते ही नहीं क्यों? अगर हम उनकी बात मान लें तो मुआविजा ज्यादा हो जायगा। मैं तो ज्यादा फारवर्ड हूं इस बात में अगर फारवर्ड के माने यह है कि मुआविजा कम दिया जाय। क्यों? क्योंकि २ रुपये के मालगुजार का औसत पड़ता है एक प्रोपराइटर का और हमने एक रुपये से लेकर २५ रुपये तक मालगुजारी देने वाले को २८ गुना मुआविजा दिया और २५ से ५० तक उसे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट कह लो, या मुआवजा कह लो, तो ८ गुना मुआविजा, २० गुना रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट २८ रुपये तक, २५ से ५० वालों तक २५ गुना, ५० से १०० वाले के लिये २० गुना १०० से १५० वाले तक १९ गुना, और १५० से २५० वाले तक के लिये १६ गुना आता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे माननीय दोस्त जमींदारी एबालिशन मुआविजे की जो दर है अगर वह उसको रखना चाहते हैं तो उसका २८ हुआ। अगर ५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी ही उनकी मान ली जाय तो फिर २५ गुना हुआ। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय मित्रों से यह शिकायत करना चाहता हूं कि उन सब दोस्तों ने इसको पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। अगर वह इसको पढ़ लेते तो सदन का बहुत सा समय बच जाता। मुझे बहुत अफसोस है कि आज सदन में गेंदा सिंह जी नहीं हैं। वह कहते हैं कि साहब ५० रुपये से कम मुआविजा देने की स्कीम जो देहात में बरती जा रही है वह बहुत गलत है और उसमें बहुत रिश्वत है। अगर्चे वह स्कीम बदल गयी और अब वह मालगुजारी में एडजस्ट हो रही मगर उनका ख्याल अब भी यह है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा है उनका ऐसा ख्याल रहे और हमारे खिलाफ कुछ न कुछ वह कहते रहें। उनको यह ख्याल मुबारक हो। वह कहते हैं कि वह चीज इसमें न हो जाय। मैं कहता हूं कि वह चीज इसमें नहीं है। मैंने बहुत कहा कि इसमें नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने धारा २६ इसको पढ़कर सुना दी इसमें तो श्रीमान्, यह है कि "मुआविजा तशखीस करने की सारी कार्यवाही मध्यवर्ती को देने की, कम्पन्सेशन आफिसर के सामने होगी जिसके रिस्डिक्शन में वह इलाका उस इन्टरमिडियरी के खेत का वाके हो।' इसमें तो ५० रुपये का जिकर नहीं है। अब श्रीमन्, मैंने एक कहावत पढ़ी थी उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। उसको दूसरे अल्फाज में कहना चाहता हूं लुत्फ तब आता है जब मुकदमे के मुकाबिले में अगर कानून की बात हो तो विरोधी भी कानून जानता हो तब जवाब देने में भी आता है।

अब यहां पर जुरिस्डिक्शन का मामला है कि किस अफसर के सामने वह मामला तय होगा। यह किस प्रकार अदा किया जायगा यह इसमें नहीं है। वह तो इसकी धारा ५३ में है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 'इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बंधों के रूप में अथवा अंशतः नगदी और अंशतः बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, दिया जायगा," किस प्रकार से वह दिया जायगा यह तो इस धारा ५३ के अन्दर है। जमींदारी एबालिशन

ऐक्ट की धारा जो है वह ३१ है और इसमें वह २६ के अन्दर है। यह अदायगी किस प्रकार से हो इस बिल की धारा ५३ के अन्दर है और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का सेक्शन ६८ है जिस में यह कहा गया है कि यह रूल में निश्चित किया जायगा कि मुआविजा नगदी के रूप में दिया जायगा या बांड के रूप में दिया जायगा या दोनों में दिया जायगा। लेकिन वह इन सब बातों को कहते रहे। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मित्र रामेश्वर लाल जी, रामसुन्दर पांडेय जी और रामसुभग वर्मा जी को यहां पर बहुत समय मिलता है और खाली वक्त उनके पास रहता है। अगर वह ला को पढ़ने की चेष्टा करें तो फिर इस सदन के काम में बहुत सहूलियत होगी और कानून के बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब यह बात जरूर है कि जैसे एन्टरटेन्मेंट एन्ड बैटिंग टैक्स का बिल आ जाय तो माननीय रामेश्वर लाल जी उसमें एक्सपर्ट हैं वह उसमें काफी कह सकते हैं और उस पर खूब कह सकते हैं लेकिन जब इस प्रकार की कानूनी बारीक बात हो तो फिर उनके बस की बात नहीं है कि उसको तह में जायं। अब यहां पर कहा गया कि एक्जिस्टिंग होल्डिंग की सीलिंग मुकर्रर कर दी जाय लेकिन मैं जान-बूझकर अपने प्रदेश के लिये सीलिंग मुकर्रर नहीं करना चाहता। श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री रामसुभग वर्मा और रामसुन्दर जी पांडेय वगैरा इसको, कहने को कहे जायं लेकिन सीलिंग का सवाल ही क्या है जब २, २ एकड़ की तो होल्डिंग्स हैं? द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने भी वही बात कह डाली जो सबने कही। दफा २१२ में जिस तरह कामन परपजेज की जमीन को ८-८-४६ के बाद जमींदार ने जमीन जेरकाश्त करली हो या किसी काश्तकार को नजराना लेकर ३०-६-५२ से पहले उठा दी हो, श्मशान, कब्रिस्तान, आम चरागाह, पैर-खलियान रखने की जगह और आम रास्ते, तो वापिस हो सकते हैं। इस प्रकार की दफा इसमें नहीं है। दूसरे यह कहा गया कि ३० एकड़ की उसमें लिमिट है लेकिन यहां कुछ भी नहीं है और कुछ होनी चाहिये। यह भी कहा गया कि माल गुजारी वहां तो घटा दी गयी थी, अगर दुगुने से ज्यादा पड़ते के लगान से ज्यादा होगी तो वह घटाई जा सकती है, ऐसा कोई प्राविजन यहां नहीं है। तो वे जरा क्लाज ६० तो उठाकर पढ़ें जो यह कहता है कि——

"१९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अध्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली के उपबन्ध में इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषिक्षेत्रों पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन (एडेंप्टेशन) परिष्कार (माडिफीकेशन) परिवर्तन (आल्ट्रेशन) अथवा अपवाद (एक्सेप्शन) कर सकती है जो उसके विचारानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों, और ऐसे किसी अनुकूलन परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।"

मैं यह भी बता दूं कि जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं वे सारे चैप्टर लिख लाये थे, मैंने कहा कि जितने ज्यादा चैप्टर होंगे उतना ही ज्यादा वक्त खराब होगा। इसलिये जहां उन्हीं बातों की नकल करनी हो ऐसा लिख दो जैसा दफा ३४२ जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में है कि ट्रांजिशनल पीरियड में पुराने या मौजूदा कानून का एडैप्टेशन हम एक आर्डर से कर सकते हैं। तो यह रख दिया। जोरावर वर्मा जी ने कहा कि इसके अन्दर २ एकड़ या १० एकड़ रखवा लो मगर अब कोई भी लिमिट रखने का हमें अधिकार है। इसमें मालगुजारी भी घट सकती है और सब कुछ हो सकता है।

मौर्य जी ने कहा कि जैसे शिकमियों के क्षेत्रपति थे, काश्तकार असली या २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार जो शिकमी या अधिवासी रखते थे उनको जो हमने सीरदार बनाया तो परती के लगान का १० गुना मुआवजा हमने दिया, कल्टीवेटरी राइट्स का कम्पेन्सेशन। यह बात भी बिल न पढ़ने के कारण कही गई। धारा २ की नम्बर ७ और १३ को देखें जिनमें मध्यवर्ती और उप-मध्यवर्ती के बारे में कहा गया है तो उन्हें मालूम हो जायगा कि असल बात है क्या। मैं दोहरा कर ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो निकासी का नक्शा क्लाज ३१ में तैयार होगा तो शिकमी से मिलने वाला लगान भी उस में शामिल हो गया। इसलिये कल्टीवेटरी और प्रोप्राइटरी राइट्स दोनों लगान देने की इसके अन्दर बात है। ब्रजविहारी मिश्र जी की तरफ से कहा गया——शायद उन्होंने अब प्रैक्टिस छोड़ दी है,

[श्री चरण सिंह]

उन्होंने कहा कि यह तो बतलाइये कि जिन काश्तकारों का नाम दर्ज नहीं है वे कैसे दर्ज करावेंगे और मुक़द्दमेबाजी बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया। जैसा जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में है वैसा यहां भी हो सकता है। माननीय बलबीर सिंह जी कौड़े-कौड़े देख रहे हैं कि लिटीगेशन का जिक्र है। वह तो घट ही रही है। माल की घट रही है और उसका असर फौजदारी पर भी पड़ने वाला है। मौर्य जी ने कहा कि सीर में जो दरख़्त हैं उनका भी मुआविजा देना होगा। यह कहा गया कि ठेकेदार के लिये ३० एकड़ ऊंचा है। यह ठीक मालूम होता है और वह सेलेक्ट कमेटी में घट सकता है। गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस बिल से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यह बात गलत हैं। भूमिव्यवस्था जैसी देहात में है वैसी ही शहरों में भी हो जायगी। हमने यहां केवल सीरदार और भूमिधर रखे हैं। सीरदार १० गुना देकर भूमिधर बन सकता है और उसकी हैसियत १०० गुनी या ५० गुनी हो जायगी। शादियां अच्छी जगह होने लगेंगी। उन्होंने कहा कि साहेब, चीन के जमींदार बहुत खुश हैं। नहीं मालूम वे कैसे खुश हो गये? वे तो राहेअदम पर पहुंच चुके हैं। जब वे हैं ही नहीं तो खुश कैसे हो गये ६, ६ माऊ वहां जमीन तकसीम हुई है। 'माऊ' कहते हैं 'बिस्वा' को। मैं शायर नहीं हूं और न मुशायरे बहुत सुने हैं। मैंने सुना है कि मक्ते का बन्द होता है मगर हमारे कुछ दोस्तों की स्पीच बन्द ही नहीं होती है जब तक कि चीन की माला न रट लें। रामनारायण जी ने सोशलिज़्म की तारीफ के बारे में कहा लेकिन हमें सोशलिस्टिक पैटर्न तो मालूम है। सोशलिस्टिक पैटर्न में हमें नेहरू ने यह बताया कि कोई काश्तकार बेदखल न हो जाय। बुरहानपुर में हम आचार्य विनोबा जी की कान्फ्रेंस में गये थे। फिर ए० आई० सी० सी० का डायरेक्टिव आ गया। इसके अतिरिक्त और भी कई जरिये उनको हैं स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने के। तो उन्होंने सब प्रकार से यही कहा कि कोई बेदखल न होने पाये। हमारा कोई भी शिकमी बेदखल न होगा। लिहाजा हमने सब शिकमियों को सीरदार बना दिया। यह हमारा सोशलिस्टिक पेटर्न हैं। लेकिन राम नारायण जी त्रिपाठी का सोशलिज्म क्या बताता है? वह बताता है कि शिकमियों के जिनके पास शिकमियाना जमीन है उस पर अख्तियार लैंड होल्डर्स और जमींदारों को दे देना चाहिये। उनकी यह शिकायत है कि इन शिकमियों को बेदखल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इन शिकमियों को अधिकार देने से हजारों क्षेत्रपति बेकार हो जायेंगे। मैं आपके द्वारा उनसे यह दरख़्वास्त करता हूं कि आखिर यह किस प्रकार का सोशलिज़्म है? अब आपके उस सोशलिज्म के मुकाबले में हमारा यह सोशलिस्टिक पैटर्न रिएक्शनरी है या आपका सोशलिज्म ज्यादा रिएक्शनरी है? मालूम ऐसा होता है कि उनकी सोसायटी में लैंड होल्डर्स ज्यादा होंगे और जिन गरीब लोगों के पास एक एक बिस्वा, एक-एक बीघा जमीन है वे उसके दायरे में नहीं आ पाते। इस पर पहले भी काफी बहस हुई। बेदखल कितने होते हैं इसके भी आँकड़े उनको बताये गये। जिन लोगों की जमींन शिकमियों के पास थी उसमें से ८८ १/२ फीसदी जेरेकाश्त हैं। इसलिये इसमें किसी को ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। अगर किसी को तकलीफ भी होगी तो उससे ज्यादा दोनों को फायदा भी होगा।

श्री रामेश्वर लाल जी को सार्वजनिक प्रश्नों को अध्ययन करने का समय शायद कम मिलता है। मैं उनको एक सुझाव देता हूं। अब उनका सोशलिज्म सुन लीजिये। मैंने यह भी फायल रख ली थी कि कभी लम्बी बहस होगी तो काम आयेगी। १३ सितम्बर, सन् १९५५ को लेजिस्लेटिव असेम्बली के आफिस से एक चिट्ठी हमारे पास गयी कि २३ सितम्बर को यह काम नानआफीशियल आने वाला है। उसके अन्दर एक रिजोल्यूशन देवरिया निवासी माननीय रामेश्वर लाल जी का था। वह इस प्रकार है :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार साढ़े तीन एकड़ जमीन तथा उससे कम खाता रखने वाले किसानों को जिन पर खाता अल्हैदगी आदि का भी हक नहीं है, दूसरों को सरमायेदाराना एवं रहन रखने पर काश्तकाराना

हक न दिया जाय। सदन सरकार से यह अनुरोध करता है कि उपरोक्त तरह से खातों पर उपरोक्त तरह के सरमायेदाराना या काश्तकाराना हक खारिज करने की व्यवस्था बनायी जाय।"

हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझने लगे। मैंने कहा कि नहीं उनका मतलब यह है कि कि साढ़े तीन एकड़ से नीचे वाले किसानों को यह अधिकार दिया जाय....

श्री रामेश्वर लाल—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव के ऊपर जो सदन के सामने किसी अगली बैठक पर आया हो, उस पर माननीय मंत्री जी किसी तरह का कोई विचार प्रकट कर सकते हैं और अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा अधिकार दूसरों को भी होना चाहिये।

अधिष्ठाता—उन्होंने अपना एतराज कह दिया अब आप जारी रक्खें।

श्री चरण सिंह—तो इस सबलेटिंग के अख्तियार के बारे में मैंने उनको बुलाकर उनका मतलब साफ करा लिया। फिर मैंने उनको बतलाया कि देवरिया में उसका औसत २.९७ प्रतिशत आता है। देवरिया में ७० फीसदी के पास साढ़े तीन एकड़ से कम है तो क्या सूबे में फिर से जमींदार बनाना चाहते हो? जमींदार का माने यह होता है कि वह काश्त पर जमींन उठाता रहे। श्रीमन्, मैंने सोशलिस्टिक पैटर्न और सोशलिज्म का यह फर्क देखा तो हम समझ नहीं सके कि आखिर क्या बात है। हम प्रतिगामी हैं या कोई और हैं। श्रीमन्, माननीय सीताराम शुक्ल जी ने कल जो भाषण दिया उस सम्बन्ध में केवल यह कहूंगा कि वे गलत संगत में बैठते हैं, यह संगत उनके लिये नहीं है। जमींदारी एबालिशन पर भी एतराज है, न मालूम कहां-कहां पर एतराज है। मालूम होता है कि गलती से बहक कर के इस टोली में चले आये उनके लिये कोई और जगह थी एक बात मैं श्री जोरावर जी वर्मा और श्री झारखंडे राय जी के बारे में कहकर खत्म करता हूं। श्री जोरावर वर्मा जी ने कहा कि म्युनिसिपल एलेक्शन में हार गये इसलिये बिल देर में लाये हैं।

श्री जोरावर वर्मा—मैंने नहीं कहा था, शुक्लजी ने कहा था।

श्री चरण सिंह—मैं कहता हूं कि म्युनिसिपल एलेक्शन से इसका क्या वास्ता? देर में लाये हैं लेकिन लाये तो हैं, इसका मतलब कि अगले जनरल एलेक्शन में हार जायेंगे? किसी बात का सिर न पैर और इसी तरह से कह दिया। उनको चाहिये कि किसी बात को कहने के पहले उस पर सोच लिया करें। एक बात कही गयी कि कैपिटलिस्टों का असर इस गवर्नमेंट पर हो गया है। श्रीमन्, जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया और जिस तेजी से किया और जिस लगन के साथ किया मैं श्रीमन्, फिर यह कहूंगा कि अगर कैपिटलिस्टों का असर इस पर है तो आगे हम चाहते हैं कि दुनियां की जितनी गवर्नमेंट्स हैं उन सब पर कैपिटलिस्टों का असर हो जाय। मुबारक है कि कैपिटलिस्टों का ऐसा असर हो। एक बात मैं और आप की इजाजत से कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जोरावर वर्मा जी मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं कोई बुरी बात उनके लिये नहीं कहूंगा। अभी उनको तजुर्बा हासिल करना है। परमात्मा की दया से अभी उम्र बहुत ज्यादा है और ज्ञान की वृद्धि की गुंजायश है। इसलिये जो भी बात वे कहें किसी की नीयत पर हमला वगैरह की बात करने से पहले उस पर जरा सोच विचार करें। अगर वे विचार करेंगे तो स्वयं पछतायेंगे। यह लांछन हम पर ठीक नहीं होता है। इससे हमको तकलीफ होती है। नुक्ताचीनी सौ बात की हो सकती है लेकिन डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिये किसी की नीयत पर हमला करना यह सबसे बड़ा खतरा है। इस मुल्क के लिये सबसे बड़ा खतरा है। चूंकि पहले पहल वे असेम्बली में आये हैं, हमारी उनसे उम्र भी ज्यादा है और तजुर्बा भी ज्यादा है, इसलिये मेरा उनके

[श्री चरण सिंह]

लिये नेक मशविरा यही है कि जब पैर निकाले हैं तो जरा देख कर चलें। किसी की नीयत पर हमला न करें। श्रीमन्, इन अल्फाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

***माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**---अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स, चकबन्दी, अधिनियम की धारा २७ का मंशा यह था कि जब चक दे दिये जायं खातेदारों को, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक विज्ञप्ति जारी करेगी कानून मालगुजारी की धारा ४८ के अधीन सरकारी गजट में, इसलिये कि गांव में नया सजरा, खसरा और खतौनी तैयार किये जायं और हर गांव के मुताल्लिक नए कागजात तैयार किये जायं यू० पी० लैंड रिकार्ड्स ऐक्ट की धाराओं, कवायद या जवाबित के अधीन। यह सेक्शन पहले था। अब जब हमारे राज्य कर्मचारियों ने सुल्तानपुर के जिले में २०९ गांवों में चकबन्दी करा दी और कब्जा भी अदल बदल दिया और जब वह इस धारा तक पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि दोबारा फिर से रिकार्ड और सर्वे का काम क्यों किया जाय और क्यों पैमाइश पड़ताल फिर से हो, क्योंकि दफा ९ में अगर कोई कागज गलत था, नाम गलत था, या खेत की पैमाइश या रकबा गलत था या कोई ऐसा झगड़ा था तो एतराज हो सकता था और उसकी दुरुस्ती हो चुकी। आगे दफा १२ है उसमें भी कोई शख्स एतराज कर सकता था और आरबिट्रेटर या सालेह पर मामला जा सकता था। उस के बाद स्टेटमेन्ट आफ प्रिंसिपल या हमने उसको तर्जे चकबन्दी नाम दिया है जैसे बटवारे के लिये तर्जे तकसीम था कि जिस पर कनसालिडेशन कमेटी चकबन्दी करना चाहती है। तो जब उसूल बने उस वक्त भी कोई शख्स चाहे तो एतराज कर सकता है और दफा २२ में फिर उस एतराज की सफाई होगी, फिर दफा ३६ है उस में भी सुनवाई हो सकती है। इस तरह से एक, दो, तीन, चार बार उसको कागजात दुरुस्ती का मौका मिल जाता है, वह रकबा आदि दुरुस्त करा सकता है और रिकार्ड को ठीक करा सकता है। तो इस पर हमारे अफसरों की राय हुई, उस पर बातचीत हुई और उनकी राय ही सही हुई कि फिर से इस काम को कराने की जरूरत नहीं है। उनकी राय यह थी कि जिन खातों के मुताल्लिक झगड़ा है या रिकार्ड या रकबे के बारे में झगड़ा है, तो वह इन तीन चार प्रासेस में तय हो चुकेगा और इसलिये फिर से तमाम सर्वे या रिकार्ड कराना जरूरी नहीं है और जिसके बारे में कोई झगड़ा नहीं था उनके लिये भी बेकार है। इसलिये यह काम बेकार था और बेफायदा था। हां, रिकार्ड और सर्वे की जरूरत पड़ेगी उन खातों की जमीन के मुताल्लिक जिनके टुकड़े किये गये हैं या कोई शामिल किया गया है या घटाया गया है, जहां चकबन्दी हुई है है और नई हदें बनी हैं। तो ऐसे खेतों के मुताल्लिक सर्वे या रिकार्ड कराना जरूरी था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और बाकी ऐसी आराजी का भी रिकार्ड कराना जरूरी है जो चकबन्दी में शामिल नहीं थी और गांव में जमीन थी ताकि उसके मुताल्लिक आगे के लिये कागजात दुरुस्त हो जायं। अब वह कहेंगे कि बताया जाय कि ऐसी कौन सी जमींन होती है। मसलन बागात हैं, खादर या कछार की जमीन है, जहां चकबन्दी नहीं हुई है या वह गैरमजरुआ आराजी जो कि सरकार की है और पंचायत को दे दी गयी है इंतजाम के लिये उसके रिकार्ड को भी ठीक कराने की जरूरत हो सकती है या जहां दूसरों ने पंचायत की जमींन पर कब्जा कर रखा है। वहां जमींनों का तो रिकार्ड और सर्वे हो जाय, लेकिन अजसरे नौ सेंट परसेंट सारे खेतों का जिनका डिस्प्यूट हो कर सेटिल हो चुका है उनके रिकार्ड और सर्वे का मतलब है ९ महीने फिर लगेंगे या साल भर लगेगा। यह बेकार भी होगा और खर्च भी बढ़ जायगा। इसलिये एक आर्डिनेन्स तैयार किया गया था जिसका मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम अब आर्डिनेंस विधेयक का रूप धारण कर रहा है। इसमें है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

> "२७ (१) चकबन्दी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चकबन्दी संचालक प्रत्येक ऐसे गांव के लिये, जो चकबन्दी कार्यों के अन्तर्गत आता हो, गांव का एक नया नक्शा खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा और उक्त अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन जो विहित किये जायं, अनुसरण किया जायगा।"

तो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का जो प्राविजन है जो प्रोसीजर दे रखा है वैसा नहीं किया जायगा बल्कि उसमें नियमों के जरिये से कुछ संशोधन कर दिया जाय और उस संशोधित प्रोसीजर का अनुसरण करे। तो श्रीमन्, यह आर्डिनेंस तैयार कर दिया जायगा इस ख्याल से कि अगर बाकायदा बिल पास करके अधिनियम बनाया जाता तो तीन-चार महीने लग जाते और इस बीच में उसका काम खत्म हो जाता। इसलिये आर्डिनेंस तैयार किया और अब दरख्वास्त लेकर यहां हाजिर हुआ हूं कि जो गवर्नमेंट ने काम किया था उस पर आप अपनी मुहर लगा दीजिये। कौंसिल से पास हो गया। बहुत छोटा सा बिल है। असेम्बली में अब आया है इस दरख्वास्त के साथ कि अब माननीय गेंदा सिंह जी को सुनने का मौका मिलेगा उस वक्त वे मौजूद नहीं थे। इतना कह कर मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, हमने इस संशोधन विधेयक में एक संशोधन आपकी सेवा में भेजा है और वह संशोधन केवल इतना ही है कि यह जोत चकबंदी द्वितीय संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और उसको यह अधिकार दिया जाय कि मूल अधिनियम द्वारा कार्य करने में जहां कहीं कठिनाइयां और त्रुटियां पायी गयी हों उनको ध्यान में रखकर वह संशोधन कर दे और इस संशोधन के साथ प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले सोमवार को इस सदन में आ जायगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि मैं या माननीय रामेश्वर लाल जी या माननीय गेंदा सिंह जी, माननीय राजस्व मंत्री जी की तरह से वकील नहीं हैं, हम लोग वकीलखाने में नहीं रहे हैं यह बात सही है लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी खुद वकील हैं और उधर के बैठने वाले बहुत से सदस्य वकील हैं उनका सलाहकार विभाग भी वकील है, लेकिन यह जोत चकबंदी विधेयक तीसरी बार अब फिर सदन के सामने प्रस्तुत है। जो विधेयक दो दो बार सदन के सामने संशोधन के लिये आये उसी से माननीय राजस्व मंत्री जी और उनके सलाहकारों की योग्यता नापी जा सकती है और सरकार के बनाये हुये बहुत से कानून हाई कोर्ट द्वारा रद्द हुये हैं। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन लाया

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

गया है इससे सही माने में चकबंदी उन लोगों के हक में साबित नहीं होगी जो गरीब हैं । पहला संशोधन जब लाया गया था तब और इसमें यह अधिकार दिया गया कि चकबंदी आफिसर आवश्यक पड़ताल करायेगा और फिर यह संशोधन आज लाया गया है जिसमें कहा गया है:—

"चकबंदी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चकबंदी संचालक प्रत्येक ऐसे गांव के लिये जो चकबंदी कार्यों के अन्तर्गत आता हो गांव का एक नया नक्शा खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा और उक्त अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन जो विहित किये जायं अनुसरण किया जायगा ।" श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री को हम लोगों से ज्यादा अनुभव होना चाहिये, क्योंकि वे इस विभाग के मंत्री हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि जिन जिलों में चकबंदी हो रही है उससे उन्होंने अनुभव प्राप्त नहीं किया है । जो वहां के अधिकारी माननीय मंत्री जी को सुझाव देते हैं उसी पर वे संशोधन प्रस्तुत कर देते हैं । मैंने आज सुल्तानपुर के उधर के बैठने वाले एम० एल० ए० से सम्पर्क किया और पूछा कि आपके यहां जो चकबंदी हो रही है उसके सम्बन्ध में आपकी जानकारी क्या है । श्रीमन्, उन्होंने कहा कि लूट, घूस, अधिवासियों की बेदखली की भरमार है । मेरे जिले में भी चकबंदी हो रही है और सदर तहसील में चकबंदी हो रही है और मेरा यह ख्याल है कि माननीय राजस्व मंत्री उधर अभी जा नहीं पाये । श्रीमन्, अभी इस ९ तारीख को उसी तहसील में आजमगढ़ शहर से एक स्थान ४ मील की दूरी पर है वहां पर मैं एक सार्वजनिक सभा में हिस्सा लेने के लिये गया । श्रीमन्, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस लेखपाल, कानूनगो, अमीन की तारीफ करते हुये माननीय राजस्व मंत्री अघाते नहीं, फूले नहीं समाते और अभी नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के सम्बन्ध में उत्तर देते समय उन्होंने हाफिज जी की स्पीच देने के जिस ढंग का अनुकरण किया उस तरह का अनुकरण मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि ये लेखपाल, अमीन और कानूनगो इस सदन में उनके पास किये हुये कानूनों के उद्देश्यों के विपरीत काम कर रहे हैं । माननीय राजस्व मंत्री या चकबंदी आफिसर के पास, उनके संचालक के पास कितनी ही शिकायत की जाय, लेकिन उन शिकायतों को वे अपने कान में रखना पसन्द नहीं करते और बार बार उन्हें ही अधिकार देना चाहते हैं । धारा ७ मूल अधिनियम की पेज नं० ५ पर आप देखें उसमें लिखा है "सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी की अस्थायी योजना तैयार करने से पहले सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की पड़ताल करके गांव के नक्शे, खसरे तथा चालू वार्षिक रजिस्टरों की शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा ।" और आगे यह संशोधन कर दिया गया "करायेगा" । तो फिर किससे करायेगा ? उसी कानूनगो, अमीन से । इसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री आप जानते हैं, सभी सदस्य जानते हैं । २१ हजार पटवारियों के लिये कहा गया था कि ये बड़े बेईमान हैं, फिर उन्हीं को अमीन और कानूनगो का खिताब देकर फिर यह कहते हैं कि जो पैमाइश और पड़ताल हुयी है उसे मान लिया जाय सहायक चकबंदी आफिसर उसे मान लें, उसको नये सिरे से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । श्रीमन्, हमें तकलीफ होती है कि एक बार इस सदन में जिस व्यक्ति को दोषी समझा जाय और दोष करने के कारण सजा दी जाय, फिर उसी को नियुक्त करके हरिश्चन्द्र की उपाधि दी जाय । यह तो श्रीमन्, वकीलों की ही बात हो सकती है । वकील साहबान अदालतों में यही किया करते हैं जिस चीज को साबित करना होता है चाहे झूठ से झूठ हो हत्यारे से हत्यारा हो, डकैत से डकैत हो उसको हरिश्चन्द्र की उपाधि दे देंगे । वकील ही ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमारे जैसा देहाती आदमी जो देहात का रहने वाला हो उसका यह पेशा नहीं है। यह माननीय राजस्व मंत्री जी का वकील समुदाय ही करता है । मैं श्रीमन्, आप देखेंगे और इसलिये इस विधेयक को मैं प्रवर समिति के सामने भेजना चाहता हूं, यह मेरी इच्छा नहीं है कि यह विधेयक देरी से पास हो । लेकिन मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सख्त एतराज है कि जब आर्डिनेंस गवर्नर के जरिये सरकार पास कराती है और उस आर्डिनेंस की जब मीयाद खत्म होने लगती है तब सरकार सदन में मजबूरी जाहिर करती है कि इस पर विचार किया जाय और एक दो दिन का वक्त सदन को देना अपने को अपमानित करना समझती है । जहां लोकतंत्र की बात होती है । जहां पूरे सूबे

के लाखों करोड़ों किसानों और जनता का सम्बन्ध हो, इस विधेयक पर जबकि दो-दो घंटे का और दो घंटे नहीं पंद्रह मिनट का वक्त दिया जाय तो उस पर मैं नहीं समझता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य कैसे अपने विचार दे सकेंगे ?

श्रीमन्, अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे जिले में भी चकबन्दी हो रही है। मैं वहां गया और नाम उसका शायद रामनाथ तिवारी है, श्रीमन्, खोजापुर तो सदर तहसील के पास एक ऐसा गांव है जहां पर भूतपूर्व जमींदार रहते हैं। उसके पास एक गांव में एक विराट सभा उन किसानों की, जो कि चकबन्दी में, माननीय राजस्व मंत्री के लेखपाल और अमीनों के सताये हुये हैं, उनकी हुयी थी। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री और उप मंत्री जी जरा तकलीफ बरदाश्त करके देखें कि उनके कानूनगो ने वहां पर क्या आफत ढाई है। छतरपुर में जितने अधिवासी थे बीसों साल से खेतों पर उनका इंदराज है लेकिन उनको कानूनगो मुतनाजा लिखता है। और अफवाह यह है कि वहां पर यह फैसला होने जा रहा है कि वहां पर जो भूतपूर्व जमींदार हैं उनके हक में देने वाला है। तो श्रीमन्, ये जो संशोधन लाये गये हैं, यह बात तो सही है कि माननीय राजस्व मंत्री का उससे कुछ रुपया बच जायगा। लेकिन श्रीमन्, हमें बड़ा एतराज है कि जो चकबन्दी विधेयक प्रस्तुत किया गया था और श्रीमन् आप धारा ३३ देखेंगे जिसमें यह कहा गया है कि व्यय जो होगा उसका आधा हिस्सा वसूल किया जायगा और बाद को आधा वसूल किया जायगा। श्रीमन्, उसके अनुसार नियमों में ४ रुपया प्रति एकड़ तक वसूल करने को मंजूर किया है कि राजस्व मंत्री जी द्वारा जो अधिकार सहायक चकबन्दी अफसर को दिया गया था कि वह पड़ताल करे खेतों-खेतों पर जाकर और खेतों में जाकर पैमाइश करेगा। अब इसके बाद एक उसमें संशोधन विधेयक आया। और उसमें कह दिया गया "करायेगा" और उसमें भी कहा जा रहा है कि "करायेगा" खुद नहीं करेगा। "करायेगा" तो मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि जब आप सहायक चकबन्दी अफसर और चकबन्दी अफसरों के काम को थोड़ा करने जा रहे हैं, और उन लोगों के हाथों में शक्ति देने जा रहे हैं, जो आपके लेखपाल कानूनगो और अमीन हैं जिन को खुद वह कहते हैं कि वह ईमानदार नहीं हैं, उन्होंने आज स्वीकार किया कि नागर क्षेत्र की जमींदारियों के सम्बन्ध में कि बहुत गलत इन्दराज हैं और जब गलत इन्दराज हैं और गलत इन्दराज करने वाले वही लोग हैं उन्हीं को अधिकार दिया जा रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि वह कागज दुरुस्ती कैसे होगी। जब माननीय मंत्री जी से शिकायत की जायगी तो मंत्री जी का जो संचालक सहायक चकबंदी अफसर कानूनगो कहेगा उसी की वकालत करेंगे। इस सदन में एक दो बार की घटना नहीं है श्रीमन्, बीसियों बार सरकार की ओर से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की जाती है और उसी का नतीजा होता है कि उन लोगों को गलत कामों के लिये प्रोत्साहन मिलता है और उन गलत कामों का सुधार नहीं हो पाता है। मैं कहूंगा कि इस धारा में संशोधन जो रखा गया है वह तो समय को बचाने के लिये है, रुपया बचाने के लिये है, लेकिन चकबंदी अच्छी तरह से हो सके और गलत इन्दराज न हों इसका हल इससे होने वाला नहीं है। इसलिये भी हमने कहा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय कि बहुत से टैक्स के सम्बन्ध में हमने आप से कहा कि उसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है जो व्यय होता है उसमें, जो गल्ले की कीमत है, मालगुजारी और टैक्स की जो सूरत है उस पर आप श्रीमन्, ध्यान देंगे और जिस वक्त यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था उसके अनुसार जो नियम ४ रुपया एकड़ का था उस पर भी आप ख्याल करेंगे और सदन ख्याल करेगा तो आवश्यकता है कि इसके व्यय में कमी की जाय जिससे कि धारा ३३ में कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाय, नहीं तो सारे खेत जिस खेत में २० मन गल्ला पैदा हो उसका भी ४ रुपया एकड़ और एक मन हो तब भी उतना ही, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इसमें संशोधन होने से करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी। जो खेत जिस ढंग का होगा और जो आज अवस्था है गल्ले की कीमत की, मालगुजारी और टैक्स की उसकी एक सही तरीके से सदन के सामने एक कल्पना आ जाने के बाद सही माने में सदन उसको तय कर पायेगा।

इसके अतिरिक्त आप देखेंगे धारा १५ की उपधारा ५ और आठ को। धारा ५ में कहा गया है कि एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक सम्भव हो पास-पास में चक दिये जायं।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, अभी जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है जिसमें ठेकेदारों को ३०-३० एकड़ तक एक परिवार को रखने के लिये अधिकार दिया गया है उसके बाद इस चकबंदी विधेयक में यह कहा जा रहा है कि उनके खेत एक चकमें दे दिये जायं तो इसका नतीजा यह होगा कि वह ठेकेदार और भूतपूर्व जमींदार जिनके नाम से अधिवासियों के सारे खेत फार्म के लिये दे रहे हैं, वह सारे के सारे खेत उन्हीं को पास में मिलेंगे और जो गरीब आदमी हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा उनको इधर-उधर खराब जमीन मिलेंगी। तो इसमें संशोधन की जरूरत है। जहां उस ऐक्ट में जो जमींदारी उन्मूलन का है कमी करने की जरूरत है तो इसमें भी कमी होने की बात सोच सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि धारा ३६ में कह दिया गया है कि चकबंदी अफसर मध्यस्थ नियुक्त करेगा और वह जो फैसला करेगा वही सर्वमान्य हो जायगा, उसकी अपील नहीं होगी। और हर गांव में भूमि-प्रबंधक समिति बनायी गयी है वह निर्णय कर सकती है। पर उसे अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मैं जरा सा एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। आपके जरिये मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट का एक संशोधन विधेयक मैं जल्द लाने वाला हूं। तो उस वक्त रामसुन्दर पांडेय जी को पूरा मैदान मिलेगा जितना व्याख्यान चाहें दें। यह तो एक छोटा सा विधेयक है, इसमें सारे मैदान को क्यों नाप रहे हो ?

अधिष्ठाता---मुनासिब यह है कि इस बिल में जिसकी तरमीम की गयी है उसी के ऊपर मेम्बर साहब ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, हमें बहुत दुःख है कि हमारे संशोधन को माननीय राजस्व मंत्री जी ने सुना ही नहीं और हमें तकलीफ होती है जब जरा सा आप भी हमारे ऊपर आदेश देते हों। मैंने संशोधन यह रखा है कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय और इस नियत से भेजा जाय कि इस विधेयक में जो-जो कमियां आज साबित हो रही हैं उन सब पर वहां विचार किया जाय।

श्री चरण सिंह---एक प्वाइंट आफ आर्डर मैं रेज करना चाहता हूं। यह माना कि आपका संशोधन है कि जो इसमें और त्रुटियां हैं वे भी प्रवर समिति में ले जाकर दूर कर दी जायं। तो श्रीमन्, जो हमने बिल पेश किया उसके उसूल के मुताल्लिक यह कहना कि इसमें और तमाम उसूल शामिल कर लिये जायं यह तो इस मेरे रेफ्रेंस के मोशन के बाहर होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा इतना आप कहें कि और संशोधन भी हो जायं। लेकिन अगर उन संशोधनों को भी कहना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट बात है।

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य से मैंने पहले ही कहा कि आप कोशिश यह कीजिये कि जो आपका अमेंडमेंट है और जो बिल आया है सिर्फ उसी पर अपना ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---और श्रीमन्, एक धारा इसमें ४६ है जिसमें ५० रुपये तक जुर्माना है। तो इसमें भी अगर यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय तो संशोधन हो सकता है।

श्रीमन्, एक जो सबसे आवश्यक चीज है, और मेरा ख्याल है कि माननीय राजस्व मंत्री इसे महसूस करेंगे, कि इधर विकास का काम प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गया है और नहरें, बांध और सड़क सबकी भरमार होती चली जा रही है। होनी चाहिये, ठीक है। लेकिन श्रीमन्, किसी बड़े भू-स्वामी का अगर खेत इन कामों में निकल जाता है तो उसकी परेशानी हम लोगों को नहीं हो सकती है शायद राजस्व मंत्री को हो, लेकिन हमारी परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है

जब जिस किसान के पास अगर एक ही या दो बिसवा खेत है और वह भी इस निर्माण कार्य में निकल जाय तो वह बिना खेत के हो जाता है। मैं यह चाहता था कि इस चकबंदी विधेयक में जो एक धारा जोड़ी जाय उसमें यह हो कि यदि चकबंदी हो तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा खेत भी मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन सदन स्वीकार करे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मित्र पाडेय जी के संशोधन का विरोध करता हूं और जो संशोधन विधेयक सदन के सामने है उसका समर्थन करता हूं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि रामसुन्दर जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जिनका ताल्लुक इस संशोधन विधेयक से नहीं है। यह संशोधन विधेयक बहुत ही सीमित है। इसमें सिर्फ दफा २७ की तरमीम की गयी है। मेरे मित्र माननीय पांडेय जी का खयाल है कि यह विधेयक अगर प्रवर समिति के सामने जायगा तो वह दफा २७ को ही नहीं बल्कि सारे चकबंदी विधेयक को फिर से देख सकती है और उस पर विचार कर सकती है। मेरे खयाल में ऐसी बात नहीं है। अगर यह प्रवर समिति में जायगा तब भी ऐसा करना उस समिति की ताकत के बाहर होगा क्योंकि प्रवर समिति को आप वही चीज भेज सकते हैं जो इस वक्त सदन के सामने है। और सदन के सामने एक बहुत ही मुख्तसिर सा मसला है और वह यह है कि चकबंदी की दफा २७ को इस जगह से हटाकर नयी दफा २७ उसकी जगह पर रख दी जाय। इस दफा २७ का मतलब बहुत ही सादा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा और संशोधन विधेयक में भी कहा गया है कि हमें दिक्कतें महसूस हुयी और इनको दूर करने के लिये ही यह संशोधक विधेयक लाया गया है। जाहिर है कि चकबंदी के सिलसिले में एक दफा नहीं बल्कि कई दफा पड़ताल होती है। पहले सिद्धांत सामने आते हैं, फिर प्रपोजल आते हैं। फिर नया नक्शा बनता है और दफा २७ में पहिले यह बात रखी गयी थी कि जब चकबंदी का नक्शा बन जाय तो फिर से लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा ४८ के मातहत में एक नयी सर्वे हो। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है, इसके माने यह होंगी कि जिन जमीनों पर कई दफायें चल चुकी हैं उन पर फिर से चलने के लिये मजबूर होंगी और इससे कोई नतीजा नहीं निलेगा। लिहाजा नयी दफा २७ के तहत में डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स को यह अधिकार दिया गया है कि वह पड़ताल करके नयी सर्वे जो चकबंदी के सिलसिले में होंगी उसी को सामने रखे और वही फायनल हो जाय। फिर लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट की दफा ४८ के तहत नई सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सादा और मुख्तसर चीज थी।

इसमें पांडेय जी को न जाने क्यों डर पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ, जिनकी कोई खास अहमियत नहीं है। इसमें जो लेखपाल और कानूनगो हैं वह सब अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे। सिर्फ मकसद यह है कि काम को बढ़ाया न जाय और जो चीज एक दफा हो चुकी है उसी को कानूनी तरीके से पूरा समझा जाय। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही मामूली सी चीज है और यह बात गलत होती अगर यह बिल सामने न लाया जाता। जैसा इसमें कहा गया है कि दो जिलों में चकबंदी होने लगी थी तब यह मसला सामने आया कि जब एक दफा पड़ताल हो गयी है तो फिर अजसरेनौ पड़ताल की जायगी तो काम बढ़ेगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को मंजूर कर लिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माल विभाग की जागरूकता की प्रशंसा करता हूं और मैं चाहता हूं कि लैन्ड रिफार्म्स का जो यह मसला है वह शीघ्र से शीघ्र पूरा हो जाय। इस संशोधन विधेयक के द्वारा वर्षों का समय बच गया है। किसी चीज के बनाने में प्रायः भूल हुआ करती हैं परन्तु व्यवहार क्षेत्र में कठिनाई प्रतीत हुई तब धारा २७ के स्थान पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि चकबंदी की पूर्ति हो जाने के बाद लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के चेप्टर ४ के अनुसार पुनः पड़ताल करना पड़ता

[श्री रामलखन मिश्र]

और नये नये प्रश्न उठते । चकबंदी अधिकारियों की जागरूकता और माननीय माल मंत्री जी की देखरेख के कारण यह त्रुटि इसी सम पकड़ ली गई है और यह संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । मैं विनम्र शब्दों में माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह धारा २७ का जो संशोधन है इसका आधा स्वरूप तो प्रगट है और आधा अंतरिक्ष में है, परदे में है, इसका अभिप्राय यह है कि धारा २७ का जो संशोधन है उसके द्वारा संकेत किया गया है कि हम एक विधि के द्वारा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की कुछ संबंधित धाराओं की सहायता से एक विशेष रीति से— "इसका मैं परिमार्जन करूंगा कि कौन सी धारायें होंगी ? चैप्टर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्दर यह धारा ५४, धारा ५७ यह सब उसके अन्दर रहेगा या नहीं रहेगा ? इसके संबंध में मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि यह विधि बनाते समय हमारे माल मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे क्योंकि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत समर प्रोसीजर के अन्दर एक सूक्ष्म कार्यवाही होती है और उसके अन्दर कोई ऐसी धारा नहीं है जिस धारा के अन्दर कंक्लूसिव फाइनल, निश्चयात्मक रूप से कोई बात निर्णय हो सके और इस संशोधन में हमने एक ऐसी मान्यता दी है कि जो इंदराज उसमें होंगे वह निश्चयात्मक रूप से अंतिम हो जायंगे तो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की सहायता से हम कन्क्लूसिव तरीके से जिस मान्यता को देने जा रहे हैं उसके ऊपर भी हमारे माल मंत्री जी ध्यान देंगे । क्योंकि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की कुछ धारायें बोर्ड आफ रेवेन्यू के इंहेरेन्ट जुरिस्डिक्शन में रिवाइजेबिल होती हैं । मैं चकबन्दी की भलाई की कामना से उनकी सेवा में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर फिर अपनी एक्सपर्ट कमेटी में विचार कर लें । वह नियम बनने के बाद ही हमारे सामने आ सकेंगे और उस समय हम उनके ऊपर अपनी सम्मति दे सकेंगे । किन्तु उनके सामने व्यावहारिक क्षेत्र में काम हो रहा है । मैं ऐसा मानता हूं कि इसके ऊपर उनका विचार हो गया होगा और इस संबंध में जो हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है वह तो साधारण चकबन्दी कानून के ऊपर उनका दृष्टिपात हुआ है । इससे उसकी संबद्धता बहुत कम है कम रिलिवेन्सी बहुत कम है । इस संबंध में वह विचारणीय भी नहीं है । अन्त में मैं पुनः अपने माल मंत्री को बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं कि वह समय पर जाग्रत हो गये हैं और जागरण जो है किसी भी विभाग का, एक शुभ लक्षण है । ऐसी मान्यता है कि सरकारें प्रायः विधान बनाने के बाद एक प्रसुप्त अवस्था में हो जाती हैं और जब समाज की कोई चोट उनके ऊपर लगती है, जब कोई बहुत ही बड़ा आन्दोलन होता है तो वह संशोधन को स्वीकार करती है । पर यह मैं मानने में कोई संकोच नहीं करता कि हमारे माल मंत्री जी और हमारा माल विभाग इतना जागरूक है कि नियम को बनाने के समय भी, जमींदारी एबालिशन के समय में भी चकबन्दी के समय में भी वह मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से, वार्षिक रूप से परिवर्तनों की एक झड़ी लगाते रहे हैं और इसमें एक ही संकेत पाता हूं और ....

श्री चरणसिंह—काहे को तारीफ कर रहे हो ?

श्री रामलखन मिश्र—मेरी इन उक्तियों से हमारे माल मंत्री जी को यह अभास हो रहा है कि मैं किसी विपरीत दिशा में जा रहा हूं किन्तु मेरी हार्दिक कामना है मेरी मान्यता है कि यह जागरण का शुभ चिन्ह है । जिस विभाग की जितनी पैनी दृष्टि कार्यवाही पर पड़ती है त्रुटियों को हटाने के लिये उतने ही संशोधन लाता है । संशोधन को लाने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करनी चाहिये बल्कि उसे एक शुभ चिन्ह मानना चाहिये, शुभ संदेश मानना चाहिये । इन शब्दों के साथ में पुनः माल मंत्री जी को धन्यवाद दे कर विश्राम लेता हूं ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)-- माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और इस दृष्टि से करना चाहता हूं कि माननीय राम सुन्दर जी का जो विचार था वह यह था कि वे इस चकबन्दी के कार्य में सहायता पहुंचाना चाहते थे और मैं भी सोचता हूं कि चकबन्दी कानून जब से इस सदन में आया चकबन्दी का कानून बनाने का विचार पैदा हुआ, उस वक्त से हम सभी चकबन्दी के पक्ष में हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसके संबंध में कि चकबन्दी कितनी पूर्ण है, चकबन्दी के जरिये कृषि समस्या कितनी पूर्ण हो सकेगी, अपने देश के लोगों को इससे कितना सहयोग मिल सकेगा, इस संबंध में कोई गलतफहमी हमको नहीं है लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि चकबन्दी की वजह से एक सेक्शन जो है किसानी करने वाला उसका भला ही होगा और उसका भला अगर होने वाला है तो हम यह नहीं चाहते हैं कि जब तक सारे देश का एक साथ भला न हो, या सारे देश के लिए वही कार्यवाही या प्रदेश के लिए वही कार्यवाही न की जाय तब तक उस सेक्शन के लिए भी जो भला काम हो रहा है उसको रोक दिया जाय।

यह मन्शा हमारी है और इस मन्शा को हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने संशोधन रखना चाहा और उन्होंने यह भी चाहा कि इस विधेयक के साथ-साथ अगर कुछ और खामियां उनकी दृष्टि में दिखाई देती हैं तो उन खामियों को दूर कर दिया जाय। उनको दूर करने का ऐसा मौका मिल जाय तो वह इसका लाभ उठाना चाहते हैं। बहुत ही संयम से उन्होंने काम लिया। यह भी उन्होंने कहा कि इस बात की जल्दी है कि आर्डिनेन्स की जगह पर इस विधेयक को ऐक्ट बनाना जरूरी है। तो इस कारण इसमें उन्होंने यह भी लिखा कि अगले सोमवार के भीतर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिये। इसका उन्होंने ध्यान रखा। तो फिर इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो अड़ंगा लगाने वाली बात समझी जाय या सरकार को बदनाम करने वाली कोई बात हो, बल्कि अपने ख्यालात को जाहिर करना और उन ख्यालात से जो अनुभव प्राप्त हुये हैं, चकबन्दी के काम करने में उन अनुभवों के और ख्यालात के अनुसार उसका संशोधन हो जाय इसलिये उनका संशोधन आया है। मैं एक बात इस मौके पर कहना चाहता हूं कि कुछ जिलों में और खासतौर पर जिनका जिकर है मुजफ्फरनगर और सुलतानपुर के जिले मुझे खासतौर से मुजफ्फरनगर जिले के सिलसिले में यह सूचना मिली है कि वहां जो चकबन्दी की कार्यवाही हो रही है उसमें लोगों को बडी शिकायत है....

श्री चरण सिंह—आपका नाई मोतबिर नहीं मालूम होता है।

श्री गेंदासिंह—यह मैं जरूर चाहता था कि हमारा नाई अगर हमको ठीक इत्तिला नहीं देता तो माननीय राजस्व मंत्री जी का जो नाई है वह मुझे ठीक इत्तिला देता। मुझे शिकायत है और मुझे जो इत्तिला दी गयी मैंने उस इत्तिला को उठाकर कंसोलिडेशन के जो डाइरेक्टर हैं उनके पास भेज दिया। मुझको वह इत्तिला जो मिली थी उसको मैंने २० अगस्त, सन् १९५५ को एक खत के जरिये से डाइरेक्टर साहब को लिखा कि मुजफ्फरनगर में जो काम यह चकबन्दी का हो रहा है उसमें हजारों किसानों को शिकायत है। मैं हजारों किसानों की बात जानबूझकर कह रहा हूं कि उनको शिकायत है। जब मुजफ्फरनगर में शिकायत हुई तो फिर सारे सूबे में शिकायत हो सकती है और सारे सूबे के किसानों की शिकायत बढ़ सकती है क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले का किसान और सूबे के किसानों से ज्यादा एन्लाइटेन्ड है। उनके साथ किसी अफसर को अनुचित बरतने में ज्यादा डर मालूम होगा क्योंकि राजस्व मंत्री जी भी तो आखिर वहीं के हैं और उनके घर के लोग उनको खबर दे सकते हैं और दूसरे मित्र, सम्बन्धी, उनको खबर दे सकते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

है । इसलिये कुछ अफसरों को काम करने वाले लोगों को अधिक डर हो सकता है तो वहां हजारों लोगों को शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद जब उन्होंने मुझ को लिखा तो मैंने उसको डाइरेक्टर साहब के पास भेज दिया और वह मैंने २० अगस्त, को उनको भेज दिया उसका जवाब मुझको एक महीने तक नहीं मिला । जब एक महीने तक जवाब नहीं मिला तो फिर दोबारा मुजफ्फरनगर के लोगों ने मुझको लिखा कि जो शिकायत सख्ती व परेशानी की चकबन्दी के काम में है, हमारे सामने दरपेश है उसमें कतई एक पाई भी राहत नहीं मिली तो अधिष्ठाता महोदय फिर दोबारा मैंने डाइरेक्टर साहब को लिखा और यह १५-९-५५ को लिखा कि हजूरवाला मेहरबानी करके कम से कम अगर आप हमारी चिट्ठी पर कार्यवाही नहीं करते तो कम से कम हमको यही लिख देते कि चिट्ठी आपके यहां पहुंची या नहीं । मुझे शक हुआ कि मेरे यहां से खत जाने में गलती हो सकती है और उनके यहां खत नहीं पहुंचा हो । मैंने अपने यहां मालूम किया तो मालूम हुआ कि चला गया है । तो फिर २३-९-५५ को उनके पी० ए० साहेब की चिटठी मेरे पास आई कि आपका पत्र १९-९-५५ को मिला और सम्बन्धित अधिकारी श्री वृजमोहन सिघंल को आपके पत्र की प्रतिलिपि भेज दी गई है जांच के लिये । चकबन्दी के बारे में इतनी सुस्ती हमें बर्दाश्त नहीं है । हम भी माननीय राजस्व मंत्री जी के कंधे से कंधा मिला कर यह प्रस्ताव पास करते हैं कि चकबन्दी के सिलसिले में काम करने वाले अधिकारियों को हम बधाई देते हैं । तो मेरा भी हक है कि अगर कहीं से शिकायत मिलती है कि चकबन्दी के काम करनेवाले अधिकारी गरीब किसानों को सता रहे हैं और उनकी जमीन गड़बड़ करके पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं पूछने का हकदार जरूर हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं कि हमने उनको नहीं कहा । लेकिन हमने समय बचाने के लिये उनको तकलीफ नहीं दी और मैं जल्दी में भी था कि यह गलती जल्दी दूर हो जाय । इसलिये मैंने डाइरेक्टर साहेब को ही लिखा । लेकिन उस शिकायत पर एक महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

इस संशोधन के जरिये आप चकबन्दी में जल्दी करना चाहते हैं मगर किसान इतना ढीला है कि उस जल्दी को समझता ही नहीं। शामली और मुजफ्फरनगर के लोगों की यह शिकायत है कि रोज सैकड़ों उजरदारियां खारिज की जा रही हैं और रात के एक बजे तक मुकद्दमात के फैसले सुनने के लिये भूखा प्यासा किसान सम्बन्धित न्यायालय में पड़ा रहता है रात को किसान का रोकना बहुत बड़ी ज्यादती है । चकबन्दी करने में किसानों को पर्याप्त जानकारी नहीं करायी गई । चकबन्दी कमेटियां अधिकांश जगह नियमानुसार नहीं बनीं रिकार्ड ठीक करने पैमाइश व किस्म जमीन नियत करने के कार्य में चकबन्दी कमेटी के अधिकांश सदस्यों को न ज्ञान था और न वह उनको जानकारी में की गई । चक बनाते समय चकबन्दी कमेटी के सदस्य जाने में निष्क्रिय रह गये या अपने स्वार्थ या कुछ गुप्त कारणों से जनहित की रक्षा न कर पाये । कुछ एक तो गलत अधिकारियों या कर्मचारियों के हाथों में कठपुतली बनकर खेले और चकबन्दी क्षेत्र का वातावरण भ्रष्टाचार पूर्ण हो गया ।

मैं समझता हूं कि अगर यह चार आना भी सच है तो उसका भी भ्रम निवारण होना चाहिये । मैंने यह कहा कि मैं चकबन्दी की योजना और चकबन्दी के कामों के विरुद्ध नहीं हूं । मैं चकबन्दी चाहता हूं लेकिन चकबन्दी तभी सफल होगी जब इस तरह की कोई शिकायत न हो अगर इस तरह की शिकायत है तो रामसुन्दर जी के प्रस्ताव पर हमें विचार करना होगा और अधिनियम में जिसके कारण से ऐसे अधिकार मिले हुए हैं । जिससे वे लोग इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं । उन गलतियों को दूर करने की कोशिश हमें करना चाहिये । इसी मंशा से राम सुन्दर जी ने

अपने संशोधन को पेश किया है और उसी मंशा से मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस मंशा का गलत अर्थ न लगाया जायगा। इस तरह की जरूर कोई चेष्टा करनी चाहिये ताकि शिकायतें जो अब हो रही हैं उनको जल्द से जल्द रफा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं रामसुन्दर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू—जनाबवाला, मैं गेंदासिंह जी के भाषण के सिलसिले में कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मुझे यह अर्ज करना है कि जैसा उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कंसालिडेशन आफीसर को एक खत भेजा। आप लीडर आफ दी अपोजिशन हैं इससे यह मुनासिब होता कि वे खुद जवाब देते क्योंकि लीडर आफ दी अपोजिशन की एक खास हैसियत और जगह होती है, उनको इस प्रकार से जवाब दिया जाना मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इसके बारे में कुछ कहें और उसके लिये मुनासिब इन्तजाम फरमाया जाय।

अधिष्ठाता—मिनिस्टर साहब जब जवाब देंगे तो उसका भी जवाब दे देंगे। जो बात तय हो गयी थी उसके मुताबिक १५ मिनट तो मैं मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूं। एक साहब और बोल सकते हैं और उनको सिर्फ ५ मिनट में ही खत्म करना होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े क्रिटिकल टाइम में मुझे समय दिया है।

अधिष्ठाता—और मैंने जो अर्ज किया आप उसका भी ख्याल रखें।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय मंत्री जी जब मेरी बातों का जवाब दे रहे थे उस वक्त उन्होंने यह बात कही थी कि मुझे अभी बहुत सीखना है लेकिन यह जो अमेंडमेन्ट बिल आया है वह स्वयं यह बताता है कि अभी मंत्री जी भी स्वयं सीख रहे हैं। यह तो समय की रफ्तार से ऐसा होता ही रहता है। माननीय मंत्री जी जोत चकबन्दी विधेयक के लिये आतुर हैं और मालूम होता है कि अगर वह पास न हुआ तो न जाने क्या हो जायगा। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में जो कार्यवाही करना चाहते हैं उसको गड़बड़ी में डालकर वह अधिकारियों को कुछ और अधिकार दे देना चाहते हैं और वह इसलिये कि माननीय मंत्री जी चकबन्दी विधेयक के लिये बहुत ही आतुर हैं और इस योजना को भी कार्यान्वित करने के लिये आतुर हैं इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया है उसको सुपुर्द करने में भी उनकी यही भावना होती तो वह बिल पास भी हो गया होता और कितने ही लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह न हुआ होता। सदन की जानकारी के लिये मैं रेवेन्यू ऐक्ट की ४८ वीं धारा को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है :—

"Revision of Maps and Records.

NOTIFICATION OF RECORD OPERATIONS—If the State Government thinks that, in any district or other local area, a general or partial revision of the records, or a re-survey, or both, should be made, it shall publish a notification to that effect :

Effect of notification—And every such local area shall be held to be under record or survey operations or both, as the case may be, from the date of the notifications, until the issue of another notification declaning the operations to be closed therein.

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है इस धारा द्वारा माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन, जो विहित किये जायें, अनुसरण किया जायगा। यह कहीं भी डिसक्लोज

[श्री जोरावर वर्मा]

नहीं किया गया है, कहीं भी इस बात को नहीं बतलाया गया है कि जो यह अधिकार है वह आप अधिकारियों को किस बात के लिये देना चाहते हैं जिससे व इस ऐक्ट का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसको कैसा होना चाहिये जिसके अनुसार वे कार्य कर सकें? इससे बड़ा सन्देह पैदा होता है कि माननीय मंत्री जी उनको वह अधिकार देना चाहते हैं जिससे सम्बन्धित जनता का अहित हो सकता है। यह सही है जैसा उन्होंने बतलाया कि जिन जिलों में चकबन्दी चल रही है उसमें कठिनाइयां हैं, टाइम लगेगा, तो उन्होंने मांग की है सदन से और मैं भी चाहता हूं कि सदन इसको स्वीकार करे और इसको स्वीकार हो जाना चाहिये। लेकिन अधिक अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर देते कि इस धारा का हम इसलिये परिष्कार करना चाहते हैं, किस ढंग से वे रेकर्ड्स ठीक करेंगे क्योंकि जो परिस्थिति उन्होंने कल बतलायी वह यह है कि लेखपालों ने जहां मकान बने हैं उनको भी दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार की चीजें देहातों में भी हैं कि सैकड़ों वर्ष से वह आदमी खेत जोते आ रहा है लेकिन पटवारी के रेकर्ड में नहीं है और हो सकता है कि गांव में जाकर रेकर्ड ठीक करने में देर हो सकती है क्योंकि वहां पर उनके साथ डंडेबाज आदमी भी होंगे जिनके सामने जो छोटे आदमी और गरीब आदमी हैं वे हिम्मत नहीं करेंगे कि वे किसी बात को अधिकारियों के सामने कह सकें। इस तरह से जो जोत चकबन्दी का आपका उद्देश्य है वह भी असफल होगा और जनता का भी अहित होगा। इस लिये इन सुझावों के साथ में माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जो बातें हमने कहीं हैं उन पर वे ध्यान देंगे।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने अपना संशोधन यह रखा है कि जोत चकबन्दी द्वितीय संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और उसे यह भी अधिकार दिया जाय कि मूल अधिनियम द्वारा कार्य करने में जहां कहीं कठिनाई अथवा त्रुटियां पाई गई हैं उसको ध्यान में रख कर संशोधन कर दे।

श्रीमन्, इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि केवल एक धारा में संशोधन करने का विचार है इस विधेयक के जरिये और उसमें जोत चकबन्दी अधिनियम में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का काम सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें तो वह कैसे इस काम को कर पायेगी क्योंकि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स के जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डारेक्टर वगैरह जो आफिसर्स हैं उनके सुझाव पहले आवें और फिर हमारा सेक्रेटेरियट उसको एक्जामिन करे और फिर लीगल एडवाइजर उसको देखें कि किन शब्दों में उसको लिया जाय। तो यह सेलेक्ट कमेटी का काम कैसे हो सकता है? इतना बड़ा काम दो चार रोज में कैसे हो सकता है? तो इस तरह से वे स्वयं तो सेलेक्ट कमेटी से एक काम को जल्दबाजी में कराना चाहते हैं और मुझे जल्दबाजी में काम करने का उलाहना भी देते हैं। अपने आप तो सारे ऐक्ट में दो चार रोज संशोधन कराना चाहते हैं। जैसा मैंने अर्ज किया था कि संशोधन विधेयक तैयार है और उसको ही हम संशोधन विधेयक में लाना चाहते थे लेकिन जिस विधेयक को धारा में संशोधन के लिये हम एक अलग से यह विधेयक लाये हैं उसका कारण यह है कि पूरे विधेयक को लाने में जरा देर हो जाती और २१ अक्टूबर तक इसको हमें अधिनियम बना लेना चाहिये। इसी लिये हमने एक छोटे विधेयक के रूप में इसको आपके सामने पेश कर दिया। जोत चकबन्दी अधिनियम में काफी खराबियां हैं, काफी त्रुटियां हैं। गवर्नमेंट ने अभी भी यह दावा नहीं किया कि उसके किसी अधिनियम में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटियां मालूम होती हैं तजुर्बे से। इससे पहले भी एक दो बार जोत चकबन्दी अधिनियम में संशोधन हो चुका है और कल भी मैंने कहा था कि संशोधन में खराबियां हैं और जब दो चार जिले में चकबन्दी का काम पूरा हो जायगा तब हमको मालूम होगा कि क्या क्या खराबियां हैं। तो इस समय बहुत से गांवों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुल्तानपुर के और मुजफ्फर नगर में चकबन्दी पूरी हो चुकी है और उसमें जो खराबियां मालूम हुई हैं उस सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक बिल आने वाला है। उस वक्त जिन सज्जन को कोई सुझाव देने हो वह दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अब वह जमाना चला गया जब ९-९ साल तक एक एक बिल पर विचार चल सकता था, हमें इतना समय नहीं मिल सकता अगर हमें जल्दी से देश की तरक्की करनी है, देश का विकास करना है, तरक्की का मतलब यह है कि जो लीगल रिलेशनशिप है उसको हम बदलें, सम्पत्ति या जमीन के अधिकारों के सर्किल को हम चेंज करें और फुल सर्किल चेंज हो जाय तो उसी को हम रिवोलूशन भी कह सकते हैं, तो हमें अगर तरक्की करना है तो संशोधन भी जल्दी जल्दी लाने होंगे। मैं सोच रहा था कि कभी फिर ही इसबात का जिक्र करूं लेकिन मित्र चूंकि कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी संशोधन ले आते हैं तो मैं उनसे क्या अर्ज करूं इससे तो उनकी ही नातजुर्बेकारी साबित होती है। मैं तो खैर नातजुर्बेकार हूं ही और अपनी नातजुर्बेकारी को तसलीम भी करता हूं और मैं हमेशा सीखने को तैयार हूं। मैं माननीय वर्मा जी से तो क्या एक मामूली लेखपाल से भी सारी उम्र सीखने को तैयार हूं। लेकिन मैं उनसे इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं और मैंने उनसे भी पहले ही कहा था कि वह मेरी इतनी सलाह मानें कि वह किसी की नियत पर हमला करने की आदत अभी से न डालें। भला उनको सिखाने की वैसे मैं क्या हिम्मत कर सकता हूं। पहले बिल के बारे में जो उन्होंने कहा था मैंने उन सब का जबाव दे दिया था, टाइम लिमिट के बारे में, लेखपालों की गलतियों के बारे में लेकिन शायद उस वक्त वह गैर हाजिर थे लेकिन मैं उनसे यह कहूंगा कि वह नीयत पर हमला न करें और सीखने की गुंजाइश तो हर आदमी को अन्तिम क्षण तक रहनी चाहिए। मुझे ऐसा मुगालता नहीं है और अगर होता तो मैं इस तरह से रोज बिल ले कर यहां न आता। ब्रिटेन जैसे डेवलप्ड मुल्क में आज कल भी यू० पी० से हर साल अधिक बिल लाकर पास कराये जाते हैं, यह मैंने एक दिन कौंसिल में भी कहा था और मैंने यह सन् ४१ के आंकड़े इकट्ठा किए हैं, ५१ के नहीं मिल सके, उस वक्त यू० पी० की आबादी थी ५ करोड़ ५५ लाख की और ब्रिटेन की थी ४ करोड़ ६७ लाख और वह एक डेवलप्ड देश है और जहां बहुत अच्छे ड्राफ्टसमैन और काम करने वाले हैं, बड़े तजुर्बेकार कर्मचारी और मिनिस्टर हैं वहां भी रोज बिल और ऐक्ट बनते हैं। मैं आप को वहां का हाल बताता हूं कि कितना लेजिस्लेशन वहां यू० पी० के मुकाबिले में हुआ। सन् ५१ में वहां ५६ कानून बने और हमारे यहां ३२, सन् ५२ में ब्रिटेन में बने ६४, और यू० पी० में ४०, सन् ५३ में ब्रिटेन में ५३ और यू० पी० में कुल ३२, और सन ५४ में ब्रिटेन में ६१ और यू० पी० में कुल २७ कानून बने। तो यह हालत यहां के लेजिस्लेशन की उस विकसित देश के मुकाबिले में है। अगर बिल ज्यादा आए तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता है माननीय सदस्यों को जरा अधिक यहां बैठना पड़े। इसलिए रोज रोज बिल आने से कोई बात बिगड़ती नहीं, सुधरती है और मैं यह भी कहूंगा कि मैं भी नाकाबिल हूं और मेरे अफसरान भी नाकाबिल हैं और वह ऐसा अन्तिम बिल यहां नहीं ला सकते कि जिसमें कभी संशोधन की आवश्यकता न हो। वह तो रामसुन्दर जी पाण्डे ही बना सकते हैं।

माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि हमारे सूबे में चकबन्दी सफल हो मैं इसको तसलीम करता हूं और मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। इसमें कोई २ राय नहीं हो सकती कि अगर वह हमारे किसी अधिकारी से कोई इत्तिला चाहते हैं तो वह उसको देना चाहिए। लेकिन काटजू साहब की एक बात की तरफ मैं आता हूं जवाब पी० ए० ने डायरेक्टर को यह दिया जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया कि हमने मुजफ्फर नगर के जिलाधीश को तहकीकात के लिए भेजा। शिकायत होगी जलालाबाद के किसी गांव के किसी व्यक्ति की किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ। हो सकता है कि शिकायत ९० प्रतिशत गलत हो। जो यहां डायरेक्टर लखनऊ में बैठे हैं वह कैसे जवाब दें, वह तहकीकात करायेंगे। उसने तहकीकात के लिये भेजा और जो जिलाधीश है उसको भी केवल यही काम नहीं है। उसके जिम्मे और काम है। लिहाजा तहकीकात करने के मतलब यह तो नहीं है कि जो किसान कहता है वह बिलकुल सही है। वह किसान

[श्री चरण सिंह]

से पूछेगा और उस अधिकारी से पूछा जाय तब जाकर उसके बाद जवाब दिया जायगा। इस लिये ७ दिन, १५ दिन या ६ हफ्ते भी लग गये तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, मुझे इजाजत दें तो मुझे ठीक नहीं मालूम लेकिन शायद उन दिनों माननीय गेंदासिंह जी लीडर आफ अपोजीशन नहीं भी हो सकते हैं जिन तारीखों में यह चिट्ठी लिखी गई और फिर एक बात और सोचने की है कि क्या हम नियम बना दें कि लीडर आफ अपोजीशन होने की हैसियत से इतना महत्व रखता है लगभग मुख्य मंत्री के जैसे हिज मैजेस्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर और लीडर आफ अपोजीशन हिज मैजेस्टी का लीडर आफ अपोजीशन है। इतना बड़ा स्थान है वह सब बातें ठीक हैं। लेकिन अभी हमने इस तरह का कोई हुक्म अपने राज्य कर्मचारियों को जारी नहीं किया है। उनका स्थान आज हमारे यहां विधान मंडल के सभी सदस्यों के बराबर है तो फिर यह भी सोचने की बात होगी कि यदि सब मित्र अगर सीधे डाइरेक्टर को चिट्ठी लिखने लगें तो वह कहां तक जवाब देगा? मुमकिन है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, अगर उसमें लीडर आफ अपोजीशन को अपवाद करने का है तो हमको अपने अधिकारियों को हुक्म जारी करना होगा इस लिये मैं काटजू साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे इतने चेरीटेबिल न हो जायं।

श्री शिवनाथ काटजू—आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन। माननीय मंत्री जी ने जो अपनी राय जाहिर की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे ख्याल से लीडर आफ अपोजीशन अपना एक स्थान रखता है। जो ४३१ हम लोग हैं उनसे वह अपना विशेष स्थान अवश्य रखता है और यदि वह किसी डिस्ट्रिक्ट आफिशियल को लेटर लिखता है तो कर्टसी उसकी यह है कि उसके खत का जवाब वह खुद दें न कि पी० ए० उसका जवाब दें, मेरे कहने का मतलब यह है। और अगर माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि वह लीडर आफ अपोजीशन हम ४३१ सदस्यों की भांति है तो मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं।

श्री चरणसिंह—मैं भी उनकी राय से सहमत नहीं हूं इसलिये कि मैंने यह बात कही थी कि डायरेक्टर खुद भी दौरे पर रहते हैं, निकल गये १५ दिन के लिये इतने अरसे के लिये भी जाते हैं तो उनका पी० ए० जो एक गजटेड आफिसर है कोई क्लर्क नहीं है वह उनकी चिट्ठी का जवाब दे देता है। बोर्ड आफ रेवेन्यू के पी० ए० की तरफ से गवर्नमेंट को आ जाती है। उसमें इतना सेंसिटिव नहीं हो जाना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—मैं भी एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि मुझे इससे शिकायत नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया। काटजू साहब को शिकायत इस सम्बन्ध में हो सकती है लेकिन मुझे तो केवल इतनी बात थी कि २० अगस्त को पत्र लिखा और इतना अरजेंट मामला था जिसमें मुझे कम से कम बता देना चाहिये था कि क्या मामला है। मैं यह भी मान जाने को तैयार हूं कि जांच होनी चाहिये थी लेकिन उस चिट्ठी की पहुंच तो मुझे बता ही देनी चाहिये थी।

श्री चरणसिंह—हां, मुझे भी आपसे शिकायत नहीं है, उनसे शिकायत है। खैर छोड़िये, उन्होंने जो अखबार से पढ़कर सुनाया कि मुजफ्फरनगर में किसानों की इतनी मीटिंग हुई और यह हुआ और उसके सिलसिले में माननीय गेंदासिंह जी को और दूसरे दोस्तों को मालूम हो जाना चाहिये .....

अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी का ध्यान जरा घड़ी की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—जी हां, है। जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं यह कह रहा था कि यह चकबन्दी का मामला ऐसा है कि शत प्रतिशत किसान संतुष्ट हो जायं यह नामुमकिन है। मैं अपने खानदान में अपनी जमीन की चकबन्दी नहीं करा सका। पिता जी बूढ़े हो गये। अपने पूरे खानदान में रजामन्दी नहीं करा सका। किसान का जमीन का इतना मोह होता है

बाप दादा के जमाने से उसी पर खेती होती चली आती है। कितनी ही निष्पक्षता बरती जाय, ईमानदारी बरती जाय, शत प्रतिशत किसान चकबन्दी से संतुष्ट नहीं हो सकते। जो बैरिक्स हुआ करती थी एक बैरिक से दूसरे बैरिक में जब ट्रांसफर हुआ करता था जेल खानों में तो दिल टूटा करता था। ऐसा है यह दिल। लोग इसे निर्मोही कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोह वाला है। खेत निकलते हैं तो उससे शिकायत होती है लेकिन हमारे कलेक्टर का कहना यह है कि एक गांव में १२६ किसान थे। बड़ा शोर था लेकिन १२५ सेटिस्फाइड थे। एक किसान मुजफ्फर नगर का यहां तक भागा चला आता है, चार आदमी और साथ में लेकर आता है, गाड़ी में बैठकर चकबन्दी की बुराई करता चला आता है। सुनने वालों को मालूम ऐसा होगा कि बड़ा अन्याय हो रहा है और वाकया यह है कि उस गांव के १२६ किसानों में से १२५ किसान डिस्सेटिसफाइड नहीं हैं। इसी तरह से जो लोग डिस्सेटिसफाइड थे वे इकट्ठे हुए और जिन लोगों ने मीटिंग की, मुझे मालूम है कि वे लोग यह नहीं चाहते कि चकबन्दी कामयाब हो। कुछ लोग जो डिस्सेटिसफाइड थे उन्होंने मीटिंग कर ली। माननीय चतुर्भुज जी और एक और मित्र गांव में गये। मालूम हुआ कि बाज जगह शत प्रतिशत और बाज जगह दो चार को छोड़ कर सब सेटिस्फाइड हैं। यह गारंटी जिलाधीश, मुजफ्फर नगर की है कि कहीं भी १० फीसदी से ज्यादा लोग अगर डिस्सेटिसफाइड होंगे तो मैं अपनी फेल्योर मान लूंगा। तो शिकायतें तो हमेशा रहेंगी। वे इनहेरेंट हैं। मैं गेंदा सिंह जी को सेटिलमेंट आफिसर के पूरे अख्तियार दिला दूंगा वही अपने गांव के सब लोगों को सेटिस्फाई करके दिखा दें। नामुमकिन है। लिहाजा हतुलइमकान मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आधी रात तक मेहनत करते हैं और शिकायत यह है कि आधी रात तक किसान बैठा रहता है तो यों किसान नहीं बैठा रहता है। किसी चकबन्दी अफिसर के साथ रहता है और आधी रात तक उसे इन्तजार करना पड़ता है, इतनी मेहनत उसे करनी पड़ती है फिर भी गलतियां हो सकती हैं। मैं इन सब बातों में उस वक्त जाऊंगा जब बड़ा बिल लाऊंगा। जहां तक इस बिल के संशोधन का ताल्लुक है राम सुन्दर पांडेय और गेंदा सिंह जी को कोई एतराज नहीं है और जोरावर वर्मा जी ने तो स्वीकृति दे दी है। मैं समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिये और राम सुन्दर पांडेय जी का खारिज हो जाना चाहिये।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसे यह भी अधिकार दिया जाय कि मूल अधिनियम द्वारा कार्य करने में जहां कहीं कठिनाई अथवा त्रुटि पाई जाय उसको ध्यान में रख कर संशोधन कर दें, किन्तु यह आवश्यक है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले सोमवार को सदन में आ जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-- उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

"२७--(१) चकबंदी योजना के प्रवर्तन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र चकबंदी संचालक (Director of Consolidation) प्रत्येक ऐसे गांव के लिये, जो चकबंदी कार्यों के अन्तर्गत आता हो, गांव का एक नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख

तैयार करायेगा और उक्त अभिलेखों को तैयार करने में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू, ऐक्ट १९०१ के उपबन्धों का, ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन जो विहित किये जायं, अनुसरण किया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये अधिकार-अभिलेख में सभी प्रविष्टियां (entries) अन्तिम एवं निश्चायक होंगी ।

(३) लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन पहले रक्खे जाने वाले अभिलेखों के स्थान पर कलेक्टर अब उपधारा (१) के अधीन तैयार किया गया अभिलेख रक्खेगा ।"

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

निरसन १९५५ का अध्यादेश ८ ।

३---जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई अधिनियम हो ।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

१९५४ का उ० प्र० अधिनियम ५ ।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५३ के उपबन्धों को संशोधित करने का

विधेयक

१९५४ का उ० प्र० अधिनियम ५, १९५५ का अध्यादेश ८ ।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रवारित किया था

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

अतएव, एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह यहां विधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) विधयक, १९५५ जैसा कि वह विधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
११ अक्तूबर, १९५५ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

HOUSING MINISTERS CONFERENCE
SIMLA, 27TH TO 29TH JUNE, 1955.

RESOLUTIONS ADOPTED AT THE CONFERENCE

ITEM I OF THE AGENDA

ADEQUACY OF CENTRAL AID

Resolution :

The Conference considers that having regard to all the circumstances under which the First Five-Year Plan had to be implemented the over-all aid made available by the Centre in respect of the Subsidized Industrial Housing Scheme and the Low Income Group Housing Scheme has been substantial.

ITEM II OF THE AGENDA

(A) DIFFICULTIES EXPERIENCED IN THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIZED INDUSTRIAL HOUSING SCHEME

Resolution :

The Conference is of the opinion that in view of industrial expansion that is envisaged in the Second Five-Year Plan, about five lakhs of additional houses will be required for industrial workers in the private sector. It is esssential that livable houses should be provided for these workers not only to maintain a proper level of production, but also to ensure that further slums are not created in the existing or newly industrialized areas. Considering this and the magnitude of the problem, the Conference recommends that :—

(i) The cost of land and the cost of the house should be integrated for the purpose of calculating the ceiling cost and the grant of subsidies and loans ;

(ii) As a token of their general responsibility and concern for industrial housing, the State Governments should bear the departmental or establishment expenses involved in the construction of houses for the workers ;

(iii) While every effort should be made to acquire land for industrial housing at suitable locations, in cases where colonies spring up away from the site of the work, the State Governments and local authorities should provide adequate transport facilities to workers ;

(iv) In cases where the pressure on land is not heavy and, consequently, it is feasible to construct single storeyed tenements, the experiment of providing to each worker a well-demarcated plot of land complete with all essential services, should be tried. Some aid should be given to the worker in the form of standardised building materials, so that he could, with the help of his own labour, put up a modest structure. Such an experiment will make it possible to provide some reasonable accommodation and environmental hygiene to such of the workers as cannot even afford to pay Rs. 10 per month as rent for *pucca* tenements at present built under the Scheme ;

(v) Provisions for community services and amenities required for the tenements constructed under the Subsidized Industrial Housing Scheme should be made by the State Governments and when this cannot be done by integration with other State development plans, the State Governments may approach the Central Government for loans;

(vi) The Payment of Wages Act should be suitably amended to enable the State Governments to recover rent directly from the wages of the workers concerned ;

(vii) The State Governments should be authorized under the Scheme to house their own and Central Government industrial workers governed by the Factories Act ;

(viii) In order to induce the employers to undertake a larger volume of construction under the Scheme, the Central Government should give to such of the employers as are prepared to house at least 20 percent of their workers (not already housed by them), over a period of three to five years, an increased subsidy of 40 per cent and an increased loan amount of 50 per cent;

(ix) In order to ensure that the employers do construct a sizeable number of houses under the Subsidized Industrial Housing Scheme, it should be examined whether or not some measure of compulsion legislative or otherwise, should be adopted. In case a measure of compulsion is used, the State Governments should be obliged to provide fully developed land at reasonable cost to the employers for the construction of tenements and the subsidy and loan in that case should be stepped up to the figure of 40 and 50 per cent respectively ;

(x) In order to introduce a certain amout of flexibility in the Scheme, the Central Government should finance the employers under any other proposals put forward by them which do not result in increasing the financial burden on the Government of India or in increasing the rents to be charged by the employers for the tenements constructed by them ;

(xi) In order to encourage co-operatives of industrial workers to construct more houses under the Scheme, it would be appropriate to give them a 40 per cent subsidy and a 50 per cent loan. State Governments should extend to them all facilities in the matter of finalising their schemes and in standing guarantee to the Central Government for the repayment of the loan. Particular effort should be made by the State Governments to give these co-operatives fully developed building sites on a no-profit-no-loss basis ; and

(xii) The provisions for the payment of instalments in respect of subsidies and loans may be liberalised by the Central Government, especially in favour of the co-operatives, in order to facilitate speedier construction.

(B) Difficulties Experienced in the Implementation of the Low-Income Group Housing Scheme

Resolution :

The Low-Income Group Housing Scheme having been brought into force towards the end of the year 1954, the State Governments have not

had adequate time to implement it although the necessary details have been worked out by most of the State Governments. Judging from the number of applications that have been received, it would appear that the Scheme has evoked quite an enthusiastic response. The Conference recommends a further liberalisation of the provisions of the Low-Income Group Housing Scheme as follows :—

(i) the rate of interest should be reduced if possible from its present level of 4 1/2 per cent ;

(ii) the present limit of Rs. 2,800 as loan per house prescribed for the local bodies should be raised to the figure of Rs. 3,300;

(iii) the Central and State Governments should give urgent attention to the matter of acquiring land having regard to the amended article 31 of the Constitution in order to facilitate a speedier implementation of the Low Income Group Housing Scheme ;

(iv) instead of limiting the loan to the State Governments for the acquisition and development of land to a 3-year period at 3 1/4o/o interest, the Central Government should extend the period of the loan upto 10 years at a rate of interest ranging from 3 1/4 percent to 4 per cent.

ITEM III OF THE AGENDA

ASSESSMENT OF REQUIREMENTS IN THE SECOND PLAN PERIOD IN RESPECT OF CENTRAL SCHEMES

Resolution no. 1

The Conference recommends that :—

(i) The Central and State Government should set up adequate organization for the collection of housing tatsitics which could form the basis of assessing their requirements ;

(ii) The State Governments should communicate to the Central Government immediately their requirements under the Second Five-Year Plan in respect of the Subsidized Industrial Housing Scheme; the Low Income Group Housing Scheme and the Plantation Labour Housing Scheme.

Resolution no. 2

The Conference welcomes the Middle Income Group Housing Scheme as a very tangible step in the direction of harnessing private capital for the construction of houses in the country.

Resolution no. 3

The Conference considers that the clearance and improvement of slums and the re-housing of a slum dwellers is a problem of vital national importance, and it is necessary that all concerned, including local bodies, State Governments and the Central Government devote their immediate attenting to it. The Conference is firmly of the view that without a very substantial measure of subsidy no headway whatsoever can be made in this mattter. The Central Council of Local Self Government which met at Simla from the 23rd to the 25th of June, 1955 drew pointed attention to this problem of slum clearance and resolved that the problem should be given

the highest priority and that the Government of India should liberally subsidize the implementation of approved slum clearance schemes. The Council also advised all Governments to restrict new buildings in urban areas except under planned development. The concensus of opinion of this Conference is that any overall subsidization of less than 50 per cent would not solve the problem. The Conference is not oblivious of the present financial position of the country and some other equally pressing demands, and feel that one way to minimize the element of subsidy would be for the problem of slum clearance to be viewed wherever feasible, not so much in terms of putting up *pucca* and elaborate structure for the slum dwellers as in providing them with good environmental hygiene and suitably developed plot of land. A beginning hould be made in this behalf by creating a Central Fund to which contributions should be made both by the Centre and the States for the purpose of making available financial assistance strictly on the merits of each slum clearance scheme. The Central aid would depend on the nature of the specific shemes formulated by the State Governments, the financial assistance that the State Governments and/or the local bodies concerned are in a position to render and the economics of the schemes themselves.

The possibility of local authorities taking over slums from the landlords concerned and the intermediate right-holders on the basis of suitable rents payable to them should be considered from all aspects.

Resolution no. 4

The Conference feels that some concrete steps should be taken by the Central and the State Governments in the matter of implementation of a scheme for the housing of sweepers who are economically and socially the most backward among the low income sections of the people. The Conference, therefore, recommends that in respect of housing for the sweepers, the Central Government should give a 33 1/3 per cent subsidy and an equal amount as loan, provided the State Governments and/or local bodies find the remaining finances required.

ITEM IV OF THE AGENDA

STATE HOUSING SCHEMES

Resolution no. 1

The Conference notes that some of the State Governments have their own housing schemes, as distinct from those sponsored and financed by the Central Government and recommends that all State Governments should formulate and implement schemes which will not only increase the national stock of housing but will also cater for the repairs of existing structures.

Resolution no. 2

The Conference does not favour the setting up of a Central Housing Finance Corporation, and recommends that the possibility of constituting State Housing Finance Corporations with the participation of the Central Government, be examined by each State in the light of its special circumstances and requirements.

Resolution no. 3

The Conference feels that it will be impracticable at present to think in terms of tax relief as a measure for encouraging house-building activity in general but the matter should be examined by the various State Governments. It recommends, however, that steps should be taken to tax vacant plots of land in urban areas and to use the proceeds to further housing schemes in the States.

Resolution no. 4

An enquiry be made in each State to determine if excessive profits are not being made by suppliers of building materials, and if so, adequate steps should be taken to expand the production of such materials through co-operative agencies or building societies by offering them attractive terms by way of transport facilities, lease of brick fields, workshop sites, forest and the like.

ITEM V OF THE AGENDA

RURAL HOUSING

Recognizing the magnitude and urgency of the problem of rural housing and the limitations—both physical and financial—in solving that problem the Conference recommends that a beginning be made in the matter of raising the standards of rural housing by :

(i) Each State setting up as many model (demonstration) villages as possible in N. E. S. Blocks or other suitable areas, and constructing a number of model houses in as many selected villages as possible, within the framework of village plans;

(ii) Improving and or reconstructing the existing houses in a selected number of villages.

2. The agency for carrying out the above programme should preferably be by the National Extension Service, but it will be open to the State Governments to utilize any of the local bodies or the suitably constituted authorities for the purpose. In either case, steps should be taken to strengthen the technical staff of the agency chosen by the State Governments. This technical staff should work under the direction and guidance of a "rural housing cell" of the State Government.

3. Particular attention should be paid by the State Governments to matters relating to—

(i) the assessment of housing requirements in the rural areas, in both qualitative and quantitative terms ;

(ii) the acquisition of land ;

(iii) supply of building materials, in cases where indigenous materials do not suffice ;

(iv) the provision of adequate facilities for the transport of building materials to the villages;

(v) the provision of essential amenities and services ; and

(vi) the establishment of a close liaison with rural co-operative small-scale industries which are engaged on the production of building materials in order to promote a more permanent type of housing.

4. The Conference recommends that in order to implement the programme of setting up aided self-help model villages or houses and of improving or reconstructing the existing houses mentioned in para 1 above, the Central Government should give a 25 per cent subsidy and a 50 per cent loan, on condition that the State Governments find a matching subsidy of 25 per cent.

ITEM VI OF THE AGENDA

TOWN AND COUNTRY PLANNING

Resolution

This Conference recognizes that in its direct effect on both physical and social welfare, the home and community environment is a vital factor in the level of living. In view of the grave housing situation in the country, there is need to integrate all housing activity to all-round and planned improvement of the environment and other socio-economic activities. This can be brought about by urgent attention to physical planning of towns as well as regions. Towards this end, it is desirable to have a National Plan and also Regional Plans including plans for improtant regions where river valley schemes and other special development activities are concentrated. In order to give effect to this suitable legislation may be undertaken and suitable organization, both at the Centre as well as in the States may be set up.

The Conference also considers desirable to have Master Plans and development plans prepared on a phased basis for individual towns, cities as well as villages to provide for zoning use of land, control of ribbon development, location of industries in areas considered suitable, clearance of slums, carrying out of civic and diagnostic surveys and preparation of Master Plans. In order to deal with this effectively the Conference considers that necessary legislation may be undertaken by the States. It is understood, however, that the India Institute of Town Planners has already prepared a draft for such legislation. This draft, after beng suitably scrutinized by the legal experts of the Central Government, may be circulized as a model for the consideration of the State Governments.

It is realized that local bodies and State Governments would not be in a position to finance the survey and implementation of the proposed Master Plans without some assistance from the Central Government. It is recommended that such assistance may be given by the Central Government on the basis of individual requirements.

The Conference recognizes that further progress in town and country planning will be limited to a considerable extent by the availability of suitably trained technical personnel. The Central Education Ministry has already organized two institutions, one at Kharagpur and the other at Delhi for the purpose of giving special training in town planning. It is, however, considered that such facilities may be entirely inadequate to the requirements and it is, therfore, recommended that the All India Council of Technical Education may be requested to expand facilities for such education, if possible, on a regional basis.

ITEM VII OF THE AGENDA

LEGISLATION

Resolution

This Conference is of the opinion that with a view to the expeditions implementation of the objectives underlying the recent amendment to Article 31 of the Constitution :

(i) The Central Government should in consultation with the States prepare a draft bill specifying the principles on which compensation may be paid for the acquisition of land required for town and country planning, slum clearance and public housing ;

(ii) the State and Central Governments should take immediate steps to amend the Land Acquisition Act where necessary in order to eliminate the delays entailed in the effective acquisition of land under the present provisions ;

(iii) in order to make the proposed Town and Country Planning legislation comprehensive, suitable provision relating to compensation for the acquisition of land should be incorporated in it.

ITEM VIII OF THE AGENDA

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR IMPLEMENTATION OF HOUSING SCHEMES

Resolution

This Conference recommends that in order to secure the consistent attention that the problem of Housing demands, the Central and State Governments should each have one department which should co-ordinate the various aspects of housing. In particular, co-ordination is called for in matters relating to the survey and assessment of housing needs ; preparation of master and detailed plans ; acquisition of lands and implementation of housing schemes. Such departments should also co-ordinate the preparation of national and regional plans and should, in addition, ensure the availability of building materials and of the necessary technical personnel at various levels.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

Copy of Nazul Rule 16

"16. In all cases, whether of sale or of new leases or of renewal of leases which have expired without option of renewal, which involve a concession in favour of the vendee or the lessee, e. g., in which it is proposed to fix the sale price or the rent at a rate lower than the prevailing market rate or in which it is proposed to sell or lease the land without holding a public auction or inviting public tenders, prior approval of the State Government shall be obtained before sanction, even though SUCH cases, owing to the value of the land being within the limits laid down in the rules, could otherwise be sanctioned without reference to the State Government."

अमर उजाला विशेष

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, ३१ मार्च सन् १९५३ ई०

उत्तर प्रदेशीय सरकार

सिंचाई (वर्क्स) विभाग

संख्या १५७९/डब्लू० २३-६२---डब्लू०-४६

लखनऊ, दिनांक ३१ मार्च, १९५३

विज्ञप्ति

डिवोल्यूशन ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट संख्या ३८) द्वारा संशोधित नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ (१८७३ का ऐक्ट संख्या ८) की धारा ७५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, तथा राज्य सिंचाई निर्माण कार्यों से की जाने वाली सिंचाई की वर्तमान सभी दरों को अधिक्रांत करके (in supersession) राज्यपाल महोदय निर्देश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सिंचाई निर्माण कार्यों द्वारा की जाने वाली सिंचाई पर निम्नांकित अनुसूचियों में अंकित दरों के अनुसार परिव्यय (charges) वसूल किया जायेगा।

उपर्युक्त दरें १ अप्रैल, १९५३ से अर्थात् खरीफ की फसल के प्रारम्भ से ही लागू होंगी।

अनुसूचियां

अनुसूची संख्या १---अपर और लोअर गंगा नहरें, पूर्वी यमुना और आगरा नहर, शारदा नहर, दून नहरें, रामगंगा, घाघरा, रोहिन, डांडा और रामगढ़ नहरें, बान गंगा नहर जिसका निर्माण हो रहा है।

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	३२	०	१६	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१४	०	७	०
तम्बाकू	१६	०	८	०
चाय, बग़ीचे और बाग दून नहर के ..	१५	०	७	८
गेहूं, जौ और वे फसलें जो गेहूं और जौ के साथ हों	१२	०	६	०
कपास	४	८	२	८
चारे की फसलें	३	०	१	८
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फसलें ..	९	०	४	८
अन्य खरीफ की फसलें ..	७	०	३	८

अनुसूची संख्या २—बेतवा, घसान, क़ेन, पहुज, गढ़मऊ, घोसी, बेलन और सुगरा नहरें, घाघरा नहर जिसमें गराई नहर भी सम्मिलित है, बरवार नहर, मंझगवां, आझार, रायपुर, बेलासागर, कमालपुर, जबन्ती, कुलपहाड़ और जगनेर तालाब, बांदा जिले के तालाब, सिआ-ओरी: बरवार झीलें, दुधी क्षेत्र में बेदार, दमूहां और राज खौर बांध, झांसी और हमीरपुर जिलों की झीलें और तालाब। बांदा और इलाहाबाद जिलों की केन नहर तालाब, जालौन जिले की बेतवा नहर की बंधियां। कोंसी, बुहाला, घूगा और गागान नहरें, रामपुर।

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	१६	०	८	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१०	०	५	०
कपास	३	०	१	८
तम्बाकू	१२	०	६	०
गेहूं, जौ, वे फसलें जो गेहूं या जौ के साथ हों ..	१०	०	५	०
चारा	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फसलें ..	५	०	२	८
अन्य खरीफ की फसलें ..	५	०	२	८

अनुसूची संख्या ३—रुहेलखंड नहरें जिन्हें शारदा नहर से पानी नहीं मिलता, क़ोसी, बहाला, धूगा और गंगन नहरों के अतिरिक्त अन्य रामपुर नहरें, जिनका उल्लेख अनुसूची संख्या २ में किया गया है।

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	८	०	४	०
चावल, तरकारियां, बाग हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	४	०	२	०
अन्य खरीफ की फसलें और रबी की फसलें	४	०	२	०
कपास	२	०	१	०
चारे की फसलें	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०

अनुसूची संख्या ४—सरकारी नलकूप पानी की मात्रा निम्नलिखित दरों के अनुसार दी जायगी, जो सभी फसलों के लिये एक ही होगी:

ब्योरे	दर
(क) स्टीम् या जल विद्युत शक्ति-गृहों की बिजली से चलाये जाने वाले कूप ..	१६,००० गैलन प्रति रुपया

(ख) डीजल इंजिनों या डीजल शक्ति-गृहों से चलाये जाने वाले नलकूप ११,००० गैलन प्रति रुपया

आज्ञा से,
आदित्य नाथ झा,
सचिव, सिंचाई विभाग।

	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
१—बिजनौर				
धान जो कि मानसून के पहले सींचा गया ..	५	१०	३	२
धान जो कि मानसून के बाद सींचा गया ..	२	३	१	४
फलों के बाग पौधे तरकारियां, सिंघाड़ा, नील और आजवायन ..	६	१२	३	१२
तम्बाकू	६	१२	३	१२
रुई	३	१२	२	४
गेहूं और जौ	३	१२	२	४
गन्ना	६	१२	३	१२
ओट तथा दालें ..	३	१२	२	४
लसानी वसीम तथा अन्य चारे की फसलें	३	०	१	८
अनुसूची संख्या ५—				
मिर्जापुर में करमनासा नहर				
समस्त रबी तथा खरीफ की फसलें	३	६	१	११
अनुसूची संख्या ६—				
बनारस राज की नहरें				
चावल (पौध)	५	४	२	१०
चावल छितराया हुआ ..	२	१०	१	५
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४
२—कौरब क्षेत्र की करमनासा नहर				
चावल (पौध)	३	०	१	८
चावल (छितराया हुआ) ..	२	४	१	२
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४
३—पथरवा नदी				
चावल (पौध)	४	८	२	४
चावल (छितराया हुआ) ..	२	४	१	२
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल० ए०—१९५६—७९६।